खण्ड-248, अंक-1
शुक्रवार, 30 फाल्गुन, शक संवत् 1885
(20 मार्च, 1964 ई0)

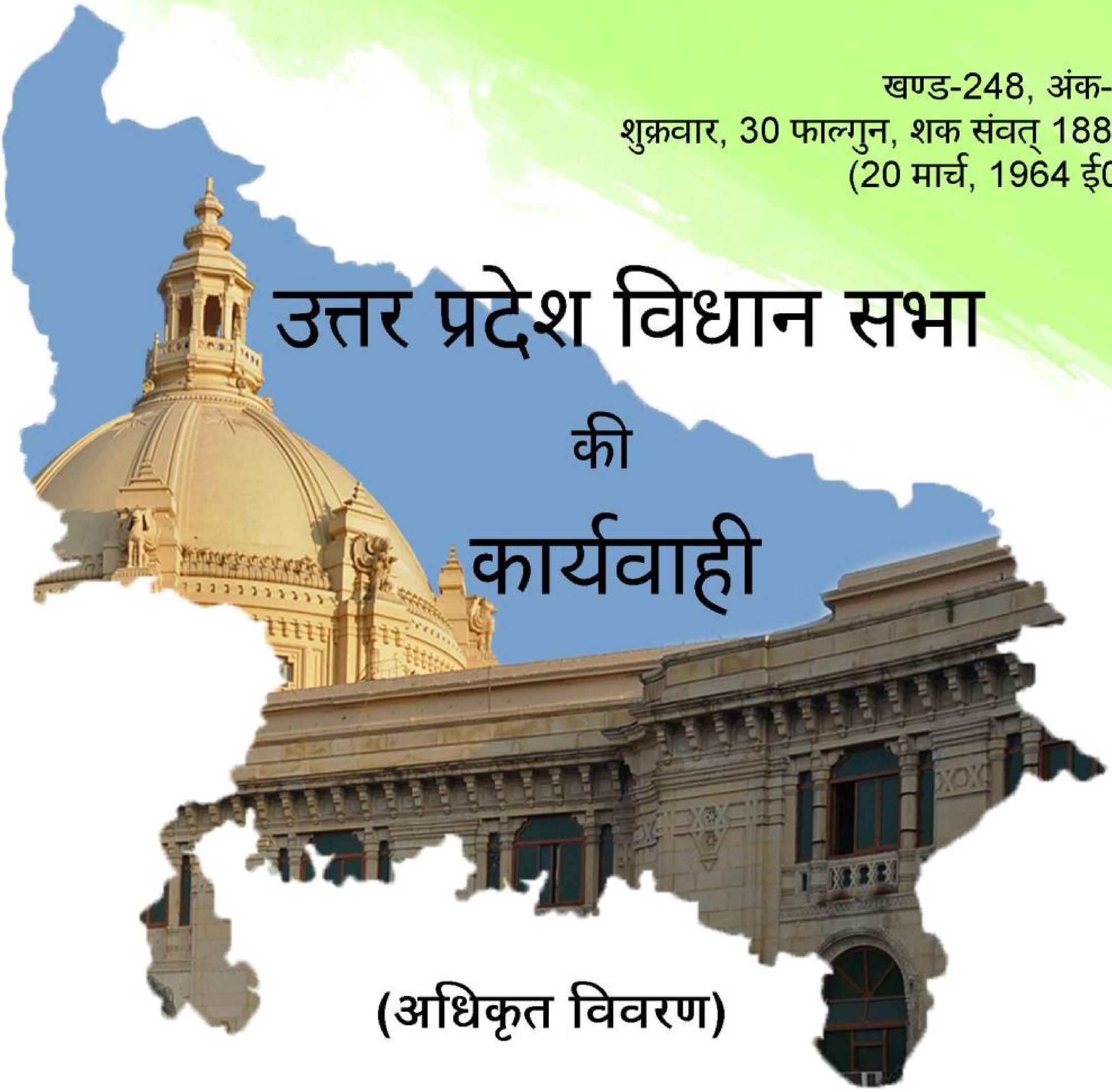

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 248 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–४
सदन द्वारा दंडित श्री केशवसिंह की कारावास की अवधि समाप्ति से पूर्व उनको जमानत पर मुक्त करने के सम्बन्ध में लखनऊ बेंच के माननीय न्यायाधीश एन० यू० बेग और माननीय न्यायाधीश जी० डी० सहगल तथा अन्य के विरुद्ध सदन के अवमान का प्रश्न उठाने की सूचना (जारी) ..	५–६
प्रश्नोत्तर	६–१२
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (यात्रा और भत्तों का भुगतान) नियमावली, १९६३ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	३२–३३
१९५७–५८ के विनियोग लेखे तथा १९५९ का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा १९५८–५९ के विनियोग लेखे तथा १९६० के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति की रिपोर्ट (प्रस्तुत की गयी) ..	३३
हैदरगढ़ तहसील में पाले से हुयी क्षति के कारण लगान तथा सिंचाई-कर माफ करने के सम्बन्ध में याचिका (याचिका समिति को निर्दिष्ट) ..	३३
सरकार द्वारा लागू किये गये भूमि तथा भवन कर के सम्बन्ध में याचिकायें (याचिका समिति को निर्दिष्ट)	३४–३५
सदन द्वारा दंडित श्री केशवसिंह की कारावास की अवधि समाप्ति से पूर्व उनको जमानत पर मुक्त करने के सम्बन्ध में लखनऊ बेंच के माननीय न्यायाधीश एन० यू० बेग और माननीय न्यायाधीश जी० डी० सहगल तथा अन्य के विरुद्ध सदन के अवमान का प्रश्न उठाने की सूचना (जारी) ..	३५–५७
१९६४–६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २९—समाज कल्याण (स्वीकृत)	५७
अनुदान संख्या १६—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम (स्वीकृत) ..	५७–७१
अनुदान संख्या २८—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां (जारी) ..	७१–८४
नत्थियां	८५–९०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २० मार्च, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३२८

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री

गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
डल्लाराम, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दीनदयाल करवरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटसिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री

बलबीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
[redacted]
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री

मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री

रामभजन, श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

सदन द्वारा दंडित श्री केशवसिंह की कारावास की अवधि समाप्ति से पूर्व उनको जमानत पर मुक्त करने के संबंध में लखनऊ बेंच के माननीय न्यायाधीश एन० यू० बेग और माननीय न्यायाधीश जी० डी० सहगल तथा अन्य के विरुद्ध सदन के अवमान का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---

अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि आज की कार्यवाही प्रारम्भ हो मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण घटना की ओर दिलाना चाहता हूं। आपको स्मरण होगा कि १४ मार्च को इस सदन ने सदन के प्रत्यक्ष अवमान के लिए श्री केशवसिंह को ७ दिन के कारावास का दंड दिया था।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

अध्यक्ष महोदय, यह मामला सबजूडिस है क्योंकि इस वक्त यह अदालत में है।

श्री अध्यक्ष---

मैं सुन लूं।

श्री चन्द्रजीत यादव---

आपके आदेश के अनुसार श्री केशवसिंह को ७ दिन लखनऊ कारावास में रखा जाना चाहिये था क्योंकि सदन का अवमान प्रत्यक्ष सदन के सामने हुआ था। सदन को अपने विशेषाधिकार के लिए एक्सक्लूजिव पावर्स हैं। कोई कोर्ट उनमें इंटरफियरेंस नहीं कर सकती। लेकिन कल मुझे सूचना मिली है कि श्री केशवसिंह की एक रिट एप्लिकेशन पर.....

श्री काशीनाथ मिश्र---

आपने सुन लिया है। यह मामला केशवसिंह की रिट से संबंधित है और वह रिट एडमिट हो चुकी है। कानून और संविधान के अनुसार अब यह मामला इस आदरणीय सदन में नहीं उठना चाहिये।

श्री चन्द्रजीत यादव---

माननीय हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के दो न्यायाधीशों ने श्री केशवसिंह को जमानत पर रिहा करने के आदेश दे दिये हैं और श्री केशवसिंह रिहा कर दिये गये। यह एक गम्भीर प्रश्न है। हमारे न्यायालयों और विधान मंडल का क्या संबंध है और किस की अथारिटी सुप्रीम है? आमतौर पर हम सब जानते हैं कि उनके कामों में हम इंटरफियरेंस नहीं कर सकते, उनके कंडक्ट को डिस्कस नहीं कर सकते संविधान के मातहत यह व्यवस्था है। हाउस में आपके समक्ष नरसिंह नारायण जी तथा मैंने एक विशेषाधिकार का प्रश्न प्रस्तुत किया है और वह यह कि इस प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुये कि हमारी अथारिटी का अनादर किया गया है और केशवसिंह को मुक्त किया गया, उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लेना चाहिये। यह आपको अधिकार है कि फिर से वारंट जारी करके उनको गिरफ्तार कर सकें।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्नों के बाद इस पर बातचीत कर ली जायगी।

श्री काशीनाथ मिश्र—

न्यायालयों तथा इस आदरणीय सदन का क्या संबंध है इसे विधान सभा तय नहीं करेगी, इसको तय करने के लिये हाईकोर्ट है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों के बाद इस पर सुना जायगा।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

मेरा निवेदन है कि आज क्वेश्चन आवर को स्थगित करके आज के क्वेश्चंस किसी और दिन ले लिये जायेंगे और आज हाउस इस गम्भीर मसले पर डिबेट कर ले।

श्री अध्यक्ष—

जो कार्यक्रम निश्चित है उस कार्यक्रम में परिवर्तन उसी स्थिति म हो सकता है अगर सारा हाउस एक मत का हो।

अगर एक भी व्यक्ति उसमें आपत्ति करेगा तो कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २० मार्च, १९६४

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

बोर्ड का अनिर्णीत परीक्षा फल

*१—श्री मान्धाता सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाई स्कूल तथा इंटरमीडियेट बोर्ड, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा संचालित, १९६३ की परीक्षाओं में जिन छात्रों का परीक्षाफल रोक दिया गया था, उसमें कितने छात्रों के परीक्षाफल के विषय में अब तक निर्णय हो चुका है तथा कितने के विषय में अभी तक निर्णय नहीं हुआ है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

निर्णीत—२,६१५।

अनिर्णीत—१७७।

*२—श्री मान्धाता सिंह (अनुपस्थित)—

चूंकि १९६४ की परीक्षायें १७ मार्च से प्रारम्भ होने वाली हैं, अतएव इसको ध्यान में रखते हुये क्या शिक्षा मंत्री इस बात का प्रबन्ध करेंगे कि शेष छात्रों के विषय में बोर्ड १० मार्च के पूर्व निर्णय दे दे, ताकि उनमें से जिन छात्रों का १९६४ की परीक्षा के लिये फार्म भरा है वह उस परीक्षा में बैठ सकें और उनका अगला वर्ष भी खराब न हो ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जिन परीक्षार्थियों के विषय में निणय नहीं हो पाया है उन सभी को आगामी परीक्षा में अस्थायी रूप से (provisional) बैठने की अनुमति दी जा चुकी है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

सार्वजनिक पुस्तकालयों का अनुदान

*१—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० गवर्नमेंट पुस्तकालयों को अनुदान सन् १९५८–५९, १९५९–६०, १९६०–६१, १९६१–६२, १९६२–६३ में कितना-कितना हर साल किन पुस्तकालयों को दिया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश—

शिक्षा बजट में सार्वजनिक पुस्तकालयों के अनुदान हेतु विभिन्न वर्षों में निर्दिष्ट प्राविधान (२८–शिक्षा प्लान/नान-प्लान) में से शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान का विवरण संलग्न तालिका† में दिया गया है ।

*२—श्री द्विजेन्द्रनारायण (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा कौन-कौन समाचार-पत्र या मासिक-पत्रिकायें इन पुस्तकालयों, वाचनालयों के लिये स्वीकृत हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इन अनुदान प्राप्त पुस्तकालयों के लिये शासन द्वारा कोई समाचार-पत्र या मासिक पत्रिकायें स्वीकृत नहीं हैं ।

*३—श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच) तथा श्री मंगलप्रसाद आर्य (जिला बहराइच)—

[स्थगित किया गया ।]

*४—श्री मेड़ीलाल (जिला बाराबंकी)—

[स्थगित किया गया ।]

*५–६—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

[स्थगित किये गये ।]

*७—९—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

[स्थगित किये गये ।]

श्री रामाधार अग्निहोत्री, लेक्चरार, मंगलसेन इंटर कालेज, शाहजहांपुर का वेतन

*१०—श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री २० दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न १०० के उत्तर के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन के परिपत्र राजाज्ञा सं० ई०–१५११/१५१८/१३०-६०, दिनांक २६ सितम्बर, १९६१ के अनुसार क्या कोई ऐसा आदेश था कि श्री रामाधार अग्निहोत्री, लेक्चरर, श्री मंगलसेन इंटर कालेज, शाहजहांपुर को वेतन आदि दिया जावे ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि श्री अग्निहोत्री को फरवरी, १९६२ से दिसम्बर, १९६३ तक वेतन हर माह दिया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो किस-किस महीने का किस-किस तारीखों में कितने वेतन की किस्त दी गई ?

---

†छापी नहीं गई ।

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां, ऐसे आदेश थे ।

विद्यालय के अनुपालन अनुदान से श्री अग्निहोत्री को फरवरी, १९६२ से मार्च, १९६३ तक का वेतन दिया गया । और बाकी वेतन के लिये जिला विद्यालय निरीक्षक को आदेश दिये गये हैं कि वे उसका भुगतान शीघ्र ही कर दें ।]

इसकी तालिका संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८५ पर)

*११—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

[स्थगित किया गया ।]

बलिया व मुरादाबाद जिलों के सहायता प्राप्त स्कूलों से संबंधित क्रीड़ा स्थल

*१२—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जिला मुरादाबाद एवं बलिया में जिन हाई स्कूल और कालेजों को सरकार ग्रान्ट इन एड तथा दूसरी आर्थिक सहायता देती है उनमें कौन कौन से हाई स्कूल और कालेज ऐसे हैं जिनके पास खेलने के मैदान नहीं हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

अभीष्ट सूचना संलग्न तालिका 'क' तथा 'ख' में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८६–८८ पर)

श्री रियासत हुसैन—

यह देखते हुये कि यह काफी लम्बी सूची है, तो जो स्कूल ऐसे हैं जिन्हें सरकार ग्रान्ट इन एड देती है और उसमें प्ले ग्राउन्ड का प्रबन्ध नहीं है, उनको सरकार कोई ऐसा आदेश समय निश्चित करके देगी कि इतने समय के अन्दर खेल के मैदान का प्रबन्ध वह करें ?

श्री कैलाशप्रकाश—

शासन यह चाहता है कि विद्यालयों में प्ले ग्राउन्ड का प्रबन्ध हो और यह कार्य केवल आदेश देने से ही पूरा नहीं हो सकता है क्योंकि विद्यालय कहां स्थित है उनके पास कहां भूमि प्राप्त है, इन सब चीजों का सवाल उठता है और क्योंकि शासन इस बात को पसन्द करता है इसलिये अनुदान देने की एक विशेष योजना प्लान में मौजूद है कि जो विद्यालय अपने यहां क्रीड़ा-स्थल बनाना चाहते हैं, उनको विशेष रूप से उसी कार्य के लिये अनुदान दिया जाता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि खेल के मैदान के लिये अनुदान देने का जो प्राविधान है वह प्रदेश में सम्भवतः पचास से कम ही स्कूलों को प्रतिवर्ष है, और प्रदेश में हजारों की तादाद में खेल के मैदान के बिना हायर सेकेन्डरी स्कूल है, तो उनको यह अनुदान कितने वर्षों में दे सकेंगे, इसकी कोई तालिका उनके पास है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

यह बात तो सही है कि अनुदान देने का प्रबन्ध बहुत कम विद्यालयों को है और जितना प्राविधान इस समय है, या जितनों को दे सकते हैं उनकी संख्या को देखते हुये तथा जितने ऐसे हैं जिनके पास क्रीड़ा-स्थल नहीं है उनकी संख्या को देखते हुये यह एक गणित का प्रश्न हो जाता है । जैसा मैंने निवेदन किया हम चाहते हैं लेकिन हमको जो सीमित धनराशि उपलब्ध है उसको देखते हुये ही अनुदान दिया जा सकता है ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन विद्यालयों को यह ग्रान्ट इन एड देते हैं उसकी तसदीक किस एजेन्सी से कराते हैं कि जिस काम के लिये रुपया दिया गया है वह रुपया उस काम में लाया गया ?

श्री अध्यक्ष—

अब यह प्रश्न तो अलग है । यहां तो शिकायत यह है कि दे नहीं पाते हैं ।

चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)—

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ऐसा कोई आदेश म्युनिसिपल बोर्डों को देगी कि जिन स्कूलों के पास मैदान न हों वह बोर्ड की जमीन को खेल के मैदान के रूप में इस्तेमाल कर सकें ?

श्री कैलाशप्रकाश—

कुछ मामलों में आदेश देना सम्भव भी नहीं होता है । मैंने निवेदन किया कि शासन चाहता है कि इस बात को कि विद्यालयों के पास क्रीड़ास्थल हो और इसके लिये जहां कहीं सुझाव देने की आवश्यकता होती है अथवा जैसा मैंने निवेदन किया अनुदान हम जिस हद तक दे सकते हैं वह देने का प्रयास करते हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि देहाती और शहरी क्षेत्रों में एक ही धनराशि ५ हजार रुपये की इसके लिये है तो इसका ख्याल करते हुये कि शहरी क्षेत्रों में ५ हजार रुपये की धन-राशि से कोई खेल का मैदान नहीं खरीदा जा सकता, क्या इस धनराशि में बढ़ोत्तरी करने की कोई योजना उनके पास है ?

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि हमारे पास रुपया नहीं है, हम ज्यादा आदमियों को नहीं दे सकते और आप कहते हैं कि बढ़ा दीजिये, तो जो थोड़ा बहुत मिलता है वह भी नहीं मिलेगा ।

श्री रियासत हुसैन—

इस बात को देखते हुये कि खेल के मैदानों की बहुत जरूरत है कोई प्रबन्ध मंत्री जी ऐसा करेंगे कि जिन स्कूलों के पास खेल के मैदान हैं उनसे कहा जाय कि जिनके पास नहीं हैं जब तक वे अपना इंतजाम न कर लें तब तक उनके प्ले ग्राउन्ड का इस्तेमाल कर सकें ?

श्री कैलाशप्रकाश—

प्राय: विद्यालयों का प्रबन्ध मैनेजमेंट कमेटियों के हाथ में होता है जो अपनी व्यवस्था स्वयं करती हैं । माननीय सदस्यों के सहयोग से यदि किन्हीं विद्यालयों में इस तरह का समझौता हो जाय तो जो सरकार के सहयोग की आवश्यकता होगी वह सदा उपलब्ध रहेगी ।

नजीबाबाद–भागूवाला–हरिद्वार सड़क

*१३—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नजीबाबाद हरद्वार-रोड भागवाला गांव तक बना कर तोड़ दी गयी है ? क्या यह रोड भागवाला तक ही रहेगी या हरिद्वार तक पूरी की जायगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)--

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नजीबादाद-नांगल सड़क के ५वें मील में भागूबाला ग्राम तक एक लिंक रोड बनाई जा रही है । भागबाला से आगे हरिद्वार तक सड़क बनाने की इस समय कोई योजना नहीं है ।

*१४--श्री श्रीराम--

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि गत १९६३ के बजट में बिजनौर जिला में नजीबाबाद बालावाली रोड के बनाने के लिये जो रुपया रक्खा गया था वह रुपया नजीबाबाद वालावाली रोड बनाने के लिये किन कारणों से सरकार द्वारा व्यय नहीं किया गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

नजीबाबाद से नांगल तक की सड़क पक्की है और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन है । नांगल से बालावाली तक की सड़क कच्ची है और वह जिला परिषद्, बिजनौर के अन्तर्गत है । सार्वजनिक निर्माण विभाग की किसी योजना में नांगल बालावाली सड़क को पक्का करने का प्राविधान नहीं है इसलिये इसको बनाने के लिये १९६३ के बजट में प्राविधान होने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्रीराम--

माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि भागूवाला गांव छोटा-सा गांव है क्या वह कोई विशेष महत्व रखता है कि जिसके कारण वहां ५ मील पक्की सड़क बनाई गई ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

नांगल से भागूवाला हो कर हरिद्वार तक मिलाया जा सकता है । इस समय यह ५ मील की सड़क बन गई है । आगे जब मौका होगा तो हरिद्वार तक उसको ले जा सकते हैं । इसलिये जो भी रास्ते में गांव पड़ेंगे उनका महत्व तो होता ही है ।

श्री श्रीराम--

मंत्री जी ने १४ के लिखित उत्तर में कहा है कि --"नांगल से बालावाली को कोई सड़क बनाने का विचार नहीं है ।" लेकिन पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी इस सड़क को बनाने के लिये रुपया रखा गया है । तो क्या मंत्री जी इस विषय में सुधार करने की कोशिश करेंगे जो उन्होंने उत्तर में कहा है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

मेरे पास जो सूचना है उसमें नांगल से नजीबाबाद तक की सड़क के बारे में है जो पक्की है । नांगल से बालावाली के लिये कोई सूचना नहीं है । यदि माननीय सदस्य की सूचना सही होगी और रुपया लिया गया होगा तो वह सड़क अवश्य बन जायगी ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि प्रान्त के अन्दर एकमात्र बालावाली ग्लास फैक्टरी है उसको बाहर सामान भेजना बहुत कठिन हो जाता है रेलवे बैगनों के न मिलने के कारण, तो अगर यह ५ मील का टुकड़ा बन जाय तो यह सड़क नजीबाबाद से मिलाई जा सकती है और वहां से माल बाहर एक्सपोर्ट किया जा सकता है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

माननीय सदस्य ने जो बात बताई है उसके महत्व को सरकार समझती है लेकिन पैसे का प्रबन्ध नहीं है । जब पैसे का प्रबन्ध हो जायगा तो जरूर उस सड़क को बना लेंगे ।

टनकपुर–हरद्वार सड़क

*१५—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टनकपुर-हरद्वार रोड में कोसी नदी पर वह पुल बनाने जा रही है ? यदि हां, तो यह कार्य कब शुरू होगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं ।

इस समय इस पुल के निर्माण की कोई योजना नहीं है ।

श्री ऊदल—

टनकपुर से हरिद्वार सड़क के महत्व को देखते हुये और वहां के पिछड़े हुये इलाके को देखते हुये अगर उसको इस वक्त लेने का विचार नहीं है तो जो आगे की योजना बनेगी उसमें उसको शामिल करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

टनकपुर से हरिद्वार सड़क का बड़ा महत्व है । लेकिन यही नहीं बहुत से पुल और बहुत-सी सड़कें महत्वपूर्ण हैं और उन्हें बनाने का विचार है । जैसे-जैसे पैसा मिलता जायगा, उसको बनाते चलेंगे ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि यह सड़क बड़ी महत्व की है और यह बार्डर एरिया की सड़क है तो यहां मेटल्ड रोड कब बनेगी और कार्य उस पर शुरू हो गया या नहीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

पहाड़ी इलाके में बहुत ही महत्वपूर्ण सड़कें हैं और वे धीरे-धीरे बनाई जा रही हैं । इसका भी नम्बर आ ही जायगा ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि यह बार्डर एरिया की महत्वपूर्ण सड़क है, इसके बारे में केन्द्रीय सरकार से कोई सिफारिश करेंगे कि बार्डर की महत्वपूर्ण सड़क होने के नाते इसको भी डिफेन्स प्रोग्राम में ले लें और वहां पर उसको बनाने का विचार करें ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जितनी भी सड़कें बार्डर पर बनाई जा रही हैं वह सब महत्वपूर्ण हैं और डिफेन्स भी उनको महत्वपूर्ण समझता है और केन्द्रीय सरकार उनके लिये पैसा भी खर्च करती है । इस सड़क की बाबत हम विचार करेंगे और सेन्ट्रल गवर्नमेंट से कहेंगे कि वह इस सड़क को बना दे ।

बिसवां–जहांगीराबाद व बिसवां–सिधौली सड़क

*१६—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में बिसवां से जहांगीराबाद होती हुई बहराइच जाने वाली सड़क पर पुलियां तथा पुल कब तक बन जायेंगे जिससे कि जो सड़क बन गयी है उस पर यातायात सुलभ हो सक ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

प्रश्नगत मार्ग पर छोटी-छोटी पुलियां जून, १९६५ तक पूर्ण रूप स बन जायेंगी इस सड़क पर बड़े-बड़े पुल बनाने की इस समय कोई योजना नहीं है ।

*१७--श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिसवां से सिधौली जाने वाली सड़क को जो लखनऊ से सीतापुर जाने वाली सड़क से मिलती है जिस पर रोडवेज तथा अन्य वाहनों का अत्याधिक यातायात है कब तक Tarred करने की योजना है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

प्रश्नगत सड़क पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तारकोल बिछाने की अभी कोई योजना नहीं है ।

श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा--

क्या माननीय मंत्री जी बिसवां से जहांगीराबाद होती हुई बहराइच जाने वाली सड़क का महत्व को देखते हुये कि उस पर बड़ी-बड़ी नदियां हैं, नय ब्रिज बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

इस पर विचार जरूर किया जायगा ।

श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा--

क्या मंत्री जी को विदित है कि बिसवां से सिधौली सड़क, जो लखनऊ शाहजहांपुर-बरेली सड़क को ज्वाइन करती है और एक तरह से नेशनल हाई वे में शुमार होती है, इस सड़क पर यातायात बहुत है, तो इसको इस वर्ष या अगले वर्ष तारकोल पेन्टेड करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

इस समय तो सम्भव नहीं होगा । आगे सोचा जायगा कि कब कर सकत हैं ।

लेबर कोआपरेटिव सोसाइटीज

*१८--श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री के कोई ऐसी योजना विचाराधीन है कि सड़क निर्माण, मरम्मत आदि के औसत दर्जे के कार्यों का ठेका लेबर कोआपरेटिव्ज को ही दिया जाय जिससे कि अनुदान के रुपये का सही इस्तेमाल हो और भ्रष्टाचार भी मिनिमाइज हो जाय ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

यह तो सम्भव नहीं है कि औसत दर्जे के सभी कार्यों का ठका कोआपरेटिव सोसाइटीज को ही दिया जाय । परन्तु सरकार कोआपरेटिव सोसाइटीज को प्रोत्साहन देना चाहती है और इस संबंध में विभाग द्वारा आदेश भी जारी हो चुके हैं ।

श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितनी लबर कोआपरेटिव चल रही हैं जिनको ठेका दिया गया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

अभी तक लेबर कोआपरेटिव सोसाइटी की संख्या लगभग नहीं के बराबर है इसलिये काम भी ज्यादा नहीं दिया जा सका ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि संख्या बिलकुल नहीं के बराबर है या बिलकुल नहीं है। अगर एक भी संख्या लबर कोआपरेटिव की है और उसने एप्लीकेशन दी है तो उसको ठेका क्यों नहीं दिया गया ? क्या माननीय मंत्री जी स्पेसिफिक प्राविन्शियल या टेम्पोरेरी डिवीजन में गोरखपुर लेबर कोआपरेटिव की एप्लीकेशन के बावजूद भी उनको ठेका न देने का क्या कारण है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

अल्मोड़ा और मेरठ में इन सोसाइटीज ने कुछ काम मांगा और इनको दिया गया और कुछ काम अच्छा हुआ। बाकी ऐसी सूचना यदि मेरे पास आयेगी कि कोआपरेटिव सोसाइटी ने काम मांगा और उनको नहीं दिया गया तो उसका कारण जानने की कोशिश करूंगा। अगर उचित कारण नहीं होगा तो उनको काम देने की कोशिश की जायगी।

श्री कल्पनाथसिंह—

उचित कारणों में वे कौन-कौन से कारण हैं जिनके आधार पर कोआपरेटिव सोसाइटी को ठेका नहीं दिया जा सकता है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस संबंध में कुछ शर्तें होती हैं। वे पालन न की जायं तो उनको काम नहीं दिया जा सकता। जो आदेश दिये गये हैं उनमें वे बातें बतलाई गई हैं। उसके सिलसिले में मैं थोड़ा आपको बतला भी दूंगा।

सरकार ने अपने आदेश में तय किया है कि २,००० रुपये तक लागत के निर्माण कार्य रजिस्टर्ड सहकारी समितियों, श्रम सहकारी यूनियनों, भारत सेवक समाज आदि को औसत टेंडर दरों पर कराय जाने हेतु समस्त अभियन्ताओं को आदश द दिये गये हैं और यह सीमा १०,००० रुपये तक ले जाने पर विचार किया जा रहा है। २,००० रुपये तक के काम गांव सभा आदि से कराये जाने के आदेश हैं। सरकार ने ७,५०० रुपये तक के निर्माण कार्य आवश्यक तथा विशेष परिस्थितियों में कराने के आदेश दे दिये हैं। यह शर्तें है।

श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—

क्या मंत्री जी को पता है कि इस विभाग में भ्रष्टाचार है और बिना रिश्वत दिये टेंडर पास नहीं होते, न बिल बनते हैं, इसीलिये लेबर सोसाइटीज को कोई ठेका आदि नहीं मिलता ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

भ्रष्टाचार की जानकारी मुझसे ज्यादा माननीय सदस्य को होगी, लेकिन अगर किसी सोसाइटी विशेष की बात मुझे बतायी जाय तो मैं जांच करा कर बतला सकता हूं।

श्री कल्पनाथसिंह—

माननीय मंत्री जी ने जो २,००० रुपये तक की बात कही है उसके लिये यदि कोई सोसाइटी अधिक क्षमता वाली है और अधिक काम करा सकती है तो उसे बड़ा काम देने में उनको क्या दिक्कत है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मैंने साढ़े सात हजार तक की बात कही है और इस सीमा को १०,००० तक बढ़ाने का इरादा है।

*१९–२१—श्री रियासत हुसैन तथा श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

[स्थगित किये गये।]

*२२—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

[स्थगित किया गया।]

वाराणसी घाट

*२३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी के घाटों में अब तक कितना धन व्यय हो चुका है तथा बचे हुये घाटों में कितना धन व्यय करने की योजना है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

वाराणसी के घाटों पर ३१ जनवरी, १९६४ तक कुल ७७,९६,९१२ रु० व्यय हो चुका है और ३८,८५,७८८ रु० का कार्य होना शेष है।

*२४—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि प्रदेश में कितने और किन-किन घाटों को बनाने की योजना सरकार ने बनायी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

वाराणसी के घाटों के अतिरिक्त निम्नलिखित घाटों की सुरक्षा की योजना सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनायी जा चुकी है :—

१—जैन मन्दिर घाट, अयोध्या।

२—बाबाजी घाट, मिर्जापुर।

३—मथुरा के घाट।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि वाराणसी का लाल घाट, जिसकी मरम्मत तीन, चार साल हुए हुई थी और जिस पर लाखों रुपया व्यय हुआ था, कई स्थानों पर टूट गया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या मंत्री जी के पास इलाहाबाद के मनकामेश्वर घाट की मरम्मत कराने का कोई प्रार्थना-पत्र आया है ? यदि नहीं, तो क्या मेरे प्रश्न को सूचना मान कर वे इस पर विचार करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस संबंध में मेरे पास कोई सूचना नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उस पर विचार किया जायगा।

*२५–२६—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—

[स्थगित किये गये।]

सेंट ऐंड्रूज जे० टी० सी० कालेज का अनुदान

*२७—श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले का जे० टी० सी० ट्रेनिंग कालेज तोड़ दिया गया ? यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

गोरखपुर जिले में स्थित दो जे० टी० सी० संस्थाओं (एक राजकीय और दूसरी अराजकीय) में से एक अराजकीय (सेन्ट ऐन्ड्रयूज हायर सेकेंडरी स्कूल से संलग्न) संस्था ने १९६३–६४ से प्रथम वर्षीय कक्षा बन्द कर दी है। कक्षा बन्द करने का कारण आर्थिक तथा अन्य कठिनाइयां बतलायी गयी हैं।

*२८—श्री दुर्योधन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त ट्रेनिंग कालेज को हर साल सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जाता था ?

श्री कैलाशप्रकाश—

सेन्ट ऐन्ड्रयूज जे० टी० सी० कालेज को वित्तीय वर्ष १९५६–५७ से १९६२–६३ तक निम्नलिखित अनुदान दिया गया था :—

वित्तीय वर्ष	नाम अनुदान				
	अनुपालन	भवन	काष्ठोपकरण	सज्जा	पुस्तकालय
१	२	३	४	५	६
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१९५६–५७	१,२००	..	..	..	..
१९५७–५८	६००	..	..	..	..
१९५८–५९	७००	..	..	..	..
१९५९–६०	४०१	..	..	..	..
१९६०–६१	७१३	..	..	..	..
१९६१–६२	१,८००	२,०००	..	..	३००
१९६२–६३	१,९९२	४,०००	५००	२००	३००

श्री दुर्योधन—

धनाभाव के अलावा अन्य कौन-कौन-सी मुख्य कठिनाइयां थीं जिनके कारण जे० टी० सी० कक्षाएं बन्द कर दी गयीं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

यह क्लासेज सेंट ऐन्ड्रयूज कालेज में चलती थीं, उसने १९६३-६४ से चलाना मुनासिब नहीं समझा। शासन या विभाग से इस तरह की आज्ञा भी नहीं ली गयी, कठिनाई वित्तीय और स्थान की बतलायी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आज जो जे० टी० सी० भवन है उसको प्रायमरी स्कूल के कार्य में इस्तेमाल किया जा रहा है और जिसमें कि जनता से भी धन लिया गया और सरकार भी १४,६०० रुपया विभिन्न मदों में दे चुकी है, तो जिन्होंने पैसा दिया उसको वापस कराने की कृपा करेंगे, क्योंकि वह कार्मशियल बेसिस पर चलाया जा रहा है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

जहांतक धन वालों ने धन दिया है वह तो दान के रूप में कमेटी को दिया है जोकि स्कूल की है। विभाग उसमें क्या कर सकता है, दान मांगने वालों ने मांगा, उन्होंने दिया। [illegible], विभाग ने जो उनको धन दिया है उसके बारे में उस संस्था से पूछ-ताछ कर रहे हैं ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

क्या यह सही है कि सेंट एन्ड्रयूज का लिज कीतरफ से रिप्रेजेंटेशन आया कि जे० टी० सी० कक्षाएं तोड़ दी जायं और उस रिप्रेजेंटेशन और प्रेशर में आकर के ऐसा किया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश--

मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री ऊदल--

इस बात को देखते हुए कि गोरखपुर हमारा पूर्वी इलाका है और उसकी आवश्यकता को देखते हुये कि लड़कों को ट्रेनिंग के लिये बहुत दूर जाना पड़ेगा, क्या शिक्षा मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि वहां कोई दूसरा जे० टी० सी० सेंटर ट्रेनिंग के लिये खोल दिया जाय ?

श्री कैलाशप्रकाश--

यदि कोई संस्था का प्रार्थना-पत्र आवेगा और वह इस कार्य को कर सकेगी तो जरूर विचार किया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

जो अनुदान १९६२-६३ में १,९९२ रुपये का दिया गया उसमें कितना रुपया अनुदान के लिये मांगा गया था ?

श्री कैलाशप्रकाश--

उसका ब्योरा मेरे पास नहीं है।

श्री कल्पनाथसिंह--

सेंट एण्ड्रयूज कालेज की जे० टी० सी० क्लासेज रन कराने के लिये जो आवेदन-पत्र आया था सरकार के पास उसकी शर्तें पूरी थीं तो फिर जब कालेज ने यह अप्लीकेशन दी कि नहीं, हमको कालेज बन्द करने की इजाजत दीजिये तो कौन सी ऐसी शर्त थी जो बाद में पूरी नहीं की गयी जिसके आधार पर सरकार ने इजाजत दी कि वह बन्द किया जाय ?

श्री कैलाशप्रकाश--

मैंने तो श्रीमन्, यह निवेदन किया नहीं कि इजाजत दी। वह तो संस्था न स्वयं बन्द कर दिया।

श्री कल्पनाथसिंह--

जब उसके क्लासेज चले तो उसका एक प्रारूप तैयार हुआ कि इन शर्तों के अनुसार उसके क्लासेज चलेंगे। सरकार की नोटिस में वह आया। फिर कौन सी बात हो गयी जिसके कारण सरकार ने उनको बन्द करने की इजाजत दे दी ?

श्री कैलाशप्रकाश--

यह संस्था जे० टी० सी० के क्लासेज चला रही थी। चलाती रहती तो अच्छी बात थी, मगर उन्होंने स्वयं ही उसको पिछले वर्ष से बन्द करना मुनासिब समझा।

*२९--श्री रक्षपालसिंह, श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद) तथा श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)--

[स्थगित किया गया।]

*३०-३१--श्री द्वारकाप्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)--

[स्थगित किये गये।]

*३२--श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)--

[स्थगित किया गया।]

दुद्धी तहसील में रेलवे लाइन का निर्माण

*३३--श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)--

क्या यह बात सही है कि तहसील दुद्धी, जिला मिर्जापुर के मरचा ढोंढी (रणछोर) नामक ग्राम में रेलवे विभाग ने भूमि को नियमतः प्राप्त किये बिना ही रेलवे लाइन का निर्माण शुरू कर दिया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

रेलवे विभाग ने लाइन का निर्माण सम्बन्धी कृषकों की अनुमति से आरम्भ किया है।

*३४--श्री रामप्यारे (अनुपस्थित)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त ग्राम में हरिजनों, आदिवासियों तथा पिछड़ी जाति के कृषकों के मकानों के चारों ओर बड़े-बड़े गड्ढे बना दिये गये हैं तथा उनकी फसलों को नष्ट कर दिया है। यदि हां, तो क्या सरकार इस कष्ट से जनता की सम्पत्ति की तत्काल रक्षा करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

रेलवे विभाग ने कुछ गड्ढे मकानों के आसपास मिट्टी प्राप्त करने के लिए बनाये हैं। जो फसलें नष्ट हुई हैं, उसकी क्षति की पूर्ति रेलवे विभाग द्वारा की जायेगी।

*३५--श्री रामप्यारे (अनुपस्थित)--

क्या सरकार इस प्रकार के कार्य से कृषकों को जो रेलवे विभाग ने क्षति पहुंचायी है रेलवे विभाग से क्षति पूर्ति तत्काल दिलवाने की व्यवस्था करेगी तथा गैर कानूनी कार्य के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को दण्ड की व्यवस्था करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

क्षति की सची बना ली गई है। कृषकों को मुआवजा, मय सूद के, शीघ्र ही भुगतान किया जायेगा। चूंकि कार्य कृषकों की अनुमति से आरम्भ हुआ है, अतः सम्बन्धित अधिकारियों को दण्ड देने का प्रश्न नहीं उठता।

सहारनपुर के लिये बाढ़ नियंत्रण योजना

*३६—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि धमोली नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ आ जाने से सहारनपुर नगर में मुहल्ला नुमाइश कैम्प को जो खतरा पैदा हो जाता है उसका कोई पक्का प्रबन्ध क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

सहारनपुर नगर के नुमाइश कैम्प मुहल्ला को धमोला नदी की बाढ़ से बचाने के लिये एक योजना बनाई जा रही है। राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा योजना स्वीकृत होने के बाद उस पर कार्य आरम्भ किया जायगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के पास यह योजना कब तक पहुंच जायेगी और कब तक इस योजना के पूरी हो जाने का ख्याल है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

मुझे खेद है कि इस योजना के बनने में आवश्यकता से अधिक समय लग गया। जून ६१ में यह प्रश्न उठा था और विभाग द्वारा अभी तक यह योजना फ्लड कंट्रोल बोर्ड के पास नहीं गयी। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके यह योजना उनके पास जाय और कार्य शीघ्र प्रारम्भ हो।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

इस आश्वासन के साथ-साथ क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न पर भी विचार करेंगे कि इस पर पिछले वर्षों में जो इतना अधिक खर्चा होता रहा है जो सब बेकार गया है, उसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

यह तो एक बहुत लम्बी बात कही गयी है। यदि इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य कोई खास बात की सूचना मुझे देंगे तो मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा।

[२० मार्च, १९६४ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-२—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

[हटा दिया गया।]

छात्रों को आर्थिक सहायता

*३—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गंगा, घाघरा आदि प्रदेश की नदियों के भीषण कटाव के कारण निराश्रित एवं रोजी विहीन हजारों परिवार के लाखों बच्चों को जो धनाभाव के कारण नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ने की सुविधा देने की योजना पर विचार करेंगे ? यदि हां तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—

प्रदेश में निर्धन छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की बहुत सी योजनायें चालू हैं। इनके अन्तर्गत ऐसे छात्र भी लाभान्वित होते हैं जिन्हें दैवी संकट के कारण अध्ययन क लिये आर्थिक सहायता की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त राजस्व (अभाव) विभाग द्वारा भी प्रति वर्ष बाढ़ पीड़ित विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाती है। किन्तु फिर भी यदि ऐसे कुछ विद्यार्थी रह जाते हैं जो उपर्युक्त योजनाओं के अन्तर्गत आर्थिक सहायता नहीं प्राप्त कर पाते, तो उनके मामलों को शासन द्वारा विचार किया जा सकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि बाढ़ पीड़ित छात्रों के लिये तो प्राविजन राजस्व विभाग द्वारा रहता है मगर कटाव पीड़ित छात्रों के लिये नहीं। तो क्या वे कटाव पीड़ित छात्रों के लिये भी कोई प्रावीजन करेंगे?

श्री कैलाशप्रकाश—

ऐसे सामान्य आदेश देना तो उचित नहीं होगा। यदि कहीं ऐसी विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री कल्पनाथसिंह—

वह कौन-सा माप दंड है जिससे विद्यार्थी इस योजना को समझ कर लाभान्वित हो सकें?

श्री कैलाशप्रकाश—

जैसे कहीं बाढ़ या कटाव आदि से बहुत बड़ी संख्या ऐसी हो जो सामान्य रूप से लाभान्वित न हो सके, ऐसे मामलों पर विचार किया जाता है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन जिलों में कटाव और बाढ़ आयी उन जिलों को ऐसे आदेश भेजेंगे कि वहां के छात्रों को सहायता दी जाय और उनकी फीस माफ की जाय?

श्री कैलाशप्रकाश—

बाढ़ के लिये तो आदेश गये थे और पृथक से प्राविधान किया था।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

क्या मंत्री जी कलेक्टर को आदेश देंगे कि वह जरूरत के मुताबिक छात्रों को फीस माफी की सुविधा दे सकें?

श्री कैलाशप्रकाश—

सामान्य व्यवस्था तो है ही, विशेष परिस्थिति में विचार करना होगा।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स को ऐसे आदेश देने में सरकार को क्या कठिनाई है कि वह प्रार्थना-पत्र आने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर लें?

श्री कैलाशप्रकाश—

सरकार की कठिनाई कुछ नहीं है। लेकिन धन के प्राविधान के लिये जो प्रक्रिया उसे पूरा करना होता है। बहुधा यह होता है कि जिस चीज के लिये सदन से स्वीकृति नहीं ली जाती है तो वह शासन नहीं कर सकता है। इसलिये उस प्रक्रिया को पूरा करना ही पड़ता है।

श्री कल्पनाथसिंह—

क्या मंत्री जी सदन के सामने ऐसी ग्रान्ट लावेंगे ताकि वह पास होकर मंत्री जी को ऐसा अधिकार मिल सके ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जिन विशिष्ट वर्ग के विद्यार्थियों के लिये माननीय सदस्य चाहते हैं यदि उसकी सूचना दे दें तो उस पर विचार किया जा सकता है।

*४-५—श्री उग्रसेन तथा श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*६-७—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

[स्थगित किये गये।]

राजापुर के निकट यमुना पर पुल की आवश्यकता

*८—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजापुर, जिला बांदा और महेवाघाट, जिला इलाहाबाद के बीच जमुना नदी पर पीपों का पुल बनाने का कोई प्लान है ? यदि हां, तो क्या और वह कब तक लागू हो जायेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं, इस समय इस पुल के बनाने का कोई प्लान नहीं है।

श्री नाथूराम शिक्षक—

राजापुर तुलसीदास जी की जन्मभूमि है और गल्ले की बड़ी मंडी है, ठेकेदार गल्ला लाने वालों को परेशान करते हैं। तो क्या सरकार कृपा करके वहां पीपों का पुल जल्द बनवाने का कष्ट करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस पुल के बनवाने में १६ लाख रुपये का अनुमान है। इस पुल के महत्व को मैं खूब समझता हूं और रुपये मिलते ही भविष्य में इसे बनवा दिया जायगा।

श्री उग्रसेन—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भविष्य से उनका मतलब वह है जो चिट्ठी उन्होंने चौथी योजना के लिये सबको भेजी है ?

श्री अध्यक्ष—

जवाब में लिखा है कि इस समय नहीं हो सकता है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी पीपे का पुल बनवायेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

पीपे का ही तो अनुमान मैंने १६ लाख बताया है। पक्के में तो ५०-६० लाख रुपया लगेगा।

*९-११--श्री सुक्खनलाल (जिला मुरादाबाद) तथा श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)--

[स्थगित किये गये।]

प्रधानाचार्य, राजकीय कालेज, बस्ती के खिलाफ शिकायतें

*१२--श्री रामलखनसिंह (जिला बस्ती) (अनुपस्थित) तथा श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानाचार्य, राजकीय कालेज, बस्ती के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत सरकार के पास आयी है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

जी हां, आई है।

*१३--श्री रामलखनसिंह (अनुपस्थित) तथा श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (अनुपस्थित)--

क्या सरकार ऐसे कर्मचारी को मुअत्तल करके जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश--

इस संबंध में आवश्यक जांच की जा चुकी है पर प्रधानाचार्य के विरुद्ध प्राप्त भ्रष्टाचार की शिकायतों में कोई सत्यता नहीं पाई गई। अतः प्रधानाचार्य को मुअत्तल करने का प्रश्न नहीं उठता।

*१४-१६--श्री रियासत हुसैन--

[हटा दिया गया।]

एच० टी० सी० सेंटर, पीलीभीत से नौबतसिंह को हटाना

*१७--श्री जुगलकिशोर (जिला बदायूं)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एच० टी० सी० सेन्टर, पीलीभीत से नौबतसिंह नाम का एक ट्रेनी ट्रेनिंग से निकाला गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश--

जी हां, क्योंकि उन के दोनों पैरों में शारीरिक अयोग्यता और दोष था जिसके कारण वे शारीरिक व्यायाम जो एक अनिवार्य विषय है नहीं कर सकते थे।

श्री जुगलकिशोर--

क्या यह सत्य है कि मेडिकल फिटनेस का सर्टीफिकेट सिविल सर्जन बदायूं ने दिया जिसके आधार पर इसका एडमीशन हुआ ?

श्री कैलाशप्रकाश--

सिविल सर्जन के द्वारा तो नहीं लेकिन, हां, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ आफिसर द्वारा उसे एक सर्टीफिकेट दिया गया था जिसमें लिखा था कि इनके दोनों पैरों में डिफार्मिटी है।

श्री जुगलकिशोर—

ऐडमिशन के कितने दिन बाद ये ट्रेनिंग से निकाले गये ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जुलाई में यह शुरू होता है और अगस्त में निकाले गये। निश्चित तिथि तो मालूम नहीं है।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब उस व्यक्ति की भर्ती उस ट्रेनिंग के जमाने में हुई तो उस वक्त मेडिकल रिपोर्ट क्या थी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

व्यवस्था ऐसी है कि पहले चुनाव होता है और वह शिक्षा योग्यता के अनुसार होता है और उसमें स्वस्थता का प्रमाणपत्र लाने की शर्त होती है। अतः इन सज्जन ने डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ से प्रमाण-पत्र लिया। उन्होंने यह लिखा कि इसके दोनों पैरों में गड़बड़ी है लेकिन वैसे उनको कोई बीमारी नहीं है और मेरे विचार से उनके पढ़ने में कोई दिक्कत न होगी। चूंकि जिला हेल्थ आफिसर ने एक राय जाहिर कर दी थी उनके बारे में इसलिये वहां के प्रिंसिपल ने उस केस को डिप्टी डायरेक्टर (रीजन) के पास अन्तिम निर्णय के लिये भेज दिया। उन्होंने यह देखकर कि पैर खराब होने के कारण वे शारीरिक व्यायाम नहीं ले सकते हैं इसलिये न तो ट्रेनिंग ठीक प्रकार से ले सकते हैं और बाद में न अच्छे शिक्षक ही बन सकते हैं, इसलिये उनको वहां रखना मुनासिब न समझा।

शिक्षा संस्थाओं में वेशभूषा

*१८—श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या राज्य सरकार शिक्षा संस्थाओं को ऐसा परिपत्र भेजने की कृपा करेगी कि वे अपने शिक्षार्थियों (छात्र तथा छात्रायें दोनों) को अत्यन्त उत्तेजक (प्रोवोकेटिव तथा चिपके हुये स्किन टाइट) पोशाक पहनने से नियमतः रोकें ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं।

श्री झारखण्डेराय—

क्या माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्न करने के भावों को समझ कर इस प्रकार की ड्रेस पहनने पर कोई प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं ? उसके लिये वे क्या उपाय करने जा रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

सामाजिक क्षेत्र में सरकार के अलावा समाज के कार्यकर्त्ताओं को कुछ मान्यतायें बनानी पड़ती हैं। वर्दी ढीली पहनी जाय या चुस्त पहनी जाय इसमें भी राय का सवाल हो सकता है। ऐसी अवस्था में यही मुनासिब है कि शिक्षा संस्थायें इस काम को अपने हाथ में लें। वहां पर प्रबन्धक समितियां होती हैं, विशिष्ट नागरिक भी होते हैं वे इस काम को ले सकते हैं और उन संस्थाओं में इस चीज को लागू करा सकते हैं। वहां वे ऐसी आम राय पैदा कर सकते हैं जो राष्ट्र के विचारों के अनुरूप हो।

श्री झारखण्डेराय--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि हमारे देश में नेशनल इन्ट्रीगेशन का सवाल है और चूंकि हमारे यहां जाति, गरीब अमीर का भेद भाव बड़ी मात्रा में है, जिसको मिटाने का लक्ष्य इस सरकार का भी है और कांग्रेस का भी है। तो क्या, सरकार इसके लिये कोई समान ड्रेस रखने पर विचार कर रही है? इसमें सरकार को कोई दिक्कत है?

श्री कैलाशप्रकाश--

वर्दी के विषय में एक प्रश्न आगे और आने वाला है नम्बर ४६-४७ पर, उसके सिलसिले में भी मैंने कुछ अर्ज किया है। वही सार्वजनिक कार्यकर्त्ता शासन में है और वही बाहर हैं। शासन के द्वारा किसी चीज को करने में पूरी व्यवस्था उसके लिये करनी होती है, और सरकार सदन से अधिकार लिये बिना कोई कार्य कर नहीं सकती है। यदि आपकी आज्ञा हो ४६-४७ का उत्तर भी पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष--

अगर सदन इसके लिये राजी हो तो प्रश्न संख्या ४६-४७ को भी इसी के साथ ले लिया जाय और माननीय मंत्री जी उनका जबाव पढ़ दें।

(सदन की अनुमति से प्रश्न संख्या ४६-४७ का उत्तर पढ़ा गया।)

मजदूरी की दरें

*१९--श्री कमलासिंह यादव--

क्या सरकार द्वितीय सत्र (१९६३) के दूसरे गुरुवार के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या २६ के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो मजदूरी की दरें मेट तथा मजदूर जो पी० डब्ल्यू० डी० की सड़कों पर काम करते हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों की जो दरों में भिन्नता है उसका एकीकरण करके पूर्वी जिलों में भी मजदूरी बढ़ाने के लिये कदम उठायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार ने कोई जी० ओ० सजायाफ्ता या प्रोबेशन पर छोड़े व्यक्तियों को पी० डब्ल्यू० डी० में लेबर का काम दिलाने के लिये जारी किया है? यदि हां, तो वह क्या है और जिलेवार कितने लोगों को काम दिलाया गया है?

श्री जगनप्रसाद रावत--

(क) मजदूरी की दरों का एकीकरण करना सम्भव नहीं है, क्योंकि यह दरें स्थानीय बाजार दर के अनुसार प्रत्येक जिले में निश्चय की जाती हैं।

(ख) प्रोबेशनर्श की नियुक्ति के लिये जारी किये गये जी० ओ० के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग में प्रोबेशनर्स को, गैंगमैन तथा ऐसे पद जो केवल क्लर्की के हैं, पर नियुक्त करने के आदेश हैं। कोई भी व्यक्ति नियुक्त नहीं किया गया।

श्री कमलासिंह यादव--

क्या यह सही है कि कांग्रेस तथा सरकार की नीति पूर्वी तथा पश्चिम जिले के मजदूरों की मजदूरी की दरों को एकीकरण करने के खिलाफ है और इसी वजह से पी० डब्ल्यू० डी० के अन्तर्गत गैनमैन के मजदूरों को मजदूरी देने की यह व्यवस्था है कि एक-सा तथा एक ही जगह काम करने पर भी पूर्वी जिले के मजदूरों को कम मजदूरी दी जाय और पश्चिमी जिले के मजदूरों को ज्यादा मजदूरी दी जाय?

श्री जगनप्रसाद रावत--

माननीय सदस्य का जो यह खयाल है वह सही नहीं है। मजदूरों की मजदूरी की दरें इस बात पर मुनहसिर होती है कि कहां पर मजदूर आसानी से मिल सकते हैं और कहां पर नहीं मिल सकते हैं। जहां पर नहीं मिलते हैं वहां पर मजदूरी की दरें ज्यादा देनी पड़ती हैं और जहां मिल जाते हैं वहां जो आम तौर पर मजदूरी की दरें होती हैं वे दी जाती हैं। अब जगह की दरों को देखना पड़ता है और कोई विशिष्ट कारण होता है तो उसका भी खयाल किया जाता है। इसमें पूरब, पश्चिम का कोई खयाल नहीं किया जाता।

श्री कमलासिंह यादव--

क्या यह सही है कि पटेल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है कि पूर्वी जिलों में मजदूरी की दरें बहुत कम हैं और इस नीति को देखते हुए कि वहां मजदूरी की दरें बहुत कम हैं और पश्चिमी जिलों में मजदूरी का रेट ज्यादा है, तो क्या सरकार इसको उपयुक्त नहीं समझती कि एक ही स्थान पर और एक ही किस्म का काम करने वाले पूर्वी तथा पश्चिमी जिले के मजदूरों को वही बढ़ी हुई मजदूरी दी जाय, खासकर पी० डब्ल्यू० डी० में जहां उनसे एक ही किस्म का काम लिया जाता है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

पूर्वी जिलों में मजदूरी की दर कम होने पर भी मजदूर मिल जाते हैं जबकि पश्चिमी जिलों में ज्यादा मजदूरी होने पर भी मजदूर नहीं मिलते हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि एक ही स्थान पर और एक जैसा ही काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी में आपके ही विभाग के अन्तर्गत १ और २ का अन्तर पात है ?

श्री अध्यक्ष--

इससे यह सवाल पैदा नहीं होता।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने कहा कि मजदूरी इस पर आधारित रहती है कि कहां मजदूर आसानी से मिल सकते हैं और कहां नहीं मिल सकते हैं और कहां कितनी मजदूरी देकर मिल सकते हैं, तो इसी सिलसिले में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि एक ही जगह पर एक जैसा काम करने वाले मजदूरों को इस वक्त दो तरह की मजदूरी मिल रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री उग्रसेन--

मंत्री जी ने जो अपने उत्तर में कहा कि पूर्व में मिल जाते हैं मजदूर और पश्चिम में नहीं मिलते, तो क्या सरकार उन की गरीबी से लाभ उठाना चाहती है और इसीलिये गरीबों को उसी काम के लिये कम पैसा दिया जाता है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

सरकार लाभ नहीं उठाना चाहती लेकिन आप के आदेशों का पालन करने के लिये जिस प्रकार हम काम कराना चाहते हैं।

श्री बलवानसिंह--

बाजार और जगह की बात को छोड़कर उनकी गरीबी का ख्याल कर के क्या सरकार कोई यूनिफार्म पालिसी बनायेगी जिससे गरीबों को अधिक पैसा मिले और पश्चिम के बजाय पूर्व में और अधिक पैसा देकर उन की गरीबी को दूर करने की कोशिश करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

देश में धन बढ़ेगा तो ज्यादा मजदूरी देने की कोशिश की जायगी।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

पूर्व में और पश्चिम में ५ रुपये के अन्तर की बात तो थी लेकिन चीफ इंजीनियर के यहां से और डिवीजनल इंजीनियर के यहां से लिखा गया कि बेलदार को ३८ रुपये के स्थान पर ४० रुपया दिया जाय और उस के अनुसार आजमगढ़ में ४० रुपया कर भी दिये गये थे लेकिन पिछले २ साल से इस बढ़ती हुई महंगाई में भी ३८ फिर कर दिये गये हैं तो क्या मंत्री जी इसको देखेंगे कि कम से कम यह कमी तो न की जाय ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

इस की जरूर जांच की जायगी ।

श्री कमलासिंह यादव--

यह मंत्री जी ने अपने उत्तर में गलत सूचना सदन को दी है । मैं एक मिसाल देना चाहता हूं कि शंभुनाथ गैंगमैन की गाजीपुर जिले की पी० डब्लू० डी० में भर्ती हुई और वह निकाल दिया गया और उस की अपील भी एग्जिक्यूटिव इंजीनियर, वाराणसी के यहां पेंन्डिग है । तो क्या मंत्री जी पता लगायेंगे कि यह गलत सूचना किस आधार पर और गलत क्यों दी गई ? उन्होंने कहा है कि कोई नियुक्ति नहीं की गई ।

श्री जगनप्रसाद रावत--

यह सूचना गलत नहीं है जिस शंभुनाथ के संबंध में वह कह रहे हैं उसकी नियुक्ति करने का प्रश्न था लेकिन उस ने ३ बार सजा काटी थी ९ मास की १२ मास की और फिर १२ मास की और जी० ओ० के अंतर्गत ३ बार की सजा वाले की नियुक्ति नहीं की जा सकती, इस वास्ते वह नहीं रखा गया।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि इसी कौन्सिल हाउस में जो लिफ्टमैन हैं उनमें जो पूर्व की लिफ्ट पर काम करते हैं उन को ९० रुपया माहवार और जो दूसरे ४साल के मुलाजिम लिफ्टमैन हैं उन को ४५ रुपया ही दिया जा रहा है, तो यह भेद क्यों है ? क्या इसको दूर करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

इसके बारे में तो पता लगाकर ही बताया जा सकता है ।

*२०-२१--श्री बेदराम (जिला एटा)--

[१९ मार्च, १९६४ को प्रश्न संख्या ४०-४१ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

*२२--श्री नाथूराम शिक्षक--

[स्थगित गिया गया ।]

*२३—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

[६ठें शुक्रवार के लिए प्रश्न संख्या ७५ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया ।]

*२४—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

[६ठें शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया ।]

*२५—श्री रक्षपालसिंह—

[स्थगित गिया गया ।]

*२६—श्री सुखदेवप्रसाद तथा श्री बेदराम—

[स्थगित किया गया ।]

*२७-२८—श्री भीमाप्रसाद (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

[स्थगित किये गये ।]

*२९—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

[स्थगित गिया गया ।]

नेशनल कैडेट कोर कर्मचारियों का वेतन

*३०—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वित्त (जी-१) के जी० ओ० नं० जी-१-२६०८ एक्स—१३९-६१, दिनांक १७ जनवरी, १९६२ द्वारा नेशनल कैडेट कोर के जिन निम्न वेतन-भोगी कर्मचारियों को पांच रुपये की मासिक बढ़ौत्तरी वेतन में मिली थीं ? क्या उनसे अब वह रुपया वापस लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—

वेतन में ५ रुपये की बढ़ोत्तरी केवल टाइम स्केल में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को दी गई है । अतः नेशनल कैडेट कोर के नियत वेतन (fixed pay) पर नियुक्त कर्मचारियों से, जो रुपया उक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप दिया गया था, वापस लिया जा रहा है ।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो रुपया दिया गया वह किस अधिकारी की गलती से दिया गया था और जब कि उन लोगों ने वह पैसा खा लिया, कपड़ा पहन लिया और वह अब उनको घर से भरना पड़ रहा है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

विभाग के अधिकारियों द्वारा ही दिया गया था ।

*३१—श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*३२—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

[स्थगित किया गया ।]

टनकपुर-रामनगर-हल्द्वानी सड़क

*३३--श्री देवेन्द्रसिंह (जिला नैनीताल)--

क्या सरकार ने रामनगर, हल्द्वानी, टनकपुर को मिलाने के लिये कोई मोटर मार्ग का निर्माण तराई डेवेलपमेंट स्कीम में रखा है ? यदि हां, तो उसमें क्या प्रगति हुई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

जी नहीं ।

श्री देवेन्द्रसिंह--

मैं जानना चाहता हूं कि जो टनकपुर-रामनगर-हल्द्वानी सड़क सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और तराई डेवलपमेंट स्कीम के लिये सरकार के द्वारा ८ करोड़ २२ लाख रु० रखा गया है उसमें से क्या सरकार प्रावीजन करेगी कि यह सड़क बन सके ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

रामनगर से टनकपुर सड़क ३ हिस्सों में बंटी हुई है । एक हिस्सा यानी कालाढुंगी से हल्द्वानी का ३० मील के करीब है इसके लिये १०,६९,००० रु० मंजूर है । बाकी के लिये पहले तो केंद्रीय सरकार ने इसको बनाने की सोची थी लेकिन जब उसका ऐस्टीमेट १४३ लाख ७० हजार रु० हुआ तो उन्होंने कहा कि अभी इसको छोड़ दिया जाय और जब धन उपलब्ध होगा और अधिक महत्व का समझेंगे तब स्वीकृति देंगे । इसलिये हम कोई काम शुरू नहीं कर सकते ।

*३४-३६--श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*३७-३८--श्री कल्पनार्थसिंह--

[स्थगित किये गये ।]

*३९-४०--श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)--

[स्थगित किये गये ।]

*४१-४२--श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)--

[६वें शुक्रवार के लिए स्थगित किये गये ।]

*४३-४४--श्री हलीमुद्दीन (जिला मुरादाबाद)--

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*४५--श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)--

[१९ मार्च, १९६४ को तारांकित प्रश्न ८१ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

विद्यार्थियों के लिये यूनीफार्म

*४६--श्री झारखण्डेराय--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगी कि राज्य सरकार तथा भारत सरकार के बीच किसी ऐसे विषय पर विचार-विनिमय चल रहा है कि प्रदेश की शिक्षा संस्थाओं में लड़के और लड़कियां एक यूनिफार्म में पढ़ने के लिए आवें ?

नोट--तारांकित प्रश्न ३३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री कैलाशप्रकाश--

जी हां ।

*४७--श्री झारखण्डेराय--

यदि हां, तो क्या सरकार इस विषय में पूरी जानकारी सदन को करायेगी ।

श्री कैलाशप्रकाश--

भारत सरकार द्वारा नियुक्त भावात्मक एकता समिति की सिफारिश पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सब राज्य सरकारों को यह संस्तुति की कि स्कूलों म सब विद्यार्थियों के लिए एक सा ड्रेस रखा जाय। ऐसा करने से सब में समता की भावना उत्पन्न होगी और राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी। भेद भाव दूर होंगे। इसी के अनुपालन में राज्य सरकार ने शिक्षा निदेशक को उचित निर्देश दे दिये हैं कि प्रधानाचार्यों, अभिभावकों और जनसाधारण से विद्यार्थियों के लिये एकसा सस्ता, उपयोगी और सादा ड्रेस धीरे धीरे बनवाने में सहयोग प्राप्त करें ।

गोरखपुर जिले में हायर सेकेंडरी स्कूलों को अनुदान

*४८--श्री कल्पनार्थासिंह--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के गगहा, डेरवा, बरहलगंज, महुवापार, गोला, ककरती, कौड़ीराम हायर सेकेन्डरी स्कूलों से सरकार से विभिन्न मदों में अनुदानों की हाल में मांग की है ? यदि हां, तो सरकार इन स्कूलों को अनुदान देकर क्या इनकी सहायता करने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है, विवरण सहित देन की कृपा करगी ?

श्री कैलाशप्रकाश--

अभीष्ट सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८९ पर)

*४९--श्री रामलखन शुक्ल--

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

लेखकों को सहायता

*५०--श्री द्विजेन्द्रनारायण--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष, १९६२-६३ तथा १९६३-६४ में प्रदेश के किन किन कवियों को कितनी कितनी मासिक सहायता दी गयी ?

श्री कैलाशप्रकाश--

वांछित सूचना संलग्न सूचियों† में दी हुई है।

*५१--श्री द्विजेन्द्रनारायण--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त सहायता देने का आधार क्या है तथा जो कवि गण १९६२-६३ में सहायता पा रहे थे उन्हें १९६३-६४ में सहायता न दिये जाने का कारण क्या है ?

---

†छापी नहीं गईं ।

श्री कैलाशप्रकाश--

सहायता ऐसे उच्चकोटि के कवियों आदि को दी जाती है जिनकी साहित्य को अद्वितीय देन हो व जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी न हो। जो कविगण वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में सहायता पा रहे थे, उन्हें १९६३-६४ में सहायता न दिये जाने के कारण निम्नलिखित हैं :--

(१) उनकी मृत्यु हो गई है।

(२) उनका प्रार्थना-पत्र हाई पावर कमेटी ने अस्वीकृत कर दिया है।

(३) भारत सरकार ने उनकी प्रार्थना को अस्वीकृत कर दिया है।

(४) मासिक आय १५० रुपये से अधिक है।

*५२--श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)--

[स्थगित किया गया।]

स्कूलों में लाइब्रेरियन व क्लर्कों का वेतन तथा शिक्षा सत्र

*५३--श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि आजकल हायर सेकेन्ड्री स्कूलों में लाइब्रेरी तथा दफ्तर का कार्य बहुत अधिक बढ़ गया है जिसके कारण हाई स्कूलों में एक ही कर्मचारी द्वारा लाइब्रेरियन व क्लर्क का काम कठिन होता है? क्या शिक्षा मंत्री जी हाई स्कूलों में एक लाइब्रेरियन व २ क्लर्क तथा इंटर कालेजों में लाइब्रेरियन के अतिरिक्त ३ क्लर्क रखे जाने का आदेश जारी करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कैलाशप्रकाश--

जी हां।

नियमानुसार गैर-सरकारी हाई स्कूलों में एक क्लर्क तथा इन्टर कालेजों में लाइब्रेरियन सहित ३ क्लर्क रक्खे जा सकते हैं। आवश्यकता होने पर शिक्षा निदेशक की पूर्व अनुमति प्राप्त करके अतिरिक्त लिपिक रखे जा सकते हैं। प्रश्न के दूसरे भाग में उल्लिखित लिपिक अथवा लाइब्रेरियन की संख्या बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता।

*५४--श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया--

क्या शिक्षा मंत्री इन्टर कालिजों के हेड क्लर्कों का ग्रेड ट्रेन्ड ग्रेजुयेट के समकक्ष तथा अन्य क्लर्कों व हाई स्कूलों के हेड क्लर्कों का ग्रेड सी० टी० के समकक्ष रखने की व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कैलाशप्रकाश--

गैर-सरकारी विद्यालयों के लिपिक अथवा लाइब्रेरियन के वेतन-क्रम बढ़ाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है, क्योंकि उनका वेतन-क्रम सरकारी विद्यालयों के लिपिक तथा लाइब्रेरियन के वेतन-क्रम के लगभग बराबर है।

*५५--श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया--

क्या शिक्षा मंत्री किसी ऐसी योजना पर विचार कर रहे हैं कि हायर सेकेन्डरी स्कूलों में शिक्षा सत्र पढ़ाई के लिये १ जुलाई से ३१ मई तक चले और पढ़ाई कम से कम २५० दिन अवश्य हो?

श्री कैलाशप्रकाश--

इस रूप में तो इस प्रश्न पर विचार नहीं हो रहा है। हां, यह विचार अवश्य हो रहा है कि शिक्षा सत्र कितने दिनों का हो और उसमें कितने घन्टे पढ़ाई हो।

*५६-५८--श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)--

[स्थगित किये गये।]

फरेंदा वन क्षेत्र में सड़क

*५९--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री जांच कर एक रपट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के फयेदा वन रेंज के अन्तर्गत पवह नाले पर शिकारगढ़ होते हुये मधवू जोत (बरडांड मौजे) होते हुये जो सड़क लेहड़ाधानी रोड में मिली है वह कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

यह सड़क गन्ना क्षेत्र की सड़कों की योजना के अन्तर्गत बनाई जा रही है। इसकी अनुमानित लागत में वृद्धि हो गई है। जब तक कि संबंधित केन डेवलपमेन्ट काउन्सिल बढ़ी हुई लागत का एक तिहाई भाग न दे, तब तक इस सड़क का निर्माण पूरा करना संभव नहीं है।

*६०--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह भी बतायेंगे कि जो गिट्टी (पत्थर) उस सड़क के निर्माण हेतु रक्खी गयी है उसका क्या प्राक्कलन है तथा उसका क्या इस्तेमाल है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

सड़क पर इकट्ठा किये गये सामान जिसमें कंकड़, पत्थर, बालू व सीमेन्ट शामिल है, का कुल मूल्य १५,३०० रुपये है। सड़क का निर्माण-कार्य चालू होने पर यह सामान इस्तेमाल किया जा सकेगा।

*६१-६२--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़) तथा श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)--

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

१--श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर) तथा श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)--

[स्थगित किया गया।]

२--श्री रामनाथ पाठक (जिला मिर्जापुर)--

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

एच० टी० सी० प्रशिक्षण केन्द्र तथा आदर्श विद्यालय, रुद्रपुर

३--श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एच० टी० सी० प्रशिक्षण, केन्द्र, रुद्रपुर (नैनीताल) में कुल कितने प्रशिक्षणार्थी हैं और उनमें से कितने गढ़वाल और कितने अल्मोड़ा जिले के हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--

एच० टी० सी० प्रशिक्षण केन्द्र, रुद्रपुर (नैनीताल) में प्रशिक्षणार्थियों की कुल संख्या ८६ है जिसमें से गढ़वाल जिले के २९ और अलमोड़ा जिले के ७ प्रशिक्षणार्थी हैं ।

४--श्री इन्द्रासनसिंह--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आदर्श विद्यालय, रुद्रपुर (नैनीताल) में इस समय कुल कितने अध्यापक हैं और वे किन-किन जिलों के हैं और उन अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता क्या है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९० पर)

५--श्री इन्द्रासनसिंह--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आदर्श विद्यालय, रुद्रपुर (नैनीताल) के प्रधान अध्यापक की शैक्षिक योग्यता क्या है और कब से प्रधान अध्यापक का कार्य कर रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--

इनकी शैक्षिक योग्यता वर्नाक्यूलर हिन्दी मिडिल तथा एच० टी० सी० है । यह प्रधानाध्यापक के पद पर ३० दिसम्बर, १९६३ से स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे हैं ।

जिला परिषदों के अदीक्षित अध्यापक

६--श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने कोई ऐसा निर्णय लिया है कि वर्ष, १९६३-६४ में जिला परिषदों में रक्खे गये अदीक्षित अध्यापकों की सेवायें अब समाप्त नहीं की जावेंगी तथा वे वर्ष १९६४-६५ के जून का भी वेतन पाने के अधिकारी होंगे और वे बराबर सेवा कार्य करते रहेंगे और उन्हें ३-३ मास की ट्रेनिंग पारी-पारी से देकर प्रशिक्षित कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो वस्तु स्थिति क्या है और अदीक्षित अध्यापकों के प्रति उनकी क्या नीति होगी ?

श्री कैलाशप्रकाश--

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला परिषदों द्वारा नियुक्त किये गये अध्यापकों के लिये ये आदेश दिये गये हैं कि वे ग्रीष्मावकाश में भी सेवा में रहेंगे और ग्रीष्मावकाश का वेतन पायेंगे ।

३३ वर्ष से कम की अवस्था और कम से कम ५ वर्ष का अध्यापन अनुभव रखने वाले अदीक्षित अध्यापकों को कुल ७ मास की दो पाली की ट्रेनिंग दो वर्षों में दिये जाने की योजना आरम्भ की गयी है ।

खेखड़ा नल पुल के ठेकेदार का भुगतान व बड़हलगंज-कपरवारघाट सड़क

श्री मेवालाल जायसवाल (जिला इलाहाबाद) तथा श्री कल्पनाथसिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री १३ दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४९ के सन्दर्भ में बतायेंगे कि पुल की कुल कितनी लागत बनाने के पूर्व एस्टीमेट की गई थी और पुल टूटने के कारण कुल कितना रुपया अधिक व्यय हुआ और ठेकेदार को कुल कितना रुपया दिया गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

पुल की अनुमानित लागत ३७,८०० रुपये थी। पुल टूटा नहीं परन्तु उसके पाइल्स असफल हो गये। इसके कारण कोई अधिक व्यय नहीं हुआ। ठेकेदार को कुल २८,५३० रुपये दिये गये।

८--श्री मेवालाल जायसवाल तथा श्री कल्पनाथसिंह--

क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि पुल टूटने के कारण ठेकेदार को कितना काम अधिक करना पड़ा और उसे कितना रुपया अधिक काम होने के कारण मिला तथा कितना समय बढ़ाया गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

कोई अधिक कार्य नहीं करना पड़ा। ठेकेदार को अधिक रुपया नहीं मिला और न समय बढ़ाया गया।

९--श्री कल्पनाथसिंह --

[८वें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या १७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बड़हलगंज ब्लाक बनवाने का ठेका

१०--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री १३ दिसम्बर, १९६३ के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या ४१-४२ के सन्दर्भ में इस पूरे मामले की जांच अधिशासी अभियंता से ऊपर किसी व्यक्ति द्वारा करा कर पूरी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

गाजीपुर में गंगा का कटाव

११--श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजीपुर शहर में गंगा के कटाव के कारण क्षतिग्रस्त होती हुई घाटों तथा मकानों की सुरक्षा की जांच का आदेश सरकार ने स्थानीय अधिकारियों को दिया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार को क्या रिपोर्ट मिली ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

जी हां, गंगा के कटाव से क्षतिग्रस्त गाजीपुर के घाटों तथा मकानों की सुरक्षा की जांच का आदेश स्थानीय अधिकारियों को दिया गया था। प्राप्त रिपोर्ट में पुश्ता घाट तथा किले की दीवाल की सुरक्षा का सुझाव दिया गया है।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (यात्रा और भत्तों का भुगतान) नियमावली, १९६३ में प्रख्यापित संशोधन

विद्युत् उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)--

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (यात्रा और दैनिक भत्तों का भुगतान) नियमावली, १९६३ में पंचायती राज (२) विभाग की विज्ञप्ति संख्या १४७/४-बी

---

*छापे नहीं गये।

R.A 4060
132704

३३—२२-आर-६१, दिनांक १ मार्च, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद्, अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

१९५७-५८ के विनियोग लेखे तथा १९५९ का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा १९५८-५९ के विनियोग लेखे तथा १९६० के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति की रिपोर्ट †

श्री जेड०ए० अहमद (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं १९५७-५८ के विनियोग लेखे तथा १९५९ के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा १९५८-५९ के विनियोग लेखे तथा १९६० के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर उत्तर प्रदेश लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

हैदरगढ़ तहसील में पाले से हुयी क्षति के कारण लगान तथा सिंचाई-कर माफ करने के संबंध में याचिका

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय रामकिशोर त्रिपाठी याचिका प्रस्तुत करेंगे।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ तहसील में पाले से हुई क्षति के कारण लगान तथा सिंचाई माफ करने के सम्बन्ध में श्री बिपिनबिहारीसिंह द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

"माननीय सदन, उत्तर प्रदेश विधान सभा, लखनऊ।

विगत शीत लहर से सारे प्रदेश के किसानों में त्राहि-त्राहि मच गई है, सारी फसल पाले से सूख गई है। बाराबंकी जिले में तथा जिले की हैदरगढ़ तहसील में विगत खरीफ की फसल अवर्षण से सूख गई थी, भूमि में नमी न होने से बहुत सी भूमि की बुआई नहीं की जा सकी है। जो फसल बोई भी गई वह नमी के अभाव में कमजोर थी, नहरों में पानी के अभाव से बहुत सी फसल सूख गई थी। फसल की सिंचाई न हो पाने तथा कमजोर होने की वजह से इस क्षेत्र में फसल को पाले से काफी क्षति पहुंची है। अरहर, मटर और चना में १०० फीसदी नुकसान हुआ। गेहूं एवं अन्य चीजों में भी ४० से लेकर ७० फीसदी तक की क्षति हुई है। अतः जनता की बेचैनी परेशानी को देखते हुए लगान तथा सिंचाई में माफी एवं टेस्ट वर्क चालू करने की व्यवस्था करनी चाहिये। साथ ही साथ इस क्षेत्र में मैन पावर स्कीम को लागू करने की भी आवश्यकता है। इससे मार्गों का निर्माण भी हो जायगा और किसान मजदूर की रोटी रोजी की भी व्यवस्था हो जायगी।

आपका,

बिपिनबिहारीसिंह

मु० रनापुर, पो० हैदरगढ़, जिला बाराबंकी।"

---

†छापी नहीं गई।

सरकार द्वारा लागू किये गये भूमि तथा भवन कर के संबंध में याचिकायें

श्री अध्यक्ष—

अब आइटम नम्बर ६ से ९ तक पेश किये जायं। यह वही हैं जो एक मर्तबा हो चुके हैं, वही शब्दावली है। चारों पेश कर दें।

एक पढ़ दीजिये, चारों की तरफ से।

श्री हरिनाथ तिवारी ऐडवोकेट (जिला फैजाबाद)—जैसी आप की आज्ञा।

"माननीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश

मान्यवर,

भूमि तथा भवन कर के सम्बन्ध में मैं श्री ओमप्रकाश तथा १५१० व सर्वश्री मुकुटबिहारी लाल, बसन्त सिंह, और शुकदेव प्रसाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं विधान सभा, उत्तर प्रदेश, में प्रस्तुत करता हूं। निवेदन है कि अनुमति प्रदान करें।

आदरणीय सदन,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश भूमि तथा भवन कर अधिनियम के लागू होने से उत्पन्न अविलम्बनीय लोक-महत्व की स्थिति के सम्बन्ध में सर्वश्री ओमप्रकाश, आदि की याचिका निम्न हस्ताक्षरित याचिका-गण आदरणीय सदन से निम्नलिखित प्रार्थना करते हैं :—

(१) यह कि उत्तर प्रदेश भूमि तथा भवन कर अधिनियम सरकार द्वारा पारित हो कर प्रदेश में लागू किया जा रहा है।

(२) यह कि उक्त कराधान मध्यम वर्ग तथा गरीब जनता पर पड़ रहा है।

(३) यह कि स्थानीय निकायों द्वारा अधिकांश नगरों में मकानों पर पहले से ही टैक्स लगाया गया है। जो कि मकान मालिक किरायेदारों से वसूल कर रहा है। दुबारा राज्य सरकार द्वारा उसी वर्ग पर उसी मद में दोहरा टैक्स लगाने से प्रदेश की गरीब जनता की हालत अत्यन्त चिन्ताजनक हो रही है।

(४) यह कि उक्त टैक्स छादक, झोंपड़ी तथा छोटे मकानों पर भी लगाया गया है, जिससे कि अति गरीब जनता को भी छूट नहीं मिल सकी है।

(५) यह कि उक्त टैक्स लगाने से नवीन मकान बनवाने की वृत्ति समाप्त हो जायेगी, जिससे कि आवास समस्या और भी भयंकर हो जायेगी।

(६) यह कि यदि शीघ्र ही उक्त कानून वापस न किया गया तो गरीब जनता को मजबूर होकर बेघरबार होना पड़ेगा।

(७) यह कि अनेक बार जनता द्वारा विभिन्न प्रकार से प्रदर्शन कर यह मांग की जा चुकी है कि सरकार द्वारा उक्त कानून अविलम्ब वापिस लिया जाये। परन्तु उक्त समाज विरोधी कानून सरकार द्वारा वापस न लेने से जनता में घोर उत्तेजना तथा असंतोष व्याप्त हो रहा है।

(८) यह कि यदि शीघ्र ही उक्त कानून वापस न लिया गया तो आवास समस्या इतनी भीषण सर्दी, वर्षा तथा लू में गरीबों के बच्चे बेघर होकर मृत्यु की प्रतीक्षा करने के लिये मजबूर होकर तड़पेंगे। उस दशा में जनता के असन्तोष की सीमा न रह कर प्रदेश में विद्रोहाग्नि भड़क सकती है।

अस्तु हम याचकों की विनम्र प्रार्थना है कि आदरणीय सदन सरकार को यह आदेश दे कि उत्तर प्रदेश भूमि तथा भवन कर अधिनियम अविलम्ब वापस लिया जाये तथा इसके लिये और भी जो आवश्यक हो वह आदेश दिय जायें ।"

इसके साथ साथ श्री मुकुटबिहारीलाल, बसंतसिंह तथा श्री सुखदेवप्रसाद की याचिकायें भी प्रस्तुत की जा रही हैं ।

श्री अध्यक्ष—

ये याचिकायें याचिका समिति के पास भेज दी जायेंगीं ।

सदन द्वारा दंडित श्री केशवसिंह की कारावास की अवधि समाप्ति से पूर्व उनको जमानत पर मुक्त करने के संबंध में लखनऊ बेंच के माननीय न्यायाधीश एन० यू० बेग और माननीय न्यायाधीश जी० डी० सहगल तथा अन्य के विरुद्ध सदन के अवमान का प्रश्न उठाने की सूचना—(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

एक माननीय नरसिंहनारायण पांडेय और माननीय चन्द्रजीत यादव की विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना आयी है जिसका विषय ऐसा है कि जो मैं समझता हूं, गम्भीरतापूर्वक विचारणीय है तो मैं पढ़े देता हूं आपके सामने । वह इस प्रकार से है । सचिव, विधान सभा इसे पढ़ दें ।

सचिव, विधान सभा—

हम लोग.....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायं ।

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, मेरा प्रश्न इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है । भारतीय कांस्टीट्युशन की दफा २११ में लिखा हुआ है कि जब किसी मुकदमे के संबंध में कोई कोर्ट कोई आचरण करे तो उस सम्बन्ध में सदन में कोई चर्चा नहीं हो सकती । मैं समझता हूं कि इससे जज के आचरण पर चर्चा होती है । इसलिए उसके अन्दर आता है । इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इसे इस सदन में न पढ़ने दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

जब आप सवाल का जबाव नहीं दे रहे हैं तो फिर पढ़ा जायगा ।

श्री उग्रसेन—

जब अध्यक्ष नाराज होता है तो स्पीकर नहीं रह जाता ।

श्री अध्यक्ष—

आपने प्रश्न किया । उस प्रश्न के सम्बन्ध में मैं आपसे एक जानकारी प्राप्त करना चाहता था, लेकिन आप जवाब नहीं देना चाहते हैं तो मैं आगे बढ़ूं । सीधी बात यह है कि इसमें जो प्रश्न

[श्री अध्यक्ष]

उठाया गया है वह उसी प्रकार का है जिसकी ओर माननीय चन्द्रजीत यादव ने संकेत किया था। प्रश्न यह है कि इस आदरणीय सदन द्वारा एक आदेश दिया गया, जिस आदेश के अन्तर्गत एक काम हुआ। उस आदेश के प्रतिकूल हाई कोर्ट में कुछ आदेश हुए। एक शख्स को हमने बन्दी बनाया था उसको उन्होंने छोड़ दिया। तो सिर्फ सवाल इतना हमारे सामने आ सकता है कि जो आदेश इस आदरणीय सदन का होता है उस आदेश का निराकरण कोई कर सकता है या नहीं। यह प्रश्न कि माननीय जज ने क्या किया और क्या नहीं किया है, यह दूसरी चीज है। यह सदन सार्वभौम सत्ता सम्पन्न है या नहीं? अगर सावरेन पावर्स हैं तो दूसरा प्रश्न यह आता है कि उसके द्वारा कोई निश्चय हुआ है तो उस निश्चय के विरुद्ध कोई दूसरा प्राधिकृत व्यक्ति है जो उसके प्रतिकूल कोई कार्यवाही करे?

दूसरा प्रश्न यह होगा कि इस सदन के आदेश के प्रतिकूल अगर किसी भी प्राधिकारी ने कोई काम किया है उससे इस सदन का अवमान होता है या नहीं। इतनी बातों का आप जवाब दें।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

यह सदन सार्वभौम सत्ता रखता है, किन्तु जनतंत्र में सार्वभौम सत्ता कोई महत्व नहीं रखती। यह आदरणीय विधान सभा एक कायदे कानून के अन्तर्गत चलती है और उसके लिये भारतीय संविधान की किताब है। उसके अन्तर्गत यह आदरणीय सदन है और इसी संविधान के अन्तर्गत हमारी पार्लियामेंट है और उसी के अन्तर्गत हमारे न्यायालय हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपका कहना यह है कि इस संविधान के अन्तर्गत जितने कृत्य यह सदन करेगा वह सावरेन स्टेट होने के नाते करेगा?

श्री काशीनाथ मिश्र—

इस संविधान के परे इस सदन का आचरण नहीं हो सकता। इस संविधान की धारा २११ साफ कहती है कि इस आदरणीय सदन को यह अधिकार नहीं होगा कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण के बारे में जब कि वह अपनी अदालत में कार्य करता है कोई चर्चा नहीं उठेगी। माननीय चन्द्रजीत यादव ने अपने प्रस्ताव में यही सवाल उठाया है।

श्री अध्यक्ष—

सवाल क्या उठाया गया है पहले उसे पढ़ दिया जाय तभी मालूम होगा। इसलिये वह पहले पढ़ लिया जाय।

श्री उग्रसेन—

न्यायाधीश ने आदेश क्या दिया है यह मैं एक मिनट में पढ़ दूं। उन्होंने इतना ही कहा है कि अस्थायी तौर पर हम इसको स्वीकार करते हैं। केशवसिंह की जमानत स्वीकार करते हैं। केशवसिंह को श्रीमन्, आपने अपनी जेल में नहीं रखा, सरकार की जेल में भेज दिया, आपके पास कोई जेल ही नहीं है....

श्री अध्यक्ष—

पहले अब आप सुन लीजिये।

श्री उग्रसेन—

तो आपकी व्यवस्था हो गई, आपने यह व्यवस्था दे दी कि यह पढ़ा जाय?

श्री अध्यक्ष—

हां। (व्यवधान)

सदन द्वारा दंडित श्री केशवसिंह की कारावास की अवधि समाप्ति से पूर्व उनको जमानत पर मुक्त करने के सम्बन्ध में लखनऊ बेंच के माननीय न्यायाधीश एन० यू० बेग और माननीय न्यायाधीश जी० डी० सहगल तथा अन्य के विरुद्ध सदन के अवमान का प्रश्न उठाने की सूचना

सचिव, विधान सभा--

"सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

हम लोग माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदन के अवमान का एक प्रश्न इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ बेंच के माननीय न्यायाधीश एन० यू० बेग और माननीय न्यायाधीश जी० डी० सहगल, लखनऊ जिला के अतिरिक्त जिलाधीश श्री कन्हैयालाल, लखनऊ जिला जेल के अधीक्षक और श्री केशवसिंह जिनको सदन ने गत १४ मार्च को सात दिन का कारावास का दंड दिया था के विरुद्ध उठाना चाहते हैं ।

श्री केशवसिंह ने गत १४ मार्च को सदन के सामने माननीय अध्यक्ष के प्रश्नों का उत्तर न देकर तथा माननीय अध्यक्ष को एक अत्यन्त अपमानजनक पत्र लिखकर सदन का अवमान किया था। सदन ने श्री केशवसिंह को अपने अवमान का दोषी पाकर माननीय मुख्य मंत्री के प्रस्ताव पर श्री केशवसिंह को सात दिन के कारावास का दंड दिया और १४ मार्च, १९६४ को ही माननीय अध्यक्ष के वारंट आफ कमिटमेंट पर मार्शल द्वारा जिला जेल लखनऊ के अधीक्षक को सात दिन तक सदन के बन्दी के रूप में कारागार में रखने हेतु भेजा गया । किन्तु अधीक्षक, जिला जेल, लखनऊ ने उपरोक्त माननीय न्यायाधीशों के आदेशानुसार तथा अतिरिक्त जिलाधीश, लखनऊ के यहां से जमानत ले लेने के आदेश के बाद दिनांक १९ मार्च, १९६४ को केशवसिंह को मुक्त कर दिया है जबकि उनके कारावास की अवधि अभी पूरी नहीं हुई थी ।

इस प्रकार से उपरोक्त न्यायाधीशों ने जिन्हें हमारे सदन के विशेषाधिकार के प्रश्नों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था हस्तक्षेप करके तथा अन्य उपरोक्त व्यक्तियों ने भी सदन का अवमान किया है ।

अतः हमारा निवेदन है कि उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध सदन का अवमान करने हेतु इस प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुए तत्काल सदन में कार्यवाही की जाय और श्री केशवसिंह को जिन्हें गलत ढंग से मुक्त कर दिया गया है पुनः तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश सदन जारी करे ।

ह० चन्द्रजीत यादव,
एम० एल० ए०;
नरसिंहनारायण पांडेय,
एम० एल० ए० ।"

श्री काशीनाथ मिश्र--

अब श्रीमन्, हमारा यह कहना है कि जनतंत्र के अन्दर सार्वभौम चीज केवल यही है--भारत का संविधान । इसी के अन्तर्गत माननीय न्यायालय भी काम करेगा और इसी के अन्तर्गत यह आदरणीय सदन भी कार्य करेगा और आप भी इसके अन्दर हैं, हम भी इसके अन्दर हैं । तो हम निहायत अदब के साथ प्रार्थना करेंगे कि कोई भी कार्यवाही ऐसी इस आदरणीय सदन को नहीं करनी चाहिये जो हमारे संविधान की मर्यादा के विपरीत हो । इसको जो सेक्रटरी साहब ने पढ़ा है वह भी संविधान की मर्यादा का उल्लंघन किया है, संविधान की धारा २११ का.....

श्री अध्यक्ष--

अब उसकी बात न कहिए । सब की मर्जी से वह पढ़ा गया है ।

श्री उग्रसेन--

आपके आदेश से पढ़ा गया । अगर इसके अवमान के दोषी होंगे तो आप होंगे, उग्रसेन दोषी नहीं होंगे ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि जब एक मामला विचाराधीन है न्यायाधीशों के और उस पर उनके आदेश ये हैं, यह श्रीमन्, सर्टिफाइड कापी है न्यायाधीशों के आदेश की, उन्होंने आदेश यह दिया है कि "Writ petition is admitted. Issue notice. Let the case be fixed as early as possible".

तो श्रीमन्, अभी डीटेल में हियरिंग बाद में होगी। विस्तार के साथ मामले की सुनवाई आदरणीय कोर्ट बाद में करेगा और इसके बाबत अगर कोई भी चर्चा यहां हम करेंगे तो संविधान की धारा २११ और १२१ दोनों का हम उल्लंघन करेंगे।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सिलसिले में चर्चा छेड़कर जो मामला वहां पर विचाराधीन है न्यायालय के उसको हम प्रभावित करना चाहते हैं और श्रीमन्, आपने कल ही मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद का सवाल जब हमने स्वयं उठाया था उनके एक सार्वजनिक आचरण के बारे में, उनके न्यायिक कार्य के बारे में वह नहीं था, तो आपने २११ को पढ़ते हुये कहा कि जज का कांडक्ट या कोई भी बात इस आदरणीय सदन में नहीं उठायी जा सकती, उस पर यहां बहस नहीं हो सकती, यह स्वयं श्रीमन् ने कहा। तो यह जज का न्यायिक आचरण है। माननीय बेग और माननीय सहगल ने जो रिट पेटीशन पर फैसला किया है वह उनका काम न्यायिक आचरण है। २११ के अन्तर्गत वह आचरण उनका इस आदरणीय सदन में कतई नहीं उठाया जा सकता। मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि कानून का बहुत नाजुक सवाल इसमें है और यह यहां नहीं उठाया जा सकता।

इसके अतिरिक्त लखनऊ जिला जेल लेजिस्लेचर के मातहत नहीं है, वह विधान सभा के अध्यक्ष के मातहत नहीं है। आप अपना अलग जेल बनवा लेते और वहां पर इस प्रकार के अपराधी को रख सकते थे।

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, क्या एक ही आदमी को सारे वक्त बोलने का ठेका मिल गया है?

श्री अध्यक्ष—

यह उतावलापन आप क्यों दिखाते हैं, उन्हें अपनी बात पूरी कहने दीजिये।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं एक व्यवस्था के प्रश्न पर ही बोल रहा हूं। ये कैसे खड़े हो गये?

श्री अध्यक्ष—

जितनी देर आप व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं उतनी देर में वह समाप्त कर लेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, संविधान की धारा १९४ का जिक्र किया गया है। उसमें लिखा है:—

"194 (2)—No member of the Legislature of a State shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in the Legislature or any committee thereof, and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of a House of such a Legislature of any report, paper, vote or proceedings".

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठें, २ मिनट में यह खत्म हो जायगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

तो कोई भी बात इस सदन की प्रोसीडिंग्स, भाषण और वोट के सम्बन्ध में यदि कही गयी है, तो उसके सम्बन्ध में कोई सवाल नहीं उठेगा । यह सदन का एक ऐक्शन था । एक को आपने ७ दिन की सजा दी । उस कार्यवाही के खिलाफ मसला उठाया गया, वह न प्रोसीडिंग्स, न भाषण और न वोट का मसला है । तो मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह बात सदन में नहीं उठाई जानी चाहिये और आप इसको उठाने की इजाजत न दें ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । इस सदन में १७ मई, १९६२ को आपने एक व्यवस्था दी थी ।

श्री अध्यक्ष—

श्री मुल्ला वाले केस को आप रेफर कर रहे हैं ?

श्री नेकराम शर्मा—

जी हां । श्रीमन् ने उसमें एक केस इंगलिश ला का रेफर किया था "रैग वर्सस ग्रे (१९००)" उसमें आपने कहा था—

"In an English case Reg. *vs.* Gray (1900) two Queen's Bench 36—it was observed that Judges and Courts are alike open to criticism and if reasonable argument or expostulation is offered against any judicial act as contrary to law or the public good no court would or could treat that as Contempt of Court".

तो श्रीमन्, आपने कहा कि किसी जज के बारे में हम आलोचना कर सकते हैं अगर वह गुड फेथ में हो । कांस्टीट्यूशन की धारा १०५ में स्पष्ट लिखा हुआ है । बासू की कमेंटरी कांस्टीट्यूशन की है उसमें भी लिखा है और उसके नोट्स पृष्ठ ५७६ पर जो दिये हैं उसको पढ़ा जाय । उसके साथ ही साथ धारा १९४ जो हमारे संविधान की है उसमें स्पष्ट है कि जो हमारे प्रिविलेजेज हैं और अमेनिटीज हैं वह वही होंगी जो हाउस आफ कामन्स की होंगी । संविधान की धारा १०५ में लिखा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष—

१०५ और १९४ दोनों एक हैं । Not a word is different.

श्री नेकराम शर्मा—

उसको छोड़ भी दीजिये तब भी मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि बासू की कमेंटरी के पृष्ठ ५७६ पर लिखा हुआ है—

"The privileges are certain rights belonging to each House of Parliament collectively and some other belonging to the members individually without which it would be impossible for either House to maintain its independence of action or the dignity of its position."

[श्री नेकराम शर्मा]

इसमें दो शब्द आये हैं कि लेजिस्लेचर की सुप्रीमेसी और डिगनिटी उसी वक्त मेन्टेन होगी जब हम पार्लियामेंट को इम्यून कर देंगे। उसके विषय में न कोई जज टीका कर सकता है और न उसके निर्णय के विरुद्ध कोई फैसला कर सकता है। आगे फिर इसमें लिखा है कि:—

"Though in England the privileges of Parliament had their origin in the efforts of Parliament to protect its liberties against the Crown, they are in fact a necessary condition of every free legislature so that it may efficiently perform the task undertaken by it on behalf of the nation and even rights of citizens have to be curtailed so far as necessary for this purpose."

लेजिस्लेचर की इतनी स्वतंत्रता रखी गई है कि अगर सिटीजन्स के राइट भी कर टेल किये जायें तो भी लेजिस्लेचर के जो निर्णय होंगे उनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। आगे पेज ५५९ पर आप देखने की कृपा करें। उसमें यह लिखा है कि :—

"That the freedom of speech and debates or proceedings in Parliament ought not to be impeached or questioned in any Court or place out of Parliament".

पार्लियामेंट के बाहर न उसके निर्णय को और न उसकी स्पीच को, जो कि उसके राइट के अनुसार होते हैं, उनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता।

मेरा निवेदन यह है कि संविधान में यह राइट दिया हुआ है कि पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के निर्णय आउट आफ हाउस क्वेश्चन नहीं हो सकते। आपकी रूलिंग भी इसमें हो गई। इसमें केस भी है। आपने स्वयं कहा कि २११ यहां पर लागू नहीं होता है क्योंकि आपने जस्टिस मुल्ला के केस में २, ३ उदाहरण दिये :—

"But whether the authority and position of an individual Judge or the due administration of justice is concerned, no wrong is committed by any member of the public who exercises the ordinary right of criticising in good faith, in private or public, the public act done in the seat of justice".

इसलिये जो कोर्ट का निर्णय हुआ उसकी हम यहां पर आलोचना कर सकते हैं। कुछ पेज में उस पर डिसीजन कर सकते हैं। यहां पर हाईकोर्ट के जज ने हमारे निर्णय के विरुद्ध अपना निर्णय दिया है जिसको हम इस हाउस की कंटेम्प्ट समझते हैं। प्रश्न यह है कि जिस विशेषाधिकार का दोषी को सदन सजा दे, क्या उस निर्णय को हेबीयस कारपस रिट के मातहत चैलेंज किया जा सकता है? पेज ५८५ पर देखें कि यह कंटेम्प्ट कैसे बनता है। इसमें है कि अगर कोई भी निर्णय यहां सदन में हुआ है और उसका बाहर कोई कंटेम्प्ट करता है तो वह अवमान का ईश्यू बन जाता है।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, अब मंत्री जी को सुन लीजिये।

श्री झारखण्डेराय—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जिन सदस्यों ने इस सवाल को उठाया है पहले उनकी बात सुन ली जाय और उसके बाद उसके पक्ष में या विपक्ष में जो भी बोलना चाहे बोले और फिर आप निर्णय दें।

श्री अध्यक्ष—

यह बात ठीक है। जो प्रस्तावक हैं उनकी सारी बातें सुन ली जायं, लेकिन पहले मंत्री जी को एक मिनट सुन लिया जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैंने तो निवेदन किया था कि इस बहस को ही बन्द कर दिया जाय।

(व्यवधान)

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—

मुझे आपसे यह अर्ज करना है कि जो मामला प्रिविलेज मोशन में उठाया गया है, वह एक अहम मामला है। इसमें सवाल यह है कि आया लेजिस्लेचर का जो जुरिस्डिक्शन है वह चैलेंज हो सकता है किसी और कोर्ट में, चाहे वह हाइयेस्ट कोर्ट ही क्यों न हो और खासकर जब आपने अपने किसी ब्रीच आफ प्रिविलेज के मामले में कोई ऐक्शन लिया हो? यह बात इतनी अहम है कि इसके बहुत रिपरकशन हो सकते हैं। यह नोटिस मेरे पास ११ बजे आया है और मुझे काफी वक्त नहीं मिला है कि इसे देख सकूं और आपके सामने अथारिटीज पेश कर सकूं। इंगलिश ला में भी यह क्लियर नहीं है। कुछ मामलों में वे दखल नहीं दे सकते, कुछ में दे सकते हैं और उनमें बहुत बारीक फर्क हैं। तो अगर आप मुनासिब समझें तो इसे २३ तारीख को ले लें और उस दिन आप दोनों की बात अच्छी तरह से सुन लें और फिर अपना फैसला दें। अगर आप मेरिट्स पर सुनना चाहें तो उनको सुन लें और मुझे भी जो निवेदन करना है वह मैं आज ही कर दूंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

माननीय न्याय मंत्री ने जो सुझाव दिया है, वह उचित है और वह समय लेकर इस विषय में देख पढ़ सकते हैं। वह मौका ले लें, लेकिन हम लोग, जिन्होंने यह मूव किया है, उसके लिये आज तैयार होकर आये हैं और आप हम लोगों को आज सुन सकते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मेरे प्वाइंट आफ आर्डर पर आप अपनी व्यवस्था दे दें, तब उनको बुलवावें।

श्री अध्यक्ष—

कल मैंने व्यवस्था दी है। आप उसको सुन लीजिये। कल भी मुल्ला के केस को रेफर किया गया था और मैंने जो कल व्यवस्था दी थी उसके सम्बन्ध में यहां पर कुछ बातचीत हुई थी। एक चीज तो यह होती है कि एक जज ने एक फैसला दिया, वह मुकदमा खत्म हो गया और उसका निर्णय हम लोगों को मालूम हो गया। अब अगर साधारण जनसमुदाय को यह अधिकार प्राप्त है कि कानून की दृष्टि से यह फैसला हमें सही नहीं लगता है, अगर बसु की या कोई भी कमेंटरी आप उठा कर देखें उनको यह कमेंट करने का अधिकार है कि अमुक फैसला जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने किया है उससे हम सहमत नहीं हैं, उसमें गलती मालूम होती है, कोई भी फेयर कमेंटरी जब कर सकता है तो मैं समझता हूं कि इस सदन को भी अधिकार प्राप्त है कि वह कहे कि इस जजमेंट से हम असहमत हैं, उसे हमें नम्र और शिष्ट भाषा में कहना चाहिये।

यह तो फैसले के बारे में हो गया। मुल्ला का जो प्रश्न उठा था उसमें मैंने बहुत से उद्धरण दिये हैं जिनको माननीय नेकराम शर्मा ने पढ़ कर सुनाया। निर्णय के बारे में आप एक चीज समझ लीजिये कि "It is not a cloistered virtue." यह ऐसी चीज नहीं हैं जिसको पर्दे की आड़ में रखा जाय, जिसके बारे में कोई कुछ कह न सके। यह अधिकार तो साधारण जनता को है। २११ अनुच्छेद में यह है कि आप यहां पर यह नहीं कह सकते कि अमुक फैसला जज ने रिश्वत लेकर किया। आप यह नहीं कह सकते कि जजों का ट्रांसफर रिश्वत लेकर होता है। आप नहीं कह सकते कि अप्वाइंटमेंट रिश्वत लेकर होता है। ये चीजें कंडक्ट में आ जाती हैं, यह उनका आचरण दिखलाता है कि उन्होंने गलत फैसला किया।

[श्री अध्यक्ष]

लेकिन जो फैसला हो चुका हो उस सम्बन्ध में कानूनी प्रश्न पर अगर कोई एक सभ्य और शिष्ट भाषा में फेयर कमेंटरी करता है तो वह हो सकती है, यह आप समझ लें।

अब जो यहां पर प्रश्न है, फर्ज कर लीजिये कि मैं मुद्दई या मुद्दालय हूं। मैंने एक काम किया, मेरे ऊपर एक मुकदमा चल गया। अब मैं सोच सकता हूं या नहीं सोच सकता हूं कि मुकदमा मेरे ऊपर चलना चाहिये या न चलना चाहिये और अगर चलता है तो मुझे क्या कार्य करना है? यह प्रश्न है हमारे सामने।

श्री उग्रसेन—

आपके सामने तो नोटिस है, अदालत के सामने जवाब दाखिल कीजिये।

श्री अध्यक्ष—

आप बीच में टोक देते हैं। आप बैठिये।

इस सदन का एक फैसला है। तो सदन को यह अधिकार है या नहीं है कि वह यह सोचे कि हमने जो किया था उसके सम्बन्ध में न्यायालय ने एक कार्य किया है, तो हमें क्या करना चाहिये—यह सदन सोच सकता है या नहीं सोच सकता है?

कुछ सदस्य—सोच सकता है।

श्री अध्यक्ष—

यह आप फैसला थोड़े ही करेंगे। मैं एक कानूनी सवाल रखता हूं कि प्रश्न यह आ गया कि हमने एक फैसला किया और उस फैसले के सम्बन्ध में अदालत ने जिसको यहां से सजा दिलवाई थी उसको छोड़ दिया, तो प्रश्न यह होता है कि हमें क्या करना है या हम बैठे रहें चुपचाप?

श्री उग्रसेन—

विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न आपके सामने है, उस पर बहस कराइये।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। पहला प्रश्न यह है कि क्या हम सोच सकते हैं या नहीं? जब सोचेंगे तो कुछ सिद्धान्त उसमें निर्णीत होंगे कि उसमें हमारे क्या अधिकार हैं, वह कैसे हैं, उस अधिकार के विरुद्ध कोई और अधिकार आपने बढ़ा दिया, वह सही है या गलत है, हम क्या करें या क्या न करें, विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है या नहीं उठता है? लेकिन हम उनके आचरण के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते या यह कि वह बेईमान हैं या मैलाफाइडी आर्डर किया है। हम बहुत ही नम्रतापूर्वक कह सकते हैं कि हम असहमत हैं, हम निर्णय के ऊपर विचार करना चाहते हैं... (व्यवधान) आप बैठिये।

हम इस समय किसी भी जुडिशियरी के संबंध में विचार नहीं कर रहे हैं। तो जो आर्टिकिल २११ की बात कही गयी है वह इसमें लागू नहीं होती। (व्यवधान)

हमारे नियमों में यह दिया हुआ है कि इस संबंध में प्रत्येक स्तर पर बहस संक्षेप में होगी। इसलिये मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे अब जो कुछ कहें, संक्षेप में कहें। (व्यवधान)

*श्री चन्द्रजीत यादव—

मैं बहुत संक्षेप में ही कहूंगा। श्रीमन्, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय को प्रस्तुत करने का समय दिया। मैंने इस प्रश्न को विशेषाधिकार के जरिये यहां प्रस्तुत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया है। हमारे देश की संसदीय प्रणाली के अन्दर यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारे न्यायालयों और विधान मंडलों का क्या संबंध हो? कितनी आजादी पूर्वक हम यहां बैठ कर काम कर सकते हैं? न्यायालय कहां तक हमारे कामों के बारे में हस्तक्षेप कर सकते हैं?.

मान्यवर, चूंकि विशेषाधिकार के संबंध में कोई कानून नहीं बना है, संविधान की धारा १९४ के अनुसार हमारे वही विशेषाधिकार होंगे जो इंगलैण्ड की पार्लियामेंट को हैं। इसलिये इस संबंध में हम उन्हीं की गाइडेन्स लेंगे।

दूसरी बात यह है कि संविधान की धारा २१२ के अन्तर्गत हमको यह अधिकार है कि हमारे कामों के बारे में उसकी अनियमितता के आधार पर किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी, न्यायालय विधान मंडल की कार्यवाही की जांच नहीं करेंगे। २१२(१) में है—

> "प्रक्रिया में, किसी कथित अनियमितता के आधार पर राज्य के विधान मंडल की किसी कार्यवाही की मान्यता पर कोई आपत्ति न की जायेगी। (२) राज्य के विधान मंडल का कोई पदाधिकारी या सदस्य, जिसमें इस संविधान के द्वारा या अधीन उस विधान मंडल में प्रक्रिया को या कार्य-संचालन को विनियमन करने की अथवा व्यवस्था रखने की शक्तियां निहित हैं उन शक्तियों के अपने द्वारा किये गये प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन न होगा।"

मेरा निवेदन यह है कि जब यहां के कामों को चुनौती नहीं दी जा सकती और जो निर्णय इस आदरणीय सदन ने लिया है उस पर विचार करने का किसी न्यायालय को कोई अधिकार नहीं है। श्रीमन्, मैं इस संबंध में आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि १४ तारीख को जो हमने कार्य किया है वह संविधान के आर्टिकिल २०८(१) तथा अपनी प्रक्रिया नियमावली के नियम ७६(६) के अन्तर्गत किया है, यानी श्री केशवसिंह को कारावास की सजा दी है। जो कार्य हमने किया है वह संविधान के अनुरूप है और उसके मातहत प्राप्त अधिकारों के अनुसार बनायी गयी नियमावली के अनुरूप है। मैंने कहा कि हमारे विशेषाधिकार वही हैं जो हाउस आफ कामन्स के हैं। जो परिस्थिति वहां हुई है उसके अनुसार मैं यह बताना चाहता हूं कि किसी भी न्यायालय को श्री केशवसिंह की जमानत तक लेने का अधिकार नहीं था। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पृष्ठ ९३ पर कहा गया है—

> "The general rule (with the exception mentioned on page 95) is that the parties who stand committed for contempt cannot be admitted to bail, or the causes of commitment be inquired into, by the courts of law (*b*). This opinion, confirmed by numerous sebsequent decisions of the courts of law, given on applications for the release, or for the discharge on bail, of persons committed by the House of Lords and commons (*d*)."

तो न तो उनको जमानत लेने का अधिकार था और न इस बात की जांच करने का अधिकार था कि हमने क्या किया। आप देखेंगे कि इस प्रकार का एक केस इंग्लैण्ड में हुआ है। वहां हाउस आफ कामन्स में एक कन्टेम्प्ट का केस हुआ। एक आदमी को सजा दी गयी और मार्शल ने उसको जेल में भेजा, लेकिन हाईकोर्ट ने यह कहा कि मार्शल ने यह गैर कानूनी कार्य किया। इस प्रश्न को वहां के सदन ने विचार किया। इसके लिये आप मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज १५५ को देखें—

> "Jay *versus* Tophom, 1682—89—After a dissolution of Parliament, an action was brought in the Court of King's Bench against Tophom,

[श्री चन्द्रजीत यादव]

Serjeant at Arms, for arresting and detaining the plaintiff. Topham pleaded to the jurisdiction of the court that there was an order of the House for taking Jay into custody and bringing him to the bar of the House for an offence committed in breach of privilege ; but his plea was overruled and judgment given against him (*h*). The House declared that this judgment was 'illegal, a violation of the privileges of Parliament, and pernicious to the rights of Parliament' (*i*). Sir Francis Pemberton and Sir Thomas Jones who had been judges in the case, were ordered to attend the House ; they were examined, and finally ordered to be taken into the custody of the Serjeant at Arms (*k*)."

वहां ठीक ऐसा ही केस था जिसके लिये जजेज को सदन के सामने बुलाया गया।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं एक बात पर माननीय सदस्य का ध्यान दिला देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप तैयार होकर आया कीजिये। एक मर्तबा ही जो आपको कहना हुआ करे वह कह लिया कीजिये। अब आपको जब मौका बोलने का मिले, तब बोलिये।

श्री चन्द्रजीत यादव—

ठीक इसी प्रकार का केस वहां हुआ था और उसके लिये जजेज को सदन के सामने बुलाया गया, उनका एक्जामिनेशन हुआ और हाउस का कटेम्प्ट करने वाला उनको ठहराया गया। इसलिये यह इस हाउस के प्रिविलेज का सवाल है, इसकी अथारिटी को किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता।

"R. V. Paty and Others, 1704—Paty and four others, having been committed to Newgate by the House of Commons, were brought into the Court of Queen's Bench by writs of habeas corpus ; the cause of their commitment was returned to be a warrant signed by the Speaker, requiring the keeper of Newgate to take them into custody for having commenced and prosecuted an action at law against the constables of Aylesbury for refusing their votes in the election of members of Parliament, in contempt of the jurisdiction and open breach of the known privileges of the House of Commons. It was argued that the warrant was informal and further that it disclosed no breach of Privilege since the prosecution of a suit was lawful. But POWELL, POWYS and GOULD, JJ, held that the warrant was not reversible for form; and secondly that the court had no jurisdiction, the House of Commons being the proper judge of their own privileges."

अपने प्रिविलेजेज के संबंध में प्रापर जज केवल हाउस ही हो सकता है, दूसरा कोई न्यायालय नहीं हो सकता, इस बात को उन्होंने होल्ड किया है। चूंकि अभी तक हमारे यहां इस संबंध में कोई कानून नहीं बना है, इसलिये हम अपने विशेषाधिकार के संबंध में हाउस आफ कामन्स से ही गाइड होते हैं। इसके अन्तिम निर्णायक हम हो सकते हैं और इस सदन के फैसले को किसी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है।

विशेषाधिकार के संबंध में हमारा जो अधिकार है वह एकमात्र हमारा अधिकार है। कोई भी उसको चुनौती नहीं दे सकता। इस संबंध में आप मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज १७२ और १७३ को देखने की कृपा करें। पेज १७२ में दिया हुआ है—

"It has never expressly abandoned its claim to treat as a breach of privilege the institution of proceedings for the purpose of bringing

its privileges into discussion or decision before any court or tribunal elsewhere than in Parliament. In other words, it claims to be the absolute and exclusive judge of its own privileges, and that its judgments are not examinable by any other court or subject to appeal."

न तो इसके निर्णय को किसी अदालत में चुनौती दी जा सकती है और न उसकी कहीं अपील हो सकती है। इसकी अपीलेट और अन्तिम बाडी हम ही हैं। इसलिये श्रीमन्, आपके सामने मैंने यह प्रश्न पेश किया है।

पेज १७३ में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है—

".....(3) That the control of each House over its internal proceedings is absolute and cannot be interfered with by the courts.

(4) That a committal for contempt by either House is in practice within its exclusive jurisdiction, since the facts constituting the alleged contempt need not be stated on the warrant of committal."

तो अगर वारंट का कोई प्रोसीज्योर भी गलत हो किसी प्रकार से, तो उसके आधार पर भी उसे कोई रद्द नहीं कर सकता और न कोई उसे चुनौती दे सकता है। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मैंने जिन बातों को विशेषाधिकार की पूर्ति के सम्बन्ध में सदन के समक्ष रखा है, जैसा कि हमारे सदन ने १४ मार्च को एक निर्णय लिया था उसको उलट करके इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के दो न्यायाधीशों ने इस सदन का अवमान किया है और उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर काम किया है, इसलिये आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप इसकी गम्भीरता को देखते हुए उनको इस सदन के सामने बुलावें और इस सदन ने उस दिन श्री केशवसिंह के विरुद्ध जो निर्णय लिया था उसके विरुद्ध जो इन्होंने कार्यवाही की है उसकी गम्भीरता पर सदन बैठ कर विचार करे और निर्णय ले।

दूसरी बात यह कि श्री केशवसिंह को गैर-कानूनी तरीके से जो उन्होंने मुक्त कर दिया है—७ दिन की हमने सजा दी थी, वह सजा पूरी न हो पायी और एक दिन पहले ही उन्होंने जमानत पर छोड़ दिया, इसलिये आपसे मेरा अनुरोध है कि आप आज सदन का निर्णय लेकर फिर श्री केशवसिंह के विरुद्ध वारंट इश्यू करें और उनको गिरफ्तार करके जेल भिजवायें।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि जो प्रस्ताव मैंने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, उसकी गम्भीरता को देखते हुए, उसकी मर्यादा को देखते हुए और इस सदन में एक अच्छी संसदीय पद्धति कायम करने के लिये इस पर निर्णय लेगा, अन्यथा इस बात को भी ध्यान में रखना है कि हम जो जन प्रतिनिधि हैं, किसी को सजा कर देंगे तो अक्सर इस तरह से हमारे खिलाफ हाई कोर्ट में रिट दाखिल हो जाया करेंगे और सदन सम्मान के साथ व स्वच्छंदता के साथ कोई भी काम नहीं कर सकेगा। इसलिये इस प्रश्न को लेकर इस सदन की आजादी, इसकी प्रेस्टीज और आनर खतरे में है। इस पर विचार किया जाय और मैं अनुरोध करता हूं कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

अध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि आज इस विषय पर बहस अभी १ घंटा तक चलाई जाय क्योंकि यह बड़ा गम्भीर विषय है। इस पर जल्दी से एक साथ ही निर्णय लेना सम्भव न होगा इसलिये मेरा सुझाव है कि २ बजे तक इस पर बहस आज चले और आवश्यकता समझी जाय तो २३ को फिर इस विषय को ले लिया जाय।

(श्री वीरसेन का नाम पुकारे जाने के बाद)

श्री नेकराम शर्मा—

मैं श्री बनारसीदास के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

वह सुझाव है, प्रस्ताव नहीं है।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

श्रीमन्, इसके पक्ष और विपक्ष में सदस्यों को बोलने का अधिकार है, मैं इसके विपक्ष में बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं सबको समय दूंगा, माननीय वीरसेन बोल लें उसके बाद मौका दिया जायगा।

*वीरसेन (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, यह विशेषाधिकार का जो प्रश्न है यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें ऐडमिनिस्ट्रेशन के २ अंगों का, लेजिस्लेचर और जूडीशियरी का एक कांफ्लिक्ट सामने आ गया है। मैं समझता हूं कि सदन के माननीय सदस्य इस प्रश्न को प्रिविलेज के क्वेश्चन की हैसियत से ही देखेंगे और इस प्रश्न पर विचार करते समय और कोई चीज अपने सामने नहीं रखेंगे और न दिमाग में लायेंगे।

इसमें २–३ सवाल उठाये गये हैं। पहला सवाल तो यह है कि इस सदन को सजा देने का कहाँ तक अधिकार है या इसका अधिकार बृटिश पार्लियामेंट के बराबर है। दूसरे यह कि क्या यह सदन कोर्ट की हैसियत से फैसला कर सकता है, उसके फैसले को ओवरराइड किया जा सकता है दूसरे कोर्ट्स के द्वारा और तीसरे, जजेज ने जो हमारे फैसले को बाल कर उसके एग्जिक्यूशन को रोका है उससे ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ या नहीं ? जैसा कि माननीय न्याय मंत्री जी ने कहा कि इस मामले में कोई साफ फैसल नहीं हैं। मैं सदन के सामने कहूंगा कि मैं उनकी राय से मुत्तफिक नहीं हूं और मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे प्रश्नों पर बहुत साफ प्रीसिडेन्स हैं। ऐसे सवालों पर जब सदन के फैसले हुये हैं या कन्टेम्ट या प्रिविलेज के मामले आये हैं तो उनमें कोर्ट्स को कोई दखल देने का हक नहीं है।

मैं इसमें एक केस की नजीर देना चाहता हूं। एन्सन्स ला कांस्टीट्यूशन के वाल्यूम १ में एक केस है और उसका मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस में भी रिफ़ेन्स है। उसमें पेज १६८ पर साफ दिया है बरडेट वर्सेज एबट उसमें लिखा है कि—

> "If a commitment appeared to be for a contempt of the House of Commons generally, I would neither in the case of that Court nor of any other of the superior Courts, enquire further ; but if it did not profess to commit to contempt."

यह एक केस है और इसके अलावा और भी केसेज हैं जिनमें उन फैसलों को कन्फर्म किया गया है।

यह जर्नल आफ पार्लियामेंटरी इन्फार्मेशन है, वाल्यूम ५, अक्तूबर १९५९ का, यह नम्बर २ है इसके पेज १२८ और १३० पर डिम वर्सेज मर्फी का एक केस है।

तो इस मामले में.....

श्री अध्यक्ष—

कौन सा पेज है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री वीरसेन—

पेज १२८–१३०, जर्नल आफ पार्लियामेंटरी इनफार्मेशन वाल्यूम पांच, अक्तूबर १९५९ का नम्बर २ है। तो जाहिर है कि इस मामले में कंटेम्ट के सम्बन्ध में कमिटमेंट हो तो किसी कोर्ट को दखल देने का अधिकार नहीं है। मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस के पृष्ठ ९० पर लिखा हुआ है कि कोई जज हो या मैजिस्ट्रेट हो वह उससे बरी नहीं है अगर कंटेम्ट करता है। इल्लीगल ऐक्ट क्यों हुआ है उसकी दलील मैं आगे दूंगा।

"The power of commitment is truly described as the 'Keystone of Parliamentary privilege.' As was said in the Commons in 1593, 'This court for its dignity and highness hath privilege, as all other courts have. And, as it is above all other courts, so it hath privilege above all other courts ; and as it hath privilege and jurisdiction too, so hath it also Coercion and Compulsion ; otherwise the jurisdiction is nothing in a court, if it hath no Coercion,."

तो अध्यक्ष महोदय, यह कोर्ट जिस तरह से और कोर्ट्स हैं उसी तरह इसके प्रिविलेजेज हैं, लकिन मेरा कहना है कि जो पार्लियामेंट का कोर्ट है यह किसी कोर्ट से इंफीरियर नहीं है, इसके फैसले को कोई कोर्ट ओवर रूल नहीं कर सकता, जहां तक कंटेम्ट और प्रिविलेज का प्रश्न है। अगर कोई और केस हो तो वह कोर्ट में जा सकता है, लेकिन प्रिविलेज और कंटेम्ट के बारे में कोई और अथारिटी नहीं है सिवाय इस सदन के जो इस बारे में फैसला कर सके।

अध्यक्ष महोदय, कंडक्ट के बारे में जो आर्टिकिल २११ है उसकी चर्चा की जाती है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आपने इस बारे में अपनी राय जाहिर कर दी है कि जजमेंट चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो हम उसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं .....

श्री उग्रसेन—

यह किसकी राय जाहिर कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

सुन तो लीजिये।

श्री वीरसेन—

अब सवाल यह है कि अगर कोई आदमी किसी आफिस में बैठकर बियान्ड जुरिस्डिक्शन काम करे तो क्या वह लायबिल है कि नहीं ? इस केस में साफ जाहिर है कि कोर्ट ने जुरिस्डिक्शन से आगे बढ़ कर काम किया है। इसमें ला बिलकुल साफ है कि पार्लियामेंटरी प्रिविलेजेज में कोर्ट दखल नहीं दे सकता। जैसा माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने कहा कोर्ट को बेल ग्रान्ट करने का भी हक नहीं है। तो जाहिर है कि इसमें जुरिस्डिक्शन से बाहर जाने के विषय में कोई शुबहा नहीं है। अगर किसी ने जुरिस्डिक्शन से बाहर काम किया है, चाहे जज हो या मैजिस्ट्रेट हो, कोई अथारिटी हो, अगर अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर काम करती है तो ला को तोड़ती है। इस सिलसिले में पार्लियामेंट के ला आफ प्रिविलेजेज को तोड़ा गया है। अगर कोई आदमी ऐसा करता है तो वह लाएबिल हो जाता है लीगली। अगर कोई जज इल्लीगल फैसला देता है किसी के मर्डर का तो कोई कोर्ट उसको माफ नहीं कर सकता उस सजा से, और जो कोई उस इल्लीगल ऐक्ट को ऐक्जीक्यूट करेगा वह भी उतना ही लाएबिल होगा। यह बड़ा सिम्पिल प्रिन्सिपल आफ ला है। इस केस में इन जजेज ने अपने जरिस्डिक्शन के बाहर ऐक्ट किया है।

श्री अध्यक्ष—

इनहरेंट जुरिस्डिक्शन ?

श्री वीरसेन—

जो लीगल जुरिस्डिक्शन है। लेकिन कोर्ट ने अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर ऐक्ट किया है। इस तरीके से यह ब्रीच आफ प्रिविलेज किया है, इस हाउस के डिसिजन का कन्टेम्प्ट करके।

एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि इस फैसले से इस सदन का बहुत उपहास हुआ है। इस सदन का कोई फैसला हो तो कोई भी कोर्ट उसके बारे में फैसला दे....

श्री अध्यक्ष—

This is more sentimental than argumental.

श्री वीरसेन—

इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। आर्ग्यूमेंट की बात है।

श्री अध्यक्ष—

सदन का उपहास हुआ है कहना ठीक नहीं है।

श्री वीरसेन—

सदन का यह प्रिविलेज है। मैं एन्सन की ला एंड कस्टम आफ दी कांस्टीट्यूशन की पृष्ठ १८९ के अंतिम पैरा को पढ़ कर सुनाये देता हूं जिसमें दिया है कि इस पार्लियामेंट को उपहास का विषय नहीं बनाया जा सकता है—

"If there were no precedents upon the subject, no legislative recognition, no practice or opinions in the Courts of Law recognising such an authority, it would still be essentially necessary to the Houses of Parliament to have it; indeed, they would sink into utter contempt and inefficiency without it. Could it be expected that they should stand high in the estimation and reverence of the people, if, whenever they were insulted, they were obliged to await the comparatively slow proceedings of the ordinary Courts of Law for their redress ? That the Speaker, with his mace, should be under the necessity of going before a grand jury to prefer a bill of indictment for the insult offered to the House."

तो इन सब चीजों से जस्टिस ने सदन की इज्जत को नीचा किया है। अध्यक्ष महोदय, इसमें अभी माननीय चन्द्रजीत यादव ने एक रेफेरेंस किया था।

श्री अध्यक्ष—

अब २ मिनट में समाप्त कीजिये।

श्री वीरसेन—

एक बात मैं और यह कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स एविडेन्स ऐक्ट में भी इसका प्राविजन है कि वे ला कोर्ट उसका कौगनिजैन्स लेगा। इस मामले में जानबूझ कर इस हाउस का जो डिसिजन है उसका कैगनिजैन्स नहीं लिया है। अगर हैबियस कौपर्स कोई रिट फाइल हुई तो इस सदन से पूछना चाहिये था कि कैसे इसको गिरफ्तार किया गया है। यह खबर जाती तो कोर्ट उससे आगे न बढ़ती। इस तरह से जानबूझ कर लेजिस्लेचर के अधिकारों का वायलेशन किया। जानबूझकर उसकी इज्जत का अवमान किया है। जानबूझ कर जो कौगनिजैन्स लेना चाहिये था वह नहीं लिया गया है। इसलिये ३ कारणों से यह डेलीब्रेटली किया गया है इस सदन का अवमान करने के लिए। उसके लिए यहां पर जजेज को लाकर सजा देनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

अब समाप्त कीजिये, एक मिनट में ।

श्री वीरसेन---

अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात और कहनी है कि यह सवाल सदन में और बाहर भी उठाया जाता है कि इस सदन के प्रिविलेज क्या हैं और दंड देने के अधिकार हैं या नहीं । यह दलील दी जाती है कि पार्लियामेंट सौवरन या सुपरीम हैं या कोर्ट । कौंस्टीट्यूशन में उनकी पावर्स अलग-अलग डिफाइन हैं इसलिये यह दलील कि सदन को दंड देने का अधिकार नहीं है और कोर्ट को ओवरराइड करने का अधिकार है इस कन्टैन्शन को रैपुडियेट करना चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कंटेंशन को रैपुडियेट करने के लिये एक केस का रिफरेंस देना चाहता हूं जो बैक्सटाउन्स आबजर्वर ऐंड फिट्स मेट्रिक एंड ब्राउन के नाम से मशहूर हुआ है और जर्नल आफ दी सोसाइटी आफ क्लार्क्स के पृष्ठ ९० और जर्नल आफ पार्लियामेंटरी इंफारमेशन के पृष्ठ १२८ पर दिया हुआ है जिसे मैं पढ़े देता हूं---

"It is quite incredible that the framers of section 49 were not completely aware of the state of the law in Great Britain and, when they adopted the language of section 49 were not quite conscious of the consequences which followed from it. We are, therefore, of opinion that the general structure of this Constitution meaning by that the fact, that it is an instrument creating a constitution of a kind commonly described as rigid in which an excess of power means invalidity does not provide a sufficient ground for placing upon the express words of section 49 an artificial limitation."

प्रिविलेज के मुताल्लिक जो बातें हैं उन पर कोई लिमिटेशन संविधान के नाम की वजह से नहीं रखी जा सकती है और प्रिविलेज में पार्लियामेंट बिलकुल फ्री है । इस सिलसिले में जब यह केस अपील में प्रिवि कौंसिल में गया तो वहां इसके मुताल्लिक यह कहा गया---

"I concede at once that if this was an English case, if I were appearing here for people who had been committed to the Tower on the warrant of the Speaker of the House of Commons—as a matter of fact Parliament in this country has not asserted that power in practice for a long time—the court could not enquire into the authority of the warrant or go behind it."

प्रिवि कौंसिल ने यह फैसला किया कि प्रिविलेज के क्वेश्चन में किसी कोर्ट को जाने का हक नहीं है । मैं समझता हूं कि इस मामले में ला काफी साफ है और यह भी साफ है कि जजेज ने अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जा कर फैसला किया और इस हाउस का अवमान किया ।

(श्री भगवानसहाय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---

श्रीमन्, भगवानसहाय जी के भाई जज हैं. . . . . (शोर)

श्री उग्रसेन---

यह इसको वापस लें । (शोर) भगवानसहाय जी के भाई कुछ भी हो सकते हैं, क्या मतलब है इससे, यह इसको वापस लें । (शोर) इनके भाई क्या हैं ? यह इसको वापस लें. . . . . (शोर)

श्री अध्यक्ष--

आपको ज्यादा नाराजगी है । उनको नाराजगी नहीं है । उनको बोलने दीजिये ।

श्री भगवानसहाय--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न हमारे सामने उठा वह अहम है, जो माननीय मिश्रा जी ने कहा, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता । केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यह सवाल मिश्रा जी की पार्टी में बहुत बड़े पैमाने पर उठ चुका है और उसका उचित जवाब दिया जा चुका है ।

अब जो सवाल हमारे सामने है वह यह है कि ब्रीच आफ प्रिविलेज के सिलसिले में एक केस में आपने कुछ को ताड़ना दी और एक को आपने सात दिन की सजा दी और यह आदेश दिया कि वह सजा लखनऊ जेल में काटी जाय । उस आदमी को जेल के सुपुर्द कर दिया गया । सजा वह भोग रहा था । उस आदमी ने अपनी एक रिट दायर की इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में और अपने उस फैसले के मामले में कुछ राहत मांगी । अब सवाल यह होता है कि कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ब्रीच आफ प्रिविलेज के केस में होता है या नहीं ? मुझे अफसोस इस बात का है कि यह इतना महत्वपूर्ण मामला है और इस मामले पर गम्भीरता से सोचना चाहिये था, लेकिन मैं देख रहा हूं कि सदन भावुकता के वश होकर इस मामले पर अपने विचार व्यक्त कर रहा है । चन्द्रजीत यादव जी ने जो दो केस कोट किये, उनमें एक तो केस १६[illegible] का है और दूसरा केस १७०४ का है । मैं मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस से एक केस १८३६ का जो हाउस आफ कामन्स में हुआ है वह आपके सामने पढ़ना चाहता हूं । वह उसके पेज १५९-१६० चैप्टर फोरटीन्थ में है--जुरिस्डिक्शन आफ दि कोर्टस ऐंड प्रिविलेज । यह केस हुआ था स्टाकडेल वर्सस हैंसर्ड (१८३६-३७) । केस के मेरिट और डीमेरिट में जाने का सवाल नहीं था । सवाल था प्रिविलेज और कोर्ट के जूरिस्टिक्शन का--

"The case was heard by DENMAN, C. J., and LITTLEDALE, PATTESON and COLERIDGE, JJ.

In his argument for the defendent, the Attorney General claimed that the courts had no jurisdiction in matters of privilege, because the High Court of Parliament was a superior court and the law of Parliament a separate law, and because a declaration by either House on parliamentary privilege was the judgment of a court of exclusive jurisdiction which was binding on other courts".

यह आर्ग्यूमेंट इसमें आया था । और इस पर चीफ जस्टिस लार्ड डैनमन ने अपने जजमेंट में जो आबजर्वेशंस दिये थे उनको आपके समक्ष में पढ़ देना चाहता हूं--

"In his judgment, Lord Denman insisted on the right of the courts to decide whether a particular claim of privilege fell within the jurisdiction of the House of Commons, irrespective of whether it was the direct issue or came before the court incidentally. He denied that the law of Parliament was a separate law unknown to the judges of the common law courts."

अब माननाय चन्द्रजात यादव ने जो २ पैराग्राफ कोट किये हैं और वे उसके आगे पढ़ देते तो फिर वे इस आपत्ति को न उठाते । पहले माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने जो पढ़ा है उनको पढ़ता हूं और पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें सदन के सामने रखूंगा जिससे पिक्चर क्लियर हो जायगी--

"The field of agreement is thus wide. With respect to rights exercisable within a House the jurisdiction of the House is complete ; and it is in practice so with respect to rights exercisable outside a House in the principal way in which the courts might come into contact with such rights, namely, in punishi-

ment for contempt or breach of privilege. The remaining opportunities for conflict with the courts are therefore narrow. 'But while I do not deny that as a matter of reasoning such things might happen, it is consoling to reflect that they have scarce ever happened in the long centuries of our history, and that in the present state of things it is but barely possible that they should ever happen again. 'If such a conflict should arise, however, the House has its remedy in recourse to legislation, just as it solved the dispute with the courts over the protection of papers published by its orders by means of the Publication of Papers Act,."

"Since the House of Commons has not for a hundred years refused to submit its privileges to the decision of the courts, it may be said to have given practical recognition to the jurisdiction of the courts over the existence and extent of its privileges. On the other hand the courts have always, at any rate, in the last resort refused to interfere in the application by the House of any of its recognised privileges."

तो यह कनफ्लिक्ट हाउस आफ कामन्स में लगभग ५०० साल से चला आ रहा है । १८३६ का फैसला जो मैं पढ़ रहा था वह ज्यादा इम्पार्टेन्ट है १६६४ और १७०४ के केसेज के मुकाबिले में, इसलिये कि उस वक्त तक ला काफी डेवलप हो गया था पब्लिक में और पार्लियामेंट में अपने हकूक के बारे में । तो मैंने यह जानबूझकर पढ़ा है बाई, मिस्टेक नहीं पढ़ा है । इसी चैप्टर में आगे चलकर उन्होंने समराइज किया था--

"It is a remarkable fact that the modern solution of the problem was anticipated by Clarendon at the beginning of the struggle between the Houses of Parliament and the Courts. 'We are' he represents the Commons as saying 'and have always been confessed the only judges of our own privileges : and therefore whatsoever we declare to be our privilege is such otherwise whoever determines that it is not so makes himself the judge of that whereof the cognizance only belongs to us'. And he solves the 'sophistical riddle' by showing that the proposition is only true if 'rightly understood'. 'I say the proposition rightly understood : they are the only judges of their privileges, that is, upon the breach of these privileges which the law had declared to be their own, and what punishment is to be inflicted upon such breach. But there can be no privilege of which the law doth not take notice, and which is not pleadable by, and at law."

कोई भी ऐसा प्रिविलेज का केस नहीं है जिसके ऊपर कोर्ट आफ ला को क्रिटिसाइज और उसका extent ascertain करने का अधिकार न हो ।

अब मैं आपसे यह अर्ज करूं कि पिछले ४००, ५०० साल से हाउस आफ कामन्स में यह स्ट्रगिल चल रही है कि हाउस के प्रिविलेज क्या हैं और बाहर के लोगों के क्या हैं और कोर्ट उन पर कहां तक अपना निर्णय दे सकता है । इसके ऊपर जो लेटेस्ट पोजीशन है वह मैंने आपके सामने रखी ताकि आप और यह हाउस इस मामले को समझ सके । इसी वजह से मैंने दोनों पक्ष की बातें--पक्ष की भी और विपक्ष की--कहीं । ऐसी बात नहीं है कि मैंने किसी एक पैराग्राफ को छोड़ दिया हो और जो उसके खिलाफ बात हो उसको यहां पर न रखा हो । मैंने दोनों पैराग्राफ को हाउस के और आपके सामने रख दिया जिससे आप और हाउस इसको समझ सके ।

अब मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी पार्लियामेंट की पावर में और हाउस आफ कामन्स की पावर में क्या अन्तर है । हाउस आफ कामन्स और हाउस आफ लार्ड्स सुप्रीम और सावरेन

[श्री भगवानसहाय]

बाडी हैं। इनका कोई ऐक्ट कोर्ट आफ ला में चैलेंज नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट का ऐक्ट कोर्ट आफ ला में चैलेन्ज हो सकता है और वे अल्टरा वायरस डिक्लेयर भी होते हैं। इंगलैण्ड में ऐसा नहीं होता है। इंगलैण्ड की हाउस आफ कामन्स के बारे में यह कहा जाता है कि वह आदमी को औरत और औरत को आदमी में बदलने के अलावा सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमारे यहां की पार्लियामेंट ऐसी नहीं है। हमारे यहां की पार्लियामेंट का हर ऐक्ट और हमारे यहां की असेम्बली का हर ऐक्ट ला कोर्ट में चैलेंज हो सकता है।

दूसरी बात यह है कि हमारे यहां एक रिटेन कांस्टीट्यूशन है। हमारे पार्लियामेंट की वही पावर हैं जो हमारे रिटेन कांस्टीट्यूशन में दी हुई हैं। हर आदमी को मालूम है कि हमारी पार्लियामेंट के वही प्रिविलेज हैं जो हाउस आफ कामन्स के हैं और हमारी पार्लियामेंट की पावर वही हैं जो हमको कांस्टीट्यूशन ने दी हैं। इसके अलावा हमारी कोई पावर नहीं है। वे पार्लियामेंट की पावर हमारे कांस्टीट्यूशन में दी हुई हैं। इसलिये हमारी पार्लियामेंट की पावर हाउस आफ कामन्स की पावर के समान नहीं हो सकती हैं।

श्री अध्यक्ष--

१९४ और १९५ में जो कहा गया कि हमारे सारे पावर और प्रिविलेजेज वही हैं जो हाउस आफ कामन्स के हैं, उसको जरा आप डिस्टिंग्विश कर दीजिये।

श्री भगवानसहाय--

आपने जो आर्टिकिल बतलाये हैं वे अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन यह इंटरप्रेटेशन का सवाल है। सवाल यह है कि उनके यहां रिटेन कांस्टीट्यूशन नहीं है, इसलिये हम इब्सो फैक्टो उनकी नजीरों को ले नहीं सकते। हमको देखना पड़ेगा कि उनके प्रिविलेज defunct तो नहीं हो गये, अभी भी हैं या नहीं। वह हमारे संविधान के आर्टिकिल्स से कंट्रेरी तो नहीं हैं यह हमें देखना पड़ेगा। इंग्लैण्ड में उनको पावर्स हैं और वे जो कुछ करें उसका उनको हक है। यहां सवाल यह है कि कोर्ट ने सिर्फ यह किया कि उनका रिट ऐडमिट कर लिया है और रिट का फैसला होने तक उन्होंने बेल पर रिलीज़ कर दिया है। तो अगर कोई आर्टिकल बनता भी है तो वह उस समय बनता है कि जब उसका फैसला हो जाय। वैसे तो उसका कोई सवाल नहीं है, लेकिन अगर माननीय सदस्य समझते भी हों तो यह सवाल उस समय पैदा होता है कि जब उस पर कोई ऐक्शन हो जाय। कोर्ट को किसी मसले पर कोई राय देने का अधिकार नहीं है ऐसी मंशा जो श्री चन्द्रजीत जी ने प्रकट की है मैं उससे एग्री नहीं करता। हर प्रिविलेज को व उसके एक्सटेंट को जानने का समाज है।

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो मिनट में ही निवेदन कर दूंगा। मुझे इतना ही निवेदन करना है कि माननीय वीरसेन जी ने और माननीय यादव जी ने जिस आर्टिकल १०५ (३) को अपनी बहस का आधार बनाया जिसमें यह है कि अगर संविधान में कोई ऐसी चीज न हो तो उसके लिये हम ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ देखेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा संविधान इसके लिये बिलकुल क्लियर है और इसलिये १०५ इसमें नहीं लगती। हमारा संविधान इस विषय में एक दम स्पष्ट कहता है आर्टिकल १९४ में। आप आर्टिकल १९४ (२) को देखें जिसमें है कि "राज्य के विधान मंडल में या उसकी किसी समिति में कही हुई किसी बात अथवा किया हुई किसी मद के विषय में विधान मंडल के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं चल सकेगी।" इसका अर्थ क्या हुआ? मेरा निवेदन करने का तात्पर्य यह है कि इसमें स्पष्ट शब्दों में कहा है कि विधान मंडल के किसी सदस्य के विरुद्ध यह होना चाहिये कि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध न्यायालय में कोई मुकदमा आया हो, वह इस सदन का सदस्य भी होना चाहिये।

*वक्ता ने भाषन का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---

इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति अगर इस सभा का सदस्य है और उसने कोई बात यहां कही है तो उसके लिये उस के ऊपर कोई मुकदमें की कार्यवाही नहीं होगी और यही लफ्ज १०५ में भी हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह---

२११ को आप देखें, उसमें आपकी भी अनुज्ञा हो चुकी है कि किसी जज के न्यायिक आचरण को यहां क्रिटिसाइज नहीं किया जायगा।

श्री अध्यक्ष---

२११ में "न्यायिक" लफ्ज नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह---

मुल्ला वाले फैसले पर जो रूलिंग आपने दी है उसमें उस आचरण की व्याख्या आपने की है।

श्री अध्यक्ष---

कर्त्तव्य पालन में किये गये आचरण के विषय में राज्य विधान मंडल में कोई चर्चा न होगी।

कुंवर श्रीपालसिंह---

किस चीज का कर्त्तव्य पालन और कैसा आचरण ? वही जो न्याय के सम्बन्ध में होगा। तो न्यायाधीश के उसके न्याय के आचरण को यहां क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद १९४ सदस्य के लिये है, पब्लिक के किसी आदमी के लिए नहीं है। क्योंकि केशवसिंह पब्लिक के आदमी हैं, सदस्य नहीं हैंइसलिए जैसा कि आपने पहले कहा, यह हमारा अधिकार है एक नागरिक होने के नाते। जो विशेषाधिकार सदस्य के नाते हैं उनके अतिरिक्त सामान्य अधिकार एक नागरिक के नाते हैं और हर एक नागरिक को अधिकार है कि वह किसी भी कोर्ट के फैसले के विरोध में अपनी हिफाजत के लिए किसी दूसरी कोर्ट से याचना कर सकता है और इसके लिए स्वयं आपने अभी कहा था। हमारा संविधान स्पष्ट कहता है, इसमें जरा भी रुकावट नहीं है। यह जो सारी बात कही गयी हैं वह १०५ के आधार पर है, लेकिन चूंकि वह लागू नहीं होती इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)---

माननीय अध्यक्ष, यह विषय बहुत गम्भीर है, लेकिन अफसोस है कि मालूम नहीं क्यों इस तरह से समय लड़ाई झगड़े में खराब किया जा रहा है। आज हमें संसदीय परम्पराओं को बनाना है। जैसा कि बहुत लम्बी-चौड़ी मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस और जो प्रैक्टिसेज हाउस आफ कामंस की हैं, माननीय वीरसेन जी ने पढ़ कर सुनाई और भगवानसहाय जी ने सुनाई, उस सब से एक बात यह तय होती है कि यह सैकड़ों वर्ष तक पार्लियामट का और जुडीशियरी का झगड़ा चलता रहा, मगर हुजूर, यह जरूरी नहीं है कि हम भी १०० वर्ष तक इस झगड़े को चलाते रहें। जो प्वाइंट ऐट ईश्यू है उसे हम आज ही तय कर सकते हैं और हमेशा के लिए एक संसदीय प्रणाली डाल सकते हैं। देखने की बात यह है कि आज कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज का क्वेश्चन, जैसा कि माननीय चन्द्रजीत जी ने रखा है, प्राइमा-फैसी केस है या नहीं ?

मान्यवर, न्याय मंत्री जी ने दो-चार शब्दों में बोलते हुए यह कहा कि इंगलिश ला और ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इसके ऊपर कोई एक तरफा ओपीनियन नहीं है, कुछ इधर भी है, कुछ उधर भी है, जैसा कि भगवान सहाय जी ने भी फरमाया। अब जो मसला आपके सामने

[श्री बृजभूषणशरण]

है उसका एक फाइनल डिसीशन होना चाहिये। अगर राय इधर या उधर भी हो तब भी प्राइमा फेसी केस होने की वजह से एक मर्तबा तय कर दिया जाय। दोनों तरफ के आर्गूमेंट सुनने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि 'much has to be said on either side' तब भी चूंकि डिस्टिंक्टली डिसाइडेड ईश्यू नहीं है इसलिए इसको डिसाइड होना चाहिये। प्राइमा-फेसी केस ब्रीच आफ प्रिविलेज का है और माननीय न्यायाधीशों के निर्णय को प्रिविलेज कमेटी को सुपुर्द किया जाना चाहिये और वहां के इन्वेस्टिगेशन के बाद में हाउस जो भी निर्णय दे। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष--

अगर इसे प्रिविलेज कमेटी को भेजा जाय तो किन प्वाइन्ट्स पर उसको रिफर किया जाय, यह आप कृपया बतायें।

श्री बृजभूषणशरण--

मैं वही बताने जा रहा था। हमको यह देखना है कि हाउस के कौन-कौन से प्रिविलेजेज हैं। यहां पर १०५, १९४,, २११ तथा २१२ आदि का काफी उदाहरण दिया गया। २११ और २१२ तो एक जैसे ही हैं। २११ में यह है कि जजेज के कन्डक्ट के बारे में कोई डिस्कशन यहां नहीं होगा। २१२ में यह है कि यहां की प्रोसीडिंग्स के बारे में वहां चैलेन्ज नहीं किया जा सकेगा। अब यहां पर हम न्यायाधीश के कन्डक्ट को डिस्कस कर रहे हों ऐसी बात नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या जूरिस्डिक्शन उनको इसमें हस्तक्षेप करने का था या नहीं? अगर नहीं था तो यह ब्रीच आफ प्रीविलेज है या नहीं? अब इस सब को तय करने का क्या तरीका हो? उसके लिये कोई तरीका तो निकालना ही होगा। उसके लिये यही तरीका हो सकता है कि इसको प्रिविलेज कमेटी को भेज दिया जाय।

श्रीमन्, माननीय भगवान सहाय जी ने जनरल कनक्लूजन की तरफ बड़ा ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने कहा कि मैंने दोनों पक्ष की बातों को रख दिया मगर मैं समझता हूं कि वे स्वयं अपने माइन्ड में उसके लिये क्लीयर नहीं हैं। श्रीमन्, पार्लियामेंट और जूडिशियरी के बीच का झगड़ा वहां बराबर रहा है। इसीलिये उन्होंने लिखा है---मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस के पृष्ठ १७३-१७४ पर (एडीशन १६)---

> "Since the House of Commons has not for a hundred years refused to submit its privileges to the decision of the courts, it may be said to have given practical recognition to the jurisdiction of the courts over the existence and extent of its privileges. On the other hand, the courts have always, at any rate in the last resort, refused to interfere in the application by the House of any of its recognized privileges."

चूंकि वहां पर रिटेन संविधान नहीं था, इसलिये यह झगड़ा था। वहां पर हाउस आफ लार्ड्स के जो प्रीविलेज थे उन्हीं को हाउस आफ कामन्स ने भी माना है। चूंकि संविधान लिखित नहीं था इसलिये उन्होंने कुछ ऐसे प्रिविलेजों को माना था जिन्हें हाउस अज्यूम कर ले।

अब मान्यवर, आपको यह देखना होगा कि हमारा संविधान इस विषय में क्या कह रहा है। आपको इसके लिये अनुच्छेद १९४ और २०८ को देखना पड़ेगा। १९४ में है कि अगर बाई ला हम कोई चीज तय करते हैं तो वह मान्य होगी और अगर नहीं करते हैं तो ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स के प्रिविलेजेज और अधिकार हमको भी होंगे। २०८ में रूल्स बनाने का अधिकार है। २०८ और १९४ को मिलाकर पढ़ें और अपने नियमों को पढ़ें, जिसका बीरसेन जी ने थोड़ा सा हिस्सा पढ़कर सुनाया--नियम ७६, तो उसके जरिये से हमने नियम बनाये, जो संविधान के मातहत होने से ला की फोर्स रखते हैं।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

२०८ के मातहत जो नियम बनाये वे कानून की शक्ल में हैं या नहीं ?

श्री बृजभूषणशरण---

यही तो मैंने अभी कहा कि वे कानून की फोर्स रखते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

जो सवाल वह उठा रहे हैं वह मैं नहीं उठा रहा हूं । आई एम क्लीयर इन माई माइंड । (I am clear in my mind)

श्री बृजभूषणशरण---

हमारे नियम ला की फोर्स रखते हैं और उन्हें जानना चाहिये न्यायाधीशों को । उन्हें यह भी मालूम होना चाहिये था कि यह किस मामले में जेल भेजे गये और यह जानते हुए उन्हें बहुत सावधानी से चलना चाहिये था । अगर वे हैंजार्डसली उस मैदान में चले हैं जिसमें कांटे चुभ सकते हैं, तो वे जरूर चुभेंगे । यह देखते हुए और खास तौर से इस केस का जिसका जिक्र चन्द्रजीत जी ने किया है, जिसमें २ जजों को हाउस आफ कामन्स में सजा दी गई यह प्रश्न प्रिविलेज कमेटी को भेजा जाय ।

श्री भगवानसहाय---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि आज का दिन बजट का है और मरा कट-मोशन है । इतना समय इस बहस में लग गया । तो या तो आप सदन का समय उस समय तक बढ़ा दें जब तक वह कट-मोशन मूव न हो जाय, या आप इस विषय को शाम को ले लें और सदन १२ बजे तक या २ बजे तक या सारी रात बैठे ।

श्री अध्यक्ष--

यह बाद में देखा जायगा । जब आप ने यह प्रश्न उठाया था तब ऐसी व्यवस्था मांगी होती तो ठीक होता । अब जो प्रोपोजल रख रहे हैं यह स्वीकार नहीं है ।

श्री भगवानसहाय--

मैंने यह नहीं कहा कि न बोलने दिया जाय । आपने मेरे लिए बहुत ही अनचैरिटेबिल रिमार्क पास किया है ।

श्री रक्षपालसिंह--

पहले तो यह प्रश्न उठाना ही इम्मैच्योर है । हाईकोर्ट ने अभी केवल प्राइमा फेसी केस देखकर इंटेरिम आर्डर पास किया है । हो सकता है कि कल वह निर्णय ले लें कि हमको जुरिस्डिक्शन नहीं था और हम इसको अमेन्ड करते हैं केशवसिंह को जेल भेजते हैं ।

दूसरी बात यह है कि १९४ को आप पढ़ें । बृजभूषणशरण जी के भाषण के बाद यह तय हो गया कि हमारे नियम २०८ के अन्तर्गत बने हैं और ला हैं । १९४ यह कहता है कि हमारे प्रिविलेजेज उतने होंगे जितने हम ला के द्वारा बना लें । हमारे प्रिविलेजेज की सीमा वही होने वाली है जो हमारे बनाये हुए कानून या नियमों के अन्तर्गत हैं । उसमें हाईकोर्ट इंटरफीयर कर सकते हैं या नहीं ? रोज हमारी सरकार संशोधन विधेयक लाती है और हाई कोर्ट हमारे कानून को इंटरप्रेट करने वाला है ।

श्री धृजभूषणशरण---

हेबियस कारपस में बेल का अधिकार बिलकुल नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय काशीनाथ जी और माननीय नवलकिशोर जी को मैं कल सुनूंगा ।

श्री पेकराम शर्मा---

मैंने बहस में भाग नहीं लिया है । मैं कुछ केसेज साइट करूंगा ।

श्री अध्यक्ष---

अब जो कुछ होगा कल होगा ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है । मैंने ब्रीच आफ प्रिविलेज का नोटिस दिया और.....

श्री अध्यक्ष---

पहले तो आपने ब्रीच आफ प्रिविलेज मोशन उठाया और फिर खुद ब्रीच आफ प्रिविलेज किया यह कहकर कि ज्यादती हो रही है । अभी हाल का एक ब्रिटिश केस मैं आपको बताता हूं । १६ आदमियों ने लिखकर एक सवाल दे दिया और प्रश्न पूछने की इजाजत केवल २ को दी गई, तो १४ खड़े हो गये कि हमको क्यों नहीं इजाजत दी गई है । तो यह रूलिंग कि अगर सारा हाउस भी एक प्रश्न को उठाता तो हम निश्चय करेंगे कि किसको सुनेंगे । हमने चन्द्रशेखर जी को सुन लिया ।

श्री उग्रसेन---

जितना समय हरिजन अनुदान का इसमें लगा है वह समय और दे दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---

यह बात तो सदन तय करेगा ।

श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)---

नियम या प्रथा के अनुसार माननीय मंत्रीजी का अनुदान पेश करने का भाषण हो जाता था । यह एक ऐसा विषय प्रस्तुत हो गया कि जिसे सबको सुनने की अभिलाषा थी और हम समझते हैं कि आज इस पर बहस हो जाने के बाद आप अपना निर्णय देंगे । अगर आप पहले निर्णय दे चुके होते तो हम लोग सोचते कि आज बहस नहीं होगी और भोजन कर आते । यह विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी को सुन लें । परन्तु अब हम उन्हें कैसे सुन सकते हैं ? आप ऐसी व्यवस्था करें कि हम उनका भाषण सुन सकें और सदन का समय आप को कम २ घंटा बढ़ाया जाय, ताकि हम लोग अपने विचार प्रकट कर सकें ।

श्री अध्यक्ष---

इसमें दो बातें हैं । मुझे माननीय सदस्यों से बहुत ही सहानुभूति है कि वे खाना खाने के लिये नहीं जा सके हैं, लेकिन यह हम और आप सब जानते हैं कि माननीय सदस्यों में इतनी क्षमता है कि अगर वे दो दो दिन तक खाना न खायें तो भी काम कर सकते हैं ।

अब दूसरी बात यह है कि नम्बर १ पर वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य के बारे में मद है, दूसरी मद अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के बारे में है, और तीसरी समाज कल्याण के बारे में है जिस पर विवाद नहीं होगा । उसको मैं पहले लिये लेता हूं । इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम वाली मद पर विचार होगा तब आप खाना खा लीजिये ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

श्रीमन्, नियम ५२ के बारे में तो रह ही गया।

श्री अध्यक्ष--

वह अब कल लिया जायगा। अब मैं नम्बर ३ को लेता हूं।

१९६४-६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या २९--समाज कल्याण

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)--

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २९--समाज कल्याण के अन्तर्गत ५२,१७,९०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९--समाज कल्याण के अन्तर्गत ५२,१७,९०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १६--वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम

डाक्टर सीताराम--

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६--वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम के अन्तर्गत २३,१०,४०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष, १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(इस समय १ बजकर ५७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुए।)

मान्यवर, इस संबंध में मुझे अधिक कहना नहीं है क्योंकि इस संबंध में मैं समझता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्यों ने इस संबंध में वितरित की गयी पुस्तिका को पढ़ा होगा और वे इस निश्चय पर पहुंचे होंगे कि वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य के अन्दर बहुत से छोटे-छोटे विभाग हैं। पहला विभाग नैनीताल आबजरवेटरी का है। नैनीताल आबजरवेटरी साउथ ईस्ट एशिया में सबसे बड़ी आबजरवेटरी है। इस भाग में ३ आबजरवेटरी हैं, एक--शिराज, तेहरान में, दूसरी--नैनीताल भारत में, तीसरी--टोकियो, जापान में। ऐसी ९ आबजरवेटरीज और हैं। आस्ट्रेलिया में १, अमेरिका में-३, साउथ अफ़्रीका में २, साउथ अमेरिका में १, और दो अन्य कान्टीनेंट में।

हमारे प्रदेश के बहुत ही सीमित साधन है फिर भी वैज्ञानिक अनुसंधान के अन्तर्गत बहुत ही अच्छा कार्य इस आबजरवेटरी ने संपादित किया है। जब कि अन्यान्य देशों की आबजरवेटरीज में ३-३, ४-४, हजार रुपया मासिक पाने वाले अधिकारी हैं, हमारे यहां ३-३, ४-४, सौ रुपया माहवार पाने वाले ही हैं, लेकिन फिर भी यह बड़े गौरव और प्रसन्नता की बात है कि नैनीताल आब्जरवेटरी ने जियोफिजीकल क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ काम किया है। जनवरी, ६३ से लेकर नवम्बर, ६३ तक इस आबजरवेटरी ने सेटेलाइट के बारे में जो शोध कार्य किया है वह सर्वश्रेष्ठ है। चाहे वह एशिया हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो

[डाक्टर सीताराम]

या इंगलैन्ड हो, दुनिया के देशों से नैनीताल आबजरवेटरी का काम उत्तम रहा है, और यही कारण है कि उस रोज राज्यपाल महोदय ने अपने संबोधन में इस बात को भी इस सदन के समक्ष घोषणा करने की चेष्टा की। इस आबजरवेटरी के करीब ३ साइंटिस्ट्स दुनिया के अन्यान्य देशों में गये हैं जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है। दुनिया के और और देश वालों ने अपने पैसे देकर उनको अपने यहां पढ़ने के लिये बुलाया है। इतना ही नहीं इस आबजरवेटरी का करीब २२ इंच डायमिटर का जो टेलिस्कोप है उसके स्थान पर करीब ५० इंच डायमीटर वाले टेलिस्कोप लगाने का प्रबन्ध किया जा रहा है और यह प्रसन्नता की बात है कि उसके लिये स्टेट गवर्नमेंट की कैबिनेट ने साढे १२ लाख रुपये की स्वीकृति दे दी है और उसके लिये इस बजट में करीब १०० रुपये का एक टोकेन ग्रांट भी आया है।

आज के इस वैज्ञानिक युग में अमेरिका व रूस दुनिया के और अन्य देशों से स्पेसक्राफ्ट साइंस में बाजी मार चुके हैं। बिना इस साइंस के आज कोई भी देश या प्रांत तरक्की नहीं कर सकता है। हमारे देश प्रदेश के लिये बड़े गौरव की बात है कि नैनीताल आबजरवेटरी ने नियोफिजिकल ईयर यानी १ जनवरी, १९६३ से नवम्बर ६३ तक दुनिया में बड़ा नाम किया है। वहां के साइंटिस्ट्स ने नैनीताल में जो कार्य सम्पादित किया है और जो अनुसंधान वे कर रहे हैं उसके लिये बधाई के पात्र हैं।

इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक अनुसंधान के अन्तर्गत एक स्टेट कौंसिल आफ साइंटिफिक ऐंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना ९ दिसम्बर, १९६३ को की गयी है जिस तरह से कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कोप बहुत ज्यादा है, स्टेट से उसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। लेकिन यह बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि इस स्टेट में इस तरह की कौंसिल की स्थापना कर दी गयी है। इसके चेयरमैन तो माननीय मुख्य मंत्री हैं और उन्हीं के तत्वाधान में यह कौंसिल काम कर रही है। यह कौंसिल एक आटोनामस बाडी है जिसके लिये करीब २ लाख रुपया बजट में रखा गया है। एक लेबोरेटरी कानपुर में भी कायम करने की व्यवस्था की जा रही है जहां इंडस्ट्रीज से संबंधित रिसर्च का काम शुरू होगा। गवर्नमेंट के अपने साधन बहुत सीमित हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करना उचित समझता हूं कि आज के वैज्ञानिक युग में जिन देशों ने या प्रांतों ने प्रगति की है, किसी ने बिना साइंस के प्रगति नहीं की है। इसीलिये हमने इस प्रदेश में इस तरह के वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था के स्थापित करने की तरफ एक कदम उठाया है जो कि वांछनीय है।

अब सांस्कृतिक कार्य के अन्तर्गत आर्ट कालेज, म्युजियम, सांस्कृतिक कला केंद्र, आर्कीलाजी आदि आते हैं। इन सब चीजों के लिये सरकार की ओर से बहुत काम हो रहे हैं। जिस तरह से दुनिया के समस्त देश वैज्ञानिक अनुसंधान व सांस्कृतिक कार्यकलापों की दौड़ में भाग लेना शुरू कर दिया है उसी तरह से हमारे देश व प्रदेश ने भी उधर ध्यान देना शुरू कर दिया है। इसी तरह से हमारी संस्कृति, गरिमा और प्रतिष्ठा पर प्रभाव डालने वाली बहुत सी चीजें हैं उन को सन् ५७ से सरकार ने उन्नत करने के लिये कदम उठाया है। हमारे यहां २२ मानूमेंट्स हैं जिनको केंद्रीय सरकार ने प्रोटेक्टेड घोषित किया है। इसी के तत्वावधान में महात्मा कबीर की जन्मभूमि जो लहरतारा बनारस में है २० हजार रुपये खर्च कर रहे हैं और ८ हजार रुपये से उस भूमि को लिया है और साथ ही बस्ती में जहां उन की अन्त्येष्टि क्रिया हुयी है वहां पर भी उन के मजार या समाधि को बनाने के लिये सरकार ने रुपया स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त नैमिषारण्य जो सीतापुर जिले में है जो हमारी संस्कृति और प्रतिष्ठा का गौरवमय स्थान है वहां भी ४१,५०० रुपया लगा कर यात्रियों की सुविधा के लिये कुछ स्थान बनाये गये हैं जिसको इन्सपेक्शन हाउस कहते हैं। इसी तरह से केदारनाथ में भी धर्मशाला बनाई गई है। साथ ही शंकराचार्य जी की समाधि की ठीक से रिपेयर के लिये चमोली में केदारनाथ के स्थान पर सरकार ने सहायता दी है। इस के अलावा हर वर्ष ५ हजार रुपया साल का प्राविजन इस लिये किया गया है कि जो हमारा सर्वाचीन इतिहास है

उसके प्रोफेसर और छात्र ऐसी चीजों का पता चलायें जिन से हमारी संस्कृति और अन्य कार्यकलापों पर प्रकाश पड़ता हो और जो हमारी संस्कृति में एक लड़ी जोड़ सकें ।

हमारे प्रदेश में अभी तक १८७६ में एक अंग्रेज ने एग्जीबिट्स की एक छोटी सी लिस्ट कम्पाइल की थी उसके बाद अभी तक कोई लिस्ट कम्पाइल नहीं की है । म्यूजियम के बारे में मैं बताऊंगा कि हमारे यहां २ म्यूजियम हैं एक लखनऊ का और दूसरा मथुरा का । लखनऊ के नये म्यूजियम का उद्घाटन हमारे प्रधान मंत्री जी ने १२ मई, सन् १९६३ को किया था । उसमें ३ विंग बनाने की योजना थी, लेकिन अभी २ ही विंग बने हैं और उन में बहुत सा सामान रखा गया है । कुछ सामान जो अभी पुरानी कैसरबाग वाली इमारत में है, कुछ स्कल्पचर्स हैं और कुछ और पत्थर का पुरातन सामान है उस के लिये सरकार ने अब तय किया है कि अब उसका तीसरा विंग भी बन जाय जिस के लिये पिछले साल ५ लाख रुपये का प्राविजन था, लेकिन एमरजेंसी के कारण वह नहीं हो सका । इस साल अब एक लाख का प्रविजन किया गया है । इसी तरह से मथुरा का म्यूजियम जहां पहले था वहां से हटाकर सन् ३० में दूसरी जगह ले जाया गया । उस बिल्डिंग में ५ विंग्स थे वह बरबाद हो गये थे । सरकार ने उनको रिपेयर कराया और वह सब माडर्नडाइज्ड हालत में है और मथुरा के म्युजियम का वेरीफिकेशन आफ रेकार्ड्स ८८ साल तक नहीं हुआ था तथा लखनऊ का १०० साल तक नहीं हुआ था । दोनों म्यूजियम्स के रेकार्ड्स नये तरीके पर १९६० में तैयार किये गये ।

इलाहाबाद में स्टेट आर्काइव्स की इमारत इलाहाबाद में बहुत पुरानी हो चुकी है अब उसको लखनऊ में लाने के लिये सरकार ने रुपया स्वीकृत किया है जिसका प्राविजन बजट में है और महानगर में जमीन ले ली गई है । इन शब्दों के साथ मैं अनुदान पेश करता हूं ।

एक सदस्य––

मैं जानना चाहता हूं कि काशी के मान मंदिर की आबजर्वेटरी इसमें शामिल है कि नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष––

जवाब में बता देंगे ।

माननीय भगवानसहाय जी आपका आधे घंटे का समय है ।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)––

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६–वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य क्रम के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभाग में फैले हुये हैं भ्रष्टाचार की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्रीमन्, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी और माननीया मुख्य मंत्री का शुक्रिया करता हूं कि इस विभाग के संबंध में जो जो कागज मैंने अपने भाषण के लिये मांगे थे वह बिना किसी शर्त के मुझको दिये और यह ऐसा कदम है जो बहुत ही उमदा है इससे जनतंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं । यह कटमोशन पारसाल भी आया था और इसलिये मैं इसकी भूमिका में नहीं जाऊंगा केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि म्यूजियम राष्ट्र के जीवन में बड़ा महत्व रखते हैं, सांस्कृतिक तालीम के लिये, अपनी हैरिटेज को जानने के लिये और इतिहास के लिये तथा अन्य बहुत से कामों के लिये इनका बड़ा महत्व है । म्यूजियम में पत्थर, बीड, टैराकोटा और ब्रौज ही नहीं है बल्कि उनसे प्रेरणा मिलती है, जानकारी होती है और इसलिये हर राष्ट्र के जीवन में बहुत बड़े महत्व की चीज है । अंग्रेजों के जमाने में जब तक कि यह विभाग शिक्षा विभाग के अन्दर था मथुरा म्यूजियम और लखनऊ म्यूजियम की ऐनुअल रिपोर्ट आया करती थी, बड़ी विस्तृत होती थी, हर आदमी कह सकता था खर्चा किस मद में कहां होने जा रहा है और वह रिपोर्टें उनकी माली खर्च की तस्वीर की शक्ल में होती थीं ।

[श्री भगवानसहाय]

लेखा-जोखा बिलकुल साफ-साफ ऐसा रखते थे जो समझ में आ जाता था, लेकिन मौजूदा जमाने में कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आयी। एक रिपोर्ट लखनऊ म्यूजियम के बारे में ५ साल के कामों की आयी। यह एक कन्सौलिडेटेड रिपोर्ट थी जिसमें १९५४ से लेकर १९६० मार्च तक का ब्योरा दिया हुआ है। यह ब्योरा प्रेस से सन् १९६१ में छपा था, लेकिन सदन के सामने १९६३ में बांटा गया और उसके बाद से आज तक ५-६ साल हो गये हैं, १९६०-६१, १९६१-६२, १९६२-६३, १९६३-६४ और १९६४-६५ पर कोई रिपोर्ट नहीं आयी है। मथुरा म्यूजियम की हालत तो यह है कि अंग्रेजों के जमाने की आखिरी रिपोर्ट के बाद से आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आयी है। इन रिपोर्टों से जो सदन के सामने पेश होती हैं विभाग को लेखा-जोखा का पता लग जाता है और यह भी पता लग जाता है कि मुख्तलिफ हिस्सों में क्या प्रगति हुई है जो उसूल आपने लगाये हैं उनकी रिपोर्ट आनी चाहिये।

अब मैं उत्तर प्रदेश का जो बजट पेश हुआ है, ग्रांट नं० १६ का उसके संबंध में अर्ज करना चाहता हूं। मैं इसके बारे में शिकायत नहीं करना चाहता हूं कि आपने कितना रुपया लिया है, लेकिन सही इस्तेमाल हुआ इसका सदन को हक है जानने का। मैं केवल यह चाहता हूं कि उसका लेखा जोखा जो हो वह हमारे सामने सही तरीके से रखा जाय। वह इतने अच्छे तरीके से रखा जाय कि सदन के साधारण आदमी की भी समझ में आ जाय। इस बजट में एक कंटिजेंट फंड है। उसमें सन् १९६२ से पहले की फीगर्स भी है लेकिन मैं साल की फीगर्स मैं पढ़े देता हूं। १९६२-६३ में २,६४,२१८ रुपये के बजट में १,८२,२४३ कंटिन्जैन्सी का है, यानी ६९ परसैन्ट कन्टिजैन्सी फंड में है। इस रुपये को खर्च करने के लिये आपके हेड आफ दी डिपार्टमेंट को भी आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। यह फंड एक ऐसा फंड है जिसमें जैसा चाहा खर्चा कर लिया। इतना ऊंचा कंटिन्जैन्सी का फंड हिन्दुस्तान के किसी भी बजट का नहीं और अगर होगा तो किसी डिक्टेटरशिप में हो सकता है जनतंत्र में नहीं। मैंने इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट को भी देखा। १९६२-६३ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने २६,०९,६०० उसमें रखा आर्टपरचेज में। आर्टपरचेज अंग्रेजों के जमाने में भी होता था। उसमें भी ७,५४,००० रुपये कंटिन्जैन्सी में रखा। तो ये कंटिन्जैन्सी की फीगर्स २८.८ परसेंट आयीं। १९६३-६४ में १,९८,५०० के हमारे बजट मे १,०३,००० अर्थात् ५२ प्रतिशत कंटिन्जैन्सी डिफाइन नहीं है। यह लेजिस्लेचर नहीं जानता कि कहां खर्च हुई। महाराष्ट्र में ३ म्युजियम में कोल्हापुर, आंध्र और नागपुर में ९५,४५० की गांट रखी गयी जिसमें कंटिजैन्सी में २१,८०० का खर्च हुआ, अर्थात् २२.८ प्रतिशत, जिसमें २१,८०० रुपये कांटिजेंसी के रखे गये हैं : ६४-६५ में हमारे यहां ४ लाख का बजट है और कांटिजेंसी है ३ लाख ४ हजार जो ७६ फीसदी आता है। यह प्लांड बजट की फीगर्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट ५२ लाख ८१ हजार का है। कांटिजेंसी है ७ लाख २१ हजार यानी १३.७ फीसदी। मदरास और बंगाल के आंकड़े मैंने लिये। उनमें कांटिजेंसी का बहुत नेगलिजिबिल एमाउन्ट है। हर चीज के आइटम अलग दिये हुये ह जैसे फरनीचर, बुक्स और पीरियाडिकल्स सब का बजट दिया हुआ है। पूरी तस्वीर दी हुई है और मालूम हो सकेगा कि किस मद में कितना खर्च होगा? यहां के बजट को देख कर पता नहीं चलता कि यह खर्चा कहां होने जा रहा है? सन् ३७ और ४७ के दो आंकड़े सदन के बजट आंकड़े अंग्रेजी शासन के आखिरी आंकड़े हैं। सन् ३७ में कांटिजेंसी है ५,५०० रुपये यानी २१.२ प्रतिशत और ४७ में कांटिजेंसी है ५,४०० रु० यानी १४ प्रतिशत।

एक चीज यह कहनी है कि जब से दो म्युजियम्स आफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में आये हैं यानी वहां आफिशियल एडमिनिस्ट्रेटर एप्वाइंट हुये हैं तब से वहां कोई भी रिसर्च का काम नहीं हुआ, एक भी पत्र प्रकाशित नहीं हुआ और यह इसलिये नहीं हुआ कि जब से यह म्यूजियम रिजीम आई वहां कोई भी क्यूरेटर स्थायी नहीं है। यह बड़े शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश के

लिये कि हमारे म्युजियम क्यूरेटर और डायरेक्टर से खाली रहें । यह तयशुदा बात है कि जब नहीं हैं तो कोई भी रिसर्च नहीं हो सकती और न इस पर कोई अहमियत ही दी गयी ।

कुछ लोगों को विलायत भेजा गया । मैं बुरा नहीं समझता । बीसियों आदमियों को भेजा जाय विभाग से यह बड़ी खुशी की बात होगी कि लोग विदेशों में जाकर काम सीख कर आयें, लेकिन किन को भेजा जाय ? एक सेमिनार हुआ गवर्नमेंट आफ इंडिया का ।

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF SCIENTIFIC RESEARCH AND CULTURAL AFFAIRS.

T. S. KRISHNAMURTI,

Deputy Secretary.

D. O. No. F. 13—7/62—C.3 *New Delhi, the 25 May,* 1963.

DEAR SIR, ...

Since 1959 this Ministry has been organising Summer Schools in different sciences and these have been very useful from all points in view. The Central Advisory Board of Museums at its last meeting held at Bombay in December, 1962 recommended holding of such a camp in the field of museology also. Accoringly we propose to organise a Camp on "Indian Sculptures" in Madras for two weeks commencing in the first half of September, 1963. The object of the camp will be to make an intensive study of both the theoretical and practical aspects of the problem connected with Indian Sculptures and their display. Each participant will be required to read at least one or two papers and this will be followed by discussions. About half a day, each day, will be devoted to practical work of handling and exhibiting the sculptures.

About thrity participants including seniors and experts in Museology will be invited to join the camp. They will all be required to live together at one place so that mutual discussions can extend outside the working hours also.

Dr. (Mrs.) Grace Morley, previously the Head of the Museums Division of UNESCO and at present Director, National Museum, New Delhi, will also attend the camp. In addition, it is intended to invite outstanding scholars to attend the camp for short period and join discussions.

I am now writing to you to request that this Ministry may kindly be furnished with the names of 3-4 museologist from your State who may be be considered for being invited. Their willingness to join the Camp may also please be ascertained. The particulars of the persons concerned may be given as in the attached proforma (Annexure 1). It is requested that these names may please be sent by 30th June, 1963. It is not necessary that the persons selected should be those working in Government Museums only. The intention is to cover non-Government Museums also.

Free Board and lodging will be provided in the Camp. In addition, T. A. and D. A. will also be met by the Central Government.

[श्री भगवान सहाय]

तो जहां पर काम करने का सवाल आया, वहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसके इस विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की। इस सेमिनार में उत्तर प्रदेश की सरकार को एक पैसा नहीं खर्च करना था और इसमें हिन्दुस्तान भर के म्यूजियम्स के क्यूरेटर व डायरेक्टर आये थे, उनसे बहस मुबाहसा करने का एक अच्छा मौका था, कुछ नयी नयी बातें जो म्यूजियालाजी के क्षेत्र में हुई हैं उनको जानने का मौका था। लेकिन वहां नहीं भेजा। और आखिर में एक आदमी को भेजा--आर० सी० शर्मा, असिस्टेंट क्यूरेटर को लेकिन तब भेजा जब आधा सेमिनार खत्म हो गया था। तो जहां सारी फैसिलिटीज थी एक पैसा भी खर्च होने को नहीं था तब तो किसी आफिशियल ऐडमिनिस्ट्रेटर को नहीं भेजा, भेजा किसको, आर० सी० शर्मा, असिस्टेंट क्यूरेटर को। अब जापान में एक एग्जीबीशन आर्गेनाइज हो रही है। वहां एल० के० गुप्ता, पी०सी० एस० आफिशियल ऐडमिनिस्ट्रेटर को भेज रहे हैं। यह अभी जूनियर आदमी है म्यूजियम में नौकरी करने में इसलिये दिलचस्पी है कि तनख्वाह ज्यादा मिलती है। बाहर जायेंगे तो तनख्वाह कम मिलेगी। लेकिन जिस दिन कलेक्टरी का नम्बर आयेगा लात मारकर चलते बनेंगे। कमिश्नरी का नम्बर आयेगा लात मारकर चलते बनेंगे। उनको वहां भेजा है। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार का रुपया नहीं खर्च होगा। लेकिन किसी का भी खर्च हुआ हो, सवाल इस बात का है कि जो ट्रेनिंग हम दें वह किस प्रकार के आदमियों को दें, बाहर भेजें तो किसको भेजें? मैं मानता हूं कि वह एम० ए० इन आर्कियालाजी है। पिछले वर्ष मुझे यह सूचना नहीं थी, लेकिन इस वर्ष है। लेकिन फिर उनको पेपर पढ़ने के लिये क्यों नहीं भेजा म्यूजियम वालों के सामने? भेज देते वहां, काबलियत मालूम हो जाती एम० ए० इन आर्कियोलाजी की। मगर यहां तो जापान की सैर कराने के लिये अपने-अपने आदमियों को छांट-छांट कर भेजा जाता है। केंद्रीय सरकार ने जापान की इसी exhibition में श्री मिश्रा को जो जापान कोंडा museum के curator हैं उनको भेजा। ऐसे ही इस विभाग के जो सेक्रेटरी हैं वह जा रहे हैं फ्रांस को। डाक्टर साहब जो उत्तर देंगे वह मैं पहले ही कह दूं। वह कहेंगे कि गवर्नमेंट आफ इंडिया भेज रही है, मुझसे कोई वास्ता नहीं है। तो गवर्नमेंट आफ इंडिया यह कैसे कह सकती है कि फलां आदमी को भेजिये, फला को मत भेजिये। आखिर किसी को वह डाइरेक्टली कैसे जान सकते हैं? वह कौन सा मौका है कि इस बात को वह जानें? मैं यह नहीं कहता कि मत भेजिये। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं, मुझे सेक्रेटरी के खिलाफ कुछ नहीं कहना है, मगर यह जरूर कहना है कि यह पालिसी गलत है। इसलिये कि सेक्रेटरी साहब कम से कम दस वर्ष की स्टैंडिंग के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं। ठीक है, आज वह यहां सेक्रेटरी हैं क्योंकि इसमें उनका फायदा है। लेकिन जिस दिन कमिश्नरी का चांस आयेगा लात मार कर चलते बनेंगे। जो देश का रुपया या जापान की सरकार का ही रुपया खर्च होगा इनको वहां भेजने से वह सब गलत खर्च होगा, क्योंकि उससे डिपार्टमेंट को कोई फायदा नहीं होगा। हां, सैर कराने के लिये भेजना है तो बात दूसरी है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात में भी कोई ताज्जुब नहीं होगा अगर कल को किसी आई०ए०एस० या पी०सी०एस० को सरकार मेंडिकल कालेज का प्रिंसिपल बना दे क्योंकि इनकी सरकार की निगाह में तो आई०ए०एस० और पी०सी०एस० हर चीज के लिये काबिल हैं। उनको वह इंजीनियरिंग कालेज का भी प्रिंसिपल बना सकते हैं, आर्ट्स कालेज का भी प्रिंसिपल बना सकते हैं। मैं तो यह उम्मीद करता हूं कि ऐसी बातें होंगी। तो मैं यह कह रहा था कि यह नीति बहुत गलत है। इसका पालन नहीं होना चाहिये। आप उन्हीं आदमियों को भेजें जो टेकनिकल आदमी हैं और जो ट्रेनिंग के मुस्तहक है जो बीस तीस साल तक उत्तर प्रदेश की जनता को, म्यूजियम को और उन दूसरे विभागों को जो इस विभाग से ताल्लुक रखते हैं, उनको फायदा पहुंचा सकें।

अब मैं उपाध्यक्ष महोदय, एक बात यह कहना चाहता हूं अफसोस के साथ क्योंकि जब तकलीफ होती है तो कहना पड़ता है कि बैकडोर appointments इस विभाग में बहुत होते हैं। मैं अपने फ़र्ज़ से गिर जाऊंगा अगर मैं उन चीजों को सदन के सामने न लाऊं क्योंकि सरकार तो सुनने

वाली नहीं है, सदन के सामने इसलिये लाना जरूरी है ताकि प्रोसीडिंग्ज में आ जाय जिससे २० साल, ५० साल बाद जो लोग पढ़ें तो उनको मालूम हो सके सरकार का क्या अमल था और कोई व्यक्ति था जो सच्ची बात सदन के सामने रख सका था। ठीक उसी तरह से जैसे लोग आज भी कहते हैं कि नीरो उस समय सारंगी बजा रहा था जब रोम जल रहा था उसी प्रकार इस सरकार को भी लोग उस वक्त कहेंगे। तारीख इस पर सही फैसला देगी।

श्री रतीपाल––

कोरम नहीं है, श्रीमन्।

श्री भगवान सहाय––

अभी इस सवाल को न उठाइये। मुझे कह लेने दीजिये।

मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरी जातीय संघर्ष किसी से नहीं है कई लोग अच्छे भी हैं लेकिन जो लोग गलत जरिये से आ जाते हैं उनके बारे मे मेरी शिकायत है। ऐडमिनिस्ट्रेटर की जगह पर मथुरा म्यूजियम में भी यही हुआ। पहले तो जिसको विभागीय सेक्रेटरी फेवर करना चाहते हैं उसको साल दो साल के लिये टेम्पोरेरी रख सकते हैं। उसके बाद पोस्ट एडवर्टाइज कर देते हैं और उसमें यह देते हैं कि जिसको साल भर की योग्यता म्यूजियम के काम चलाने की हो। अब चाहे कोई लन्डन का या वाशिंगटन का पी० एच० डी० हो चाहे हाइयेस्ट क्वालिफिकेशन रखता हो लेकिन उसका एक्सीपीरियेंस लखनऊ म्यूजियम चलाने का साल भर का कैसे हो जायगा ? तो इस तरीके से किसी आदमी को रखने के लिये क्वालिफिकेशन बनाना बहुत गलत बात है, काबिले एतराज बात है। advertisement ऐसा होता है कि जो उस candidate के लिये ही होता है।

एक और किस्सा बताऊंगा। एक टेक्निकल असिस्टेंट ऐप्वाइंट हुये १२०–३०० रु० पर। मिनिस्टर साहब मुझे सुन लीजिये। आप को सही हालत तो मालूम नहीं होती। उसके टेम्पोरेरी रहते हुये ही उसको २००–४०० में अपग्रेड कर दिया गया। पोस्ट को ऐडवर्टाइज नहीं किया गया। उसके बाद उस को एबजार्ब कर लिया गया होगा या कर लिया जायगा।

इसी तरह पर एक साहब हैं जो २० साल के नौकर हैं। वह क्लर्क हैं। उनको लाइब्रेरियन कोर्स के लिये भेज दिया गया। आपने क्या सेलेक्शन का तरीका रखा है ? किसी के बाप-दादा की मौरूसी तो है नहीं। विभाग के दूसरे आदमियों को भी मौका होना चाहिये जिससे वह यह न कह सकें कि हमको मौका नहीं मिला। यह दूसरी बात है कि वह सेलेक्ट न हों। अब उनको लाइब्रेरियन बना दिया गया और ५, ६ साल के बाद वह रिटायर हो जायेंगे तो जितना खर्चा हुआ सब बेकार हो गया। यह गलत बात है।

एक बात और। एक मिसेज साहबा हैं। बहरहाल वह २०० से ४०० पर अप्वाइन्ट की गईं। एडवर्टाइजमेंन्ट नहीं हुआ। टेम्पोरेरी पोस्ट है। परशियेन में वह एम० ए० हैं। अरैबिक की जगह थी लेकिन उनको अप्वाइन्ट कर दिया गया। बहरहाल वह मुस्तकिल हो जायंगी। absorb क्यों हो जाती हैं क्योंकि इस विभाग के सब से ऊंचे अधिकारी टेक्नीकल एक्सपर्ट समझे जाते हैं। वह जा कर इम्तहान में बैठ जाते हैं। intervew करने वाले भी वही टेक्नीकल एक्सपर्ट हैं तो क्यों नहीं चुनी जांयगी। इसलिये कि पब्लिक सर्विस कमीशन यह देखता है कि टेक्नीकल एक्सपर्ट की क्या राय है। यह बातें गलत हैं और डाक्टर साहब उनको देखें।

एक असिस्टेंट क्युरेटर की जगह एडवर्टाइज की गई। यह सदन जानता है कि ऐसे एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनमें किसी समझदार आदमी को दरख्वास्त देने की जरूरत नहीं है। यह एडवर्टाइजमेंट किसी खास आदमी के लिये निकाले जाते हैं। उसमें सिर्फ इतना लिखा था कि "experienced" in Curioship। अब किसी आदमी को ही इतना तजुर्बा होगा जिसकी उनको जरूरत है। फिर यह बात है कि उस आदमी को यह मालूम रहता है कि किसी

[श्री भगवान सहाय]

पुराने पत्थर की क्या कीमत है। कौन देश उसका खरीदार है। दूसरा आदमी उसको नहीं समझता है। अगर दूसरा आदमी २०० रुपये में बेचेगा तो जो curio बेचने की टार्गेट रखता है वह उसको १२ हजार में बेचेगा। कस्टमर भी मौजूद है और कीमत भी उसको मालूम है। इसलिये मैं डाक्टर साहब से कहूंगा कि ये बातें गलत हैं और इनकी तरफ तवज्जह की जाय। मैं यह जानता हूं कि डाक्टर साहब अच्छे आदमी हैं लेकिन डाक्टर साहब को ये बातें मालूम नहीं हैं। इसलिये मैं इन चीजों को उनके नोटिस में ला रहा हूं। मैं पब्लिक सर्विस कमीशन से भी इस म्युजियम की नौकरी के सिलसिले में यह कहना चाहता हूं कि उनके फैसले ऐसे न हों कि जिसमें हम लोगों को कोई शुबहा हो और पब्लिक को कोई शुबहा पैदा हो। एक पोस्ट के बारे में एक कंडीडेट तीन-बार पब्लिक सर्विस कमीशन से रिजेक्ट हुआ लेकिन फिर चौथी बार वह सेलेक्ट हो गया। वही योग्यता और वही अनुभव और वही आदमी लेकिन तीन बार रिजेक्ट होने पर चौथी बार वह सेलेक्ट हो गया और उस को चुन लिया गया। अगर यहां पर उत्तर प्रदेश में पढ़े लिखे आदमी नहीं मिलते हैं तो यह सारा एजूकेशन का बजट खत्म करें। अगर १५ वर्ष के अन्दर ४ आदमी भी हम म्यूजियम की नौकरी के लिये पैदा नहीं कर पाये तो यह सरकार के लिये शर्म की बात है। एक साहब और हैं इलाहाबाद के। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। उन्होंने विभाग को किताबें मैनुस्क्रिप्ट की सप्लाई की। टिम्बर भी सप्लाई किया और फर्नीचर भी सप्लाई किया। वह approved कन्ट्रैक्टर भी नहीं हैं उनकी फरनीचर या timber की दुकान है। लेकिन सब सामान उन्होंने सप्लाई किया। मैं चाहता हूं डाक्टर साहब इसकी इन्क्वायरी करें। एक साहब और हैं जिनको विभाग की तरफ से २५० रुपये महज इस वजह से इनाम दिया गया कि उन्होंने लखनऊ में एक ऐसी जमीन खोज निकाली कि जिसके ऊपर archives की बिल्डिंग बन सकती है। महज इसके लिये उनको २५० रुपये इनाम दिया गया। अगर मुझसे कहते तो मैं अपना १०, ५ रुपया खर्च कर के जगह बतला देता। कोई तरीका होना चाहिये। एक साहब और हैं जो एक बड़े म्यूजियम के रिटायर्ड अधिकारी हैं। वह २५० रुपये पर रिटायर हुये थे और आज उत्तर प्रदेश सरकार ने ६०० रुपये महीने पर उन को नौकर रखा है। यह क्या है? अब मैं कुछ बात कर्मचारियों के बारे में कहना चाहता हूं। जब से मौजूदा उच्च कर्मचारी हमारे इस विभाग के आये हैं और उनको आये ७ साल हो गये हैं तब से इस विभाग की क्या हालत है यह मैं बतलाना चाहता हूं। ७ वर्ष में इस विभाग में ७ सुपरिंटेंडेंट बदले गये। एक सुपरिंटेंडेंट फी साल और जो आदमी इस विभाग को छोड़ कर चला गया उसने यहां से ज्यादा अच्छी नौकरी पायी। मैं लिस्ट देता हूं कि डाक्टर नारायण राव, ज्योलोजिस्ट, मिस्टर रिजवी, अंडर सेक्रेटरी हिस्ट्री आफ फ्रीडम मूवमेंट, जब कि उसकी केवल एक ही वाल्यूम निकल पायी थी, चले गये। आर० सी० गौड़, आरक्योलाजिकल असिस्टेंट, श्री सी० के० मालवीय, आरक्योलाजिकल इंजीनियर, डाक्टर काला, डाइरेक्टर स्टेट म्यूजियम, लखनऊ, डाक्टर खत्री, आरक्योलोजिकल आफिसर, मिस्टर नागपाल, टेक्निकल आफिसर, मिस्टर द्विवेदी, जो कि अब नेशनल म्यूजियम में हैं, चले गये। इनके अवाला श्री एल० डब्लू० बेकर चले गये अपना एक्सटेंशन पीरियड खत्म होने के पहले ही और यह सब मजबूरियों की वजह से चले गये और यहां से अच्छी जगह पा गये। उनको यहां नौकरी करना दुश्वार हो गया। अब उनकी मजबूरियां क्या थीं, उसका पता डाक्टर साहब लगायें। श्री आर० चौधरी, टेक्निकल असिस्टेंट आरचिव्ज, श्री बाजपेयी, क्यूरेटर, मथुरा, म्यूजियम, श्री राम प्रकाश, हेड क्लर्क आफ दि स्टेट म्यूजियम, भी चले गये। डाक्टर बाजपेयी आज भी आने को तैयार नहीं हैं और उस के कारण हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु उनके लिये खराब क्यों हो रही है इसकी जांच होनी चाहिये। मैंने जिन अधिकारियों का नाम लिया है निकाले नहीं गये हैं न डिस्मिस किये गये हैं। वे नौकरी छोड़ कर चले गये हैं। आपने एडमिनिस्ट्रेटर गुप्त जी को भेजा इंडिया इन जापान एक्जीबीशन में, क्यों? गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने अपने टेक्निकल आदमी को भेजा। गुप्त जी कौन से टेक्निकल आदमी थे? मैं एक बात और कहना चाहता हूं। डाक्टर साहब ने पारसाल

फरमाया था कि २०४ मूर्तियां-एक्जिबिट गायब हुई हैं मथुरा museum में। डाक्टर साहब ने कहा था कि २०४ ऐग्जिबिट्स मिसिंग हैं और २,३१३ सरप्लस हैं। मैंने एक चिट्ठी मुख्य मंत्री को लिखी और दरख्वास्त की थी कि कुछ मैटीरियल दिलवा दें। एक जानकारी यह चाही थी कि कौन कौन से exhbits खोये हैं। और किस किस्म के हैं। उनको जोड़ा जाय तो १९२ खोये हैं और कुल १,५२४ सरप्लस हैं। ये आंकड़े गिरगिट की तरह से बदलते रहते हैं। नेकराम जी मांगेंगे तो दूसरी फिगर्स आ जायंगी। १९६२ के हैं जब डाक्टर साहब ने कहा था कि मथुरा म्यूजियम का वेरिफिकेशन हुआ। मैंने कहा था कि यह बतलाया जाय कि लायब्रेरी में कितनी किताबें खोई हुई हैं आफिश्यल ऐडमिनिस्ट्रेशन में। तो गलती से यह लफ्ज "आफिशियल ऐडमिनिस्ट्रेशन" लिख दिया उसका इंटरप्रिटेशन यह हुआ कि ६० साल से कितनी खोई हुई हैं। वह यह भी नहीं बतला सके कि सन् ३० में कितनी किताबें चोरी हुईं और सन् ६२ में कितनी हुईं ? इन आंकड़ों को क्यों छिपाया गया ? डाक्टर साहब का कोई दोष नहीं है। मुख्य मन्त्री जी को लिखा, उन्होंने जब पूरी दिलचस्पी ली तब जाकर ये आंकड़े कल शाम को ४ बजकर १० मिनट पर मिल पाये। जब मुख्य मंत्री की यह हालत हुई तो डाक्टर साहब, आपका क्या दोष है ? यह अफसर इतना हावी है डाक्टर साहब, कि आपकी मरजी के होते हुये भी और मुख्य मंत्री जी के दिलचस्पी लेने के बावजूद भी आंकड़े नहीं मिल पाये, जब कि मैंने दरख्वास्त की थी कि १५ तारीख तक मिल जायें।

जो म्यूजियम में पर्चेज हो रही हैं जरा यह भी मुलाहजा फरमा लिया जाय। मिरजई, सादी, सादी कमीज, सादी बुशशर्ट, सादा कुर्ता, सादा टेबिल क्लाथ ये चीजें खरीदी गयीं। जामदानी की बात समझ में आ सकती है, लेकिन वह चीज जो आसानी से बाजार में मिल सकती है उसको म्यूजियम में रखने की क्या जरूरत है ? बनारस का कोई आर्ट का काम होता जो बाजार में न मिल सकता हो तो बात दूसरी थी। कहा जाता है कि जगह अपने पास नहीं है। जब जगह नहीं है तो डिस्प्ले कहां करेंगे ? यह सब खरीदारी किसी पर माली मिहरबानी करने के लिये की गई है। इन शब्दों के साथ में यह मांग करूंगा कि आप एक कमीशन की नियुक्ति करें जिसमें इस सदन के माननीय सदस्य भी हों जो इस विभाग में फैले भ्रष्टाचार की जांच करें।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे इस अनुदान पर बोलने का समय दिया। मैं इस अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि यह विभाग डाक्टर सीताराम के सुपुर्द किया गया है। परन्तु मुझे इस बात का दुख है हमारे देशवासियों ने इस साइन्टिफिक रिसर्च तथा पुरातत्व विभाग के महत्व को समझा नहीं है। अगर हम उजड़ी हुई जिन्दगी में हरा भरा बसंत लाना चाहते हैं तो वह बिना इन्टलैक्चुअल रिनेसेंस के नहीं हो सकता। अपने देश के भविष्य को ऊंचा करने के लिये यह जरूरी है कि हम अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को भी समझें। हमारे देशवासियों ने जो कुछ इस दिशा में किया है उस का वर्णन अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने किया है, मैं उस को दोहरा कर सदन का समय नहीं लूंगा। मगर उन्होंने जिन खामियों और कमियों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे उनकी ओर पूरा पूरा ध्यान दें और उन कमियों को दूर करने का प्रयास करें। मैं एक निवेदन जरूर करना चाहता हूं। इस पुरातत्व विभाग की, जो हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का समूह है, रिपोर्ट हमारे पास जरूर आनी चाहिए। इसके अलावा जो प्राचीन सैम्पिल्स हैं उनको इकट्ठा कर के म्यूजियम में जरूर रखा जाना चाहिये। उन्हींसे हमारे बच्चों को इस बात की शिक्षा मिलती है कि भूतकाल में किस प्रकार लोगों ने अपनी जिन्दगी को ऊंचा उठाया है, किस प्रकार तरक्की की है, किस प्रकार हम अपने देश को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं, इसका ज्ञान इन्हीं चीजों को देखने से लगता है। परन्तु मुझे खेद है कि सरकार ने इस सब कार्य के लिये बहुत कम अनुदान रखा है सरकार को इसके लिये और अधिक रुपया रखना चाहिये था। मैं समझता हूं कि जितने भी हमारे साइंस के विद्यार्थी हैं, उनके ऊपर हमारे राष्ट्र का बहुत सा रुपया खर्च होता है, उनको रिसर्च के लिये रुपया दिया जाता है और बनाया जाता है उनको पोस्टल डिपार्टमेंट का सुपरिटेंडेंट। हमारे

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

राष्ट्र की बागडोर जो लोग संभालते हैं उन को इस चीज को देखना चाहिये। जो रुपया इनके विभाग के उत्थान में खर्च किया जाता है, उसका हमें सदुपयोग करना चाहिये। इस विभाग को काफी डेवलप करने की जरूरत है, काफी रुपया इस पर लगाया जाना चाहिये क्योंकि आज के हिन्दुस्तान के प्रयास की नींव पर ही कल का हिन्दुस्तान बन सकता है। अगर हमारी कल्चरल बेसिस ठीक दिशा में डेवलप नहीं होती है तो हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता है। मैं बड़े अदब के साथ यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि हमें इसके लिये पूरा पूरा धन मिलना चाहिये। जो पूंजी विभाग के लिये रखी गयी है वह नाउम्मीदी का सबूत है। और इस बात का सबूत है कि हमारे देशवासी उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, सरकार की तरफ से भी कोई एक्टीविटी दिखाई नहीं पड़ती।

उपाध्यक्ष महोदय, इसका एक्सप्लोरेशन होना चाहिये। जो हमारे देश की कल्चरल एक्टीविटीज हैं उनके नमूने हमें बड़ी तादाद में जमा करने चाहिये और उसके द्वारा आर्ट के उत्थान के लिये रास्ता प्रशस्त करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं। इस विभाग का नाम तो साइन्टिफिक रिसर्च है, लेकिन जिस प्रकार से इस पर रुपया खर्च किया जा रहा है उससे इसको कुछ लाभ हो नहीं रहा है। माननीय मंत्री जी ने कोई रिपोर्ट इस विभाग की सदन के सामने नहीं रखी जिससे यह मालूम होता कि इस विभाग ने क्या काम किया है। माननीय मंत्री जी ने इसके चार विभाग बताये---आर्केलाजी, म्यूजियम, साइन्टिफिक रिसर्च और जिओलोजीकल सर्वे। लेकिन ये किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और १७ वर्षों में इन्होंने क्या काम किया है लाखों रुपया जो इन पर खर्च किया जा रहा है उससे क्या लाभ हुआ, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम हुआ। जहां तक पुरातत्व का विषय है, पुरानी चीजें कहां पर हैं और इनका किस तरह से संकलन होता है, यह कुछ नहीं मालूम हो पाता है। अपने प्रदेश में मथुरा, अयोध्या, काशी, फतेहपुर आदि कई स्थान हैं जहां पुरातत्व सम्बन्धी बहुत सी चीजें हैं उनका भी संकलन नहीं हो सका है और न विभाग द्वारा इस तरह की कोई कोशिश की जाती है कि वह नयी नयी चीजों को प्रकाश में लावे। विभाग को चाहिये कि वह इस तरह का प्रकाशन करें जिससे स्वयं लोग अपने आप इसके लिये इच्छुक हों और ऐसी चीजों को ला कर दें जो कि पुरानी हैं। आज हालत यह है कि जहां पर ये चीजें हैं वहां तो लोग जाते हैं और रिसर्च करके पी० एच० डी० हासिल कर लेते हैं, लेकिन यहां पर शोध करने का कोई प्रबन्ध नहीं है जिससे पुरानी चीजें प्रकाश में नहीं आतीं।

बजट के पेज १२६ पर एक विषय और है---जहां लिखा हुआ है प्रमोशन आफ आर्ट एंड कल्चर यानी कला और संस्कृति का उत्थान। और उसी के सब हेड (ख) में लिखा हुआ है---राजा पुस्तकालय रामपुर, जिसके लिये ५० हजार रुपया दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि सन् १९६२-६३, १९६३-६४ और १९६४-६५ में हर साल शोध के लिये ५० हजार रुपया दिया गया है। तो आखिर उस रजा पुस्तकालय में किस विषय पर रिसर्च होता है? जब वह पुस्तकालय है चाहे उसका नाम राजा पुस्तकालय हो या रजाकार पुस्तकालय हो, लेकिन वहां तो किताबें ही आती होंगी, फिर हर साल ५० हजार रुपया रिसर्च के नाम पर वहां क्यों व्यय होता है? वह कोई आर्ट और कल्चर का पुस्तकालय तो है नहीं। इस तरह के तो प्रदेश में लाखों पुस्तकालय होंगे, फिर इसी पुस्तकालय को विशेष कर इतना रुपया खर्च करने के लिए हर साल क्यों दिया जाता है। उसी के साथ साथ एक हेड विज्ञान परिषद् का है जिसमें भातखंडे संगीत महाविद्यालय आदि १३ संस्थाओं के नाम हैं, लेकिन इनमें से एक को भी इस कार्य के लिये एक पैसा भी नहीं दिया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया है । सिर्फ एक ही संस्था को लगातार क्यों इस काम के लिये ५० हजार रुपया दिया जा रहा है ? उसमें कौन सा सांस्कृतिक रिसर्च होता है इसको माननीय मंत्री जी बतलावें जिस पर इतना रुपया खर्च किया जाता है ।

इस विभाग में भी भ्रष्टाचार की बहुत सी शिकायतें हैं। मथुरा व लखनऊ म्यूजियम की ऐक्जिबिट की बहुत सी चीजें स्वीट्जरलैंड आदि दूसरे देशों में चली गयीं । आखिर विभाग क्यों अच्छी तरह से स्क्रूटनी नहीं करता ताकि इस तरह की गड़बड़ी न हो। इसके लिये विशेष रूप से माननीय मंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना है कि इसकी देखरेख के लिये अच्छे आदमी रखे जायं ताकि रिसर्च सम्बन्धित जो चीजें, हैं विशेषकर के नयी चीजें प्रकाश में आ जायं और उनका मिसयूज न हो सके। इसके अलावा रिसर्चइन्स्टीट्यूशंस से ऐसे लोगों को निकालना चाहिये जो कि रिसर्च करने के इच्छुक न हों और इसके लिये अच्छे से अच्छे लोगों को बुलाया जाय जो कि रिसर्च करना चाहते हों। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस कटौती के प्रस्ताव के विरोध में और माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। बहुत संक्षेप में मैं अपनी बात कहुंगा। उस विभाग के जो कार्यक्रम हमने देखे, खासतौर से नैनीताल आबजर्वेटरी देख कर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई और गौरव महसूस करते हैं कि हमारे यहां इतनी बड़ी चीज लगी है। मंत्री जी ने बताया कि हमारी नैनीताल की आब्जर्वेटरी एक बहुत बड़ी आब्जर्वेटरी है और संसार की सब से ऊपर की नम्बर १ की आबजर्वेटरी है और जो काम वहां सेटेलाइट ट्रेक के बारे में हुआ है वह हमारे लिये गौरव की बात है और उसके लिये मंत्री जी ,विभाग के अधिकारी और छोटे बड़े सभी कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। हमारा भारत वैज्ञानिक शोध में एक पिछड़ा हुआ देश है और उसके लिये यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और हमें अपने अधिकारियों को और कर्मचारियों को खास तौर से ऐसे कामों के लिये एन्करेज करना चाहिये और उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिये ताकि यह काम और आगे बढ़ सके ।

मैं आप के द्वारा माननीय भगवान सहाय जी से नम्र निवेदन करूंगा कि छोटी छोटी बातें, किताबों की लिस्ट दे दी या किसी चोरी की बात कही–इन को न देख कर बड़ी बड़ी बातों पर ध्यान दें। हमारे मथुरा और लखनऊ के दो मशहूर म्यूजियम हैं। लखनऊ का म्यूजियम देश के बेस्ट मैनेज्ड म्यूजियम्स से है इसके लिये भी मैं वहां के अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं, हमें उनकी बेस्ट एफर्ट्स को रिकगनाइज करना चाहिये और अगर हमेशा हम लात ही लगायेंगे तो कोई काम करने में इन्टरेस्टेड न होगा। हमारे यहां १०० साल से वहां कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, पता हीं नहीं था कि वहां क्या सामान है और क्या नहीं है, तमाम चार्ट्स व लिस्ट्स अब तैयार की गई हैं। कई चीजें नम्बर १९२ या २९३ खो गये ठीक है लेकिन अगर यह लिस्ट्स न होतीं तो शिकायत ही न होती और किसी को पता ही नहीं लगता कि क्या खोया हुआ है। मैं श्री भगवान सहाय जी से फिर निवेदन करूंगा कि अगर लिस्ट बन गई, वैरिफिकेशन हुआ और पता चल गया कि कितनी चीजें खोई हुई हैं तो इसके लिये तो मंत्री जी को बधाई देना चाहिये था कि उन्होंने कुछ काम किया है। यह कोई नया म्यूजियम नहीं है पुराना है, लेकिन जो काम कभी नहीं हुआ वह किया गया और सब सामान की लिस्ट रेगुलेराइज की गई इसका मुकाबला पुराने जमाने के आदमियों से करें तो पता लगेगा कि किसने काम किया और किसने नहीं किया। १००० या २३०० जो (Exhibits) फालतू हैं उनके बारे में भी क्या कहा जा सकता है कि जो खोए बताये जाते हैं वह उसी में शामिल हैं या नहीं, यह असर्टेन नहीं किया जा सकता। चोरी की जहां तक बात है हर जगह जहां अच्छे से अच्छे पुलिस अधिकारी और इन्टेलीजेंस के लोग होते हैं सेन्ट्रल इनटेलीजेंस काम करती है लेकिन फिर भी चीजों का पता नहीं लगता। चोरी के बाद कोई खामोश तो नहीं बैठा है जो दोषी है उन को हाउण्ड आउट किया जा रहा है पता लगने पर उन को सजा दी गई, मुकदमा चलाया गया। फिर तो मंत्री जी को बधाई देनी चाहिये कि उन्होंने उचित प्रयास किया है।

[श्री बृजभूषणशरण]

चोरी हुई तो आंखें बन्द कर के तो नहीं बैठ गये। अखबारों में बड़ा शोर मचा कि बुद्ध का सिर चोरी गया और स्विटजरलैंड पहुंच गया. . . . .

श्री भगवान सहाय--

वह २८ सेर का सिर जिसका इतना बड़ा साइज था वह मथुरा म्यूजियम से कैसे चोरी गया ?

श्री बृजभूषणशरण--

मैं कोई इनवेस्टीगेटिंग आफिसर तो नहीं हूं लेकिन वह किसी न किसी अधिकारी की साजिश से जरूर गया होगा उन को सजा दी जा रही है और कार्यवाही हो रही है उसका सभी को क्षोभ है। बुद्ध का हेड न बताकर किसी तरह से उस को यहां से भेजा गया और दूसरे देश में पहुंच गया उसके लिये इन्टरनेशनल पुलिस, सेन्ट्रल इंटेलीजेंस सभी इन्वेस्टीगेशन में लगाये गये और पूरी छानबीन हुई और वह देश के प्रेस्टीज का प्रश्न समझा गया और कहा गया कि वह वापस होना चाहिये। चोरी तो हाथी भी हो जाते हैं। यहां से रेल इंजन चोरी हो जाते हैं। लेकिन जिसकी गलती है उसके खिलाफ कार्यवाही की मांग करनी चाहिये। और अगर कार्यवाही न करें तो शिकायत हो सकती है। आबजर्वेटरी और म्यूजियम के मैनेजमेंट के लिये सरकार बधाई की पात्र है, अगर हम ही हर आदमी की टांग पकड़ कर घसीटना शुरू कर दें तो कोई काम नहीं करेगा। मैं मंत्री जी के विभाग की प्रशंसा करता हूं।

*डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)--

श्रीमन्, जो अनुदान पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करती हूं हम सब मानते हैं कि विज्ञान के युग में रिसर्च का अपना महत्व है इसलिये इस मद में जितना रुपया रख सकें उतना ही अच्छा है। दुनियां के बढ़े हुये देश अपने बजट में काफी बड़ी रकम इन कामों के लिये रखते हैं। अमरीका के बजट में २.८ परसेंट, रूस में २.७ परसेंट और इंगलैन्ड में २.४ परसेंट वैज्ञानिक शोध पर खर्च करते हैं। इस प्रदेश में विज्ञान की उन्नति के लिये जो रकम रखी जाती है उसको और बढ़ाना चाहिये और शोध कार्य को प्रोत्साहन देना चाहिये। मैं इलाहाबाद की जनता की भावनाओं को प्रतिबिम्ब करने के लिये खड़ी हुई हूं। इलाहाबाद के प्रति सरकार का सौतेली मां ऐसा व्यवहार हो रहा है। धीरे धीरे जितने आफिसेज वहां हैं वे सब लखनऊ लाये जा रहे हैं। साइंटिफिक रिसर्च कमेटी, उत्तर प्रदेश को ४ अक्तूबर को लखनऊ ले आया गया, जगह न होते हुए म्यूजियम के ऊपर उसका आफिस रखा गया। इसके जो पहले चेयरमैन थे डाक्टर कृष्णन वह दिल्ली से संचालन करते थे, उसके बाद डाक्टर ए० सी० मुकर्जी रुड़की से संचालन कर सके, लेकिन ज्यों ही मुख्य मंत्री उसकी चेयरमैन हुई वह आफिसर फौरन लखनऊ चला आया। इलाहाबाद की जनता की तरफ से मांग करती हूं कि आप इस पर पुनः विचार करें और इलाहाबाद जो शिक्षा तथा संस्कृति का केन्द्र है उसको उस दिशा में बढ़ने दें। इलाहाबाद के पास कौशाम्बी का काम हो रहा है, भारद्वाज मुनि का आश्रम है, दुर्वाशा मुनि का आश्रम है, वह हमारी संस्कृति का प्रतीक है। आज सरकार बनारस के घाटों का जीर्णोद्धार कर रही है लेकिन इलाहाबाद के उत्थान के लिये सरकार ने कुछ काम नहीं किया। मैं चाहती हूं कि बजट में जो भी धनराशि रख रहे हैं उसको खर्च करते समय इलाहाबाद का विशेष खयाल रखें। मंत्री जी ने बताया कि नेशनल आर्काइव्ज के लिये महानगर में जमीन खरीदी गई। यह भी इलाहाबाद के साथ सौतेली मां का सा बरताव है, क्या वहां उसके लिये जमीन हीं नहीं ली जा सकती थी ? केवल अफसरों की सुविधा के लिये जनता की भावनाओं को नहीं ठुकराना चाहिये। मैं मांग करती हूं कि महानगर में जो जमीन ली है सरकार उस पर किसी अन्य आफिस के लिये इमारत बनवाये, लेकिन नेशनल आर्काइव्ज को इलाहाबाद में ही रहने दे। वहां बहुत से अच्छे काम हो रहे हैं, ऐंशियेंट हिस्ट्री विभाग की तरफ से उसमें बल मिलेगा। आप सब स्वीकार करते हैं कि इलाहाबाद ने एक महापुरुष को जन्म

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिया है जिसका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जिनके निवास स्थान आनंद भवन को देखने के लिए देश और विदेशों के लोग आते हैं। अगर इन आने वालों के लिए एक टूरिस्ट सेंटर बन जाय तो आने वाले लोगों के लिए हमेशा के लिए एक अट्रैक्शन का विषय बन जाय। मैं यह मांग करती हूं कि इलाहाबाद में एक टूरिस्ट सेंटर बन जाय और दारागंज में एक धर्मशाला बनवा दी जाय जहां पर दक्षिण या देश के और कोनों से आने वाले यात्रियों को असुविधा न हो और एक मार्ग दर्शन हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं जो सदन में मांग प्रस्तुत है उसका समर्थन करती हूं।

श्री भगवान सहाय––

वैसे तो मैं अब नहीं बोलना चाहता था पर श्री बृजभूषणशरण के भाषण सुनने के पश्चात् मजबूर हो गया कि मैं भी कुछ जवाब दूं। ऐसा मालूम पड़ता है कि वे बीच में ही चले गये। कम से कम मेरा जवाब तो सुन लेते। सवाल यह है कि चोरी हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ। २०४ मूर्तियों की चोरी हुई। एक मूर्ति का स्विटजरलैन्ड में पता लगा जिसकी सूचना जर्मनी के डाक्टर हारलो ने दी। जिस एक्जीबिट का चित्र भेजा, उसकी इन्क्वायरी हुई, लेकिन जो २०४ मूर्तियों की चोरी हुई है उनकी इन्क्वायरी क्यों नहीं हुई? ये मूर्तियां कोई छोटी मूर्तियां नहीं हैं। इनमें से बाज बाज मूर्ति तो १–२ मन तक की हैं। ब्रोन्ज की चोरी हुई। मालूम हुआ कि एक डबल लाक में ये रखी हुई थी। तो डबल लाक में से ये ३० ब्रोन्ज की चोरी हो गयी। इस चोरी की जिम्मेदारी किसी की तो होनी चाहिये। जब ऐडमिनिस्ट्रेटर ने मथुरा म्यूजियम का चार्ज लिया तो या लखनऊ म्यूजियम का चार्ज लिया तो चार्ज हैन्ड ओवर किया जाता है और लिया जाता है। स्टाक रजिस्टर को वैरीफाइ किया जाता है। जो उस वक्त चार्ज लेता है दस्तखत करता है कि ये-ये चीजें, जो कि रजिस्टर में दर्ज हैं, मैं उनका चार्ज लेता हूं और दूसरा आदमी जो हैन्ड ओवर करता है वह लिखता है कि ये चीजें उन्हें दे दी गयी। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि उन्होंने एक ऐसी गैर जिम्मेदारी की बात कही। जब इस तरह से हुआ तो अंग्रेजी सरकार कैसे जिम्मेदार हुई। जिम्मेदारी उसकी थी जिसने चार्ज लिया। माननीय बृजभूषण शरण हायर फिजिक्स के हायर मैथेमेटिक्स के स्टूडेंट भले ही हों मेरी तो जानकारी नहीं है। अगर अच्छा काम हुआ है तो मैं माननीय डाक्टर साहब को बधाई देता हूं। पर मेरा सुझाव यह है कि कुछ आदमियों को बाहर भेजा जाय। वह देखें कि किस तरह से साइंटिफिक रिसर्च म्यूजियम रन किये जाते हैं। मैं यह भी उचित समझता हूं कि जिस प्रकार सदन की और कमेटियां हैं जैसे पी० डब्लू० डी० कमेटी आदि उसी प्रकार से एक सदन की कमेटी म्यूजियम और आरकेलोजी की भी कमेटी बनायी जाय और वह कमेटी इस विभाग की एग्जिबिट्स को देखे।

डाक्टर सीताराम––

मैंने माननीय सदस्यों की बातों को अच्छी तरह से सुनने का प्रयास किया और जितने भी सुझाव आये हैं उनके सम्बन्ध में अपनी ओर से विश्वास दिलाता हूं कि विभाग में जो भी कमी होगी उसको पूर्णरूप से दूर करने का प्रयास किया जायगा। भगवान सहाय जी ने मूर्तियों के गायब होने के बारे में चर्चा की। मथुरा म्यूजियम १८७४ में स्थापित हुआ था और १९६० तक कोई वहां वेरिफिकेशन नहीं हुआ। (व्यवधान) पार्शियल वेरिफिकेशन में १०,२० परसेंट सरप्लस भी आया जो खोये हुये सामान से दुगुना या तिगुना था। एक चोरी गयी बुद्ध जी की मूर्ति का जिक्र किया गया। उसके लिये केन्द्रीय सरकार को लिखा गया और बड़ी सतर्कता से सी०आई०डी० के जरिये पता लगाया गया और उस मूर्ति को भारत में लाने का प्रयास किया जा रहा है। दो साल के अन्तर्गत ६ कर्मचारियों को नौकरी से हटाया भी गया। डायरेक्टर साहब भी उनमें एक हैं। उन पर केस भी चला है और वे दंडित भी हुये हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि १०० साल की बातों को ठीक किया गया है उसके लिये विभाग के आफिसर्स बधाई के पात्र हैं।

भगवान सहाय, रावत जी और माननीय शरण साहब ने इस विभाग के बारे में तारीफ़ की मैं उसके लिये उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं। दो, चार आब्जेक्शन्स भी किये गये हैं।

[डाक्टर सीताराम]

वे उचित ही हैं। बाहर भेजने के बारे में कहा गया। एल० पी० गुप्ता का नाम लिया गया। वे लखनऊ म्यूजियम के ऐडमिनिस्ट्रेटर हैं। पी० सी० एस० भी हैं। ऐन्शियेंट हिस्ट्री में एम० ए० हैं और आर्कोलाजिकल के बारे में जानकारी तो रखते ही हैं। उनको बाहर भेजा गया। साथ ही साथ और ६ साइंटिस्ट भेजे गये नैनीताल आबजर्वेटरी के और वे अमेरिका, इंगलैन्ड, तथा जर्मनी गये। वहां की सरकार से उन्होंने वजीफा पाया और देश की सरकार का उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है। अच्छा कार्य देख कर ही उनको बुलाया गया। कहा गया कि वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्यकलाप के डायरेक्टर और संयुक्त सचिव फ्रांस जा रहे हैं। माननीय सहाय फ्रांस तथा अन्य देशों में हैं। सब की अभिलाषा होती है विदेशों में जाने की। मैं इस सदन को सूचित करता हूं कि जो इस विभाग के डाइरेक्टर हैं वह प्रांतीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के पैसे नहीं जा रहे हैं। बल्कि फ्रांस की सरकार उनकी कार्य-प्रणाली को देखकर, उनकी कार्य को देखकर ९–१० महीने के लिए अपने खर्चे से उनको फ्रांस बुला रही है।

श्री भगवान सहाय—

मैं डाक्टर साहब से एक बात पूछना चाहता हूं कि कौन सा पब्लिकेशन या रिसर्च कार्य उन्होंने किया है जिससे फ्रांस की सरकार प्रभावित हो गई है।

डाक्टर सीताराम—

उन्होंने एक किताब भी लिखी है। उनकी मैरिट को देखिये। मैं आपसे बताऊं कि आदमी अपने आप तो काम करता ही है, लेकिन दूसरों से भी जो काम कराकर अपने डिपार्टमेंट की रेप्यूटेशन को आगे बढ़ाता है, उससे भी उसका प्रचार होता है। तो जो इस विभाग के संचालक हैं वह फ्रांस गवर्नमेन्ट की ओर से बुलाये गये हैं। अगर मान लें कि उनको हम न भेजें तो कोई भी आदमी अपने इस प्रान्त का या देश का फ्रांस की सरकार नहीं बुलायेगी।

श्री भगवानसहाय—

फ्रांस की सरकार को जानकारी कैसे हो गई उनके बारे में ?

डाक्टर सीताराम—

उनके कामों को देखकर।

इलाहाबाद के घाटों के बारे में कहा गया। इलाहाबाद के घाटों का संरक्षण करना पी० डब्लू० डी० के अन्डर में है। इलाहाबाद से लखनऊ जो ट्रांसफर हो रहा है उसके बारे में कहा गया कि यह काम लखनऊ न लाया जाय। मैं तो इसके लिये घोषणा कर चुका हूं और सरकार आज से दो साल पहले डेसीशन ले चुकी है और कार्य में काफी प्रगति हो चुकी है।

तिवारी जी ने कहा कि अयोध्या में या मथुरा में बहुत सी ऐसी मूर्तियां हैं जिनका ठीक रखरखाव नहीं हो रहा है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अगर उनकी दृष्टि में इस तरह की कोई मूर्ति या कोई चीज हो तो शासन को सूचित करें और उसके लिये व्यवस्था की जायगी। उसी तरह से यह भी आबजेक्शन किया कि रामपुर की रजा लायब्रेरी को ५० हजार रुपये का अनुदान क्यों दिया गया। रजा लाइब्रेरी को जो अनुदान दिया जाता है वह गवर्नमेन्ट आफ इंडिया और रामपुर के नवाब के बीच जो शर्तनामा लिखा गया था मर्जर के समय उसके अनुसार दिया जाता है। उसमें उनके पुराने रेकर्ड्स बहुत से रखे हुये हैं जो कि अरबी या फारसी या रिसर्च स्कालर्स के लिए बहुत काम के हैं। बहुत सा मसाला उसमें उनके लिये मौजूद है। इसलिए उनको ग्रान्ट दी जाती है।

श्री भगवान सहाय—

क्या यह मर्जर के शर्तनामे में है कि इतना रुपया दिया जावे ?

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

किस प्रकार व्यय होता है यह पता नहीं, इसके लिये कहा था ।

डाक्टर सीताराम—

आज इसकी हमें इत्तिला नहीं है, हो सकता है कि रकम ज्यादा हो, लेकिन ऐग्रीमेंट है । (व्यवधान) जांच तो होती ही रहती है, गवर्नमेन्ट जो भी रुपया देती है, उसकी जांच होती रहती है कि ठीक इस्तेमाल हुआ या नहीं ? सात सुपरिन्टेन्डेन्ट जो सात साल में चेंज हुए हैं वह इस प्रकार हैं—एक तो रिटायर हो गये, एक ऐग्रीकल्चर विभाग में चले गये और एक ने अच्छा काम नहीं किया । एक का इनकम्प्लीट काम रहा, इसलिए छोड़कर चले गये । और एक पोस्ट आफिस में चले गये, एक केरल में चले गये दूसरे एक सागर यूनिवर्सिटी में अच्छी जगह मिल गयी चले गये ।

अब इस डिपार्टमेन्ट में जो ऐप्वाइंटमेन्ट्स होते हैं उनमें से जो सबार्डिनेट पोस्ट्स हैं उनको तो हेड आफ डिपार्टमेन्ट कर लेते हैं लेकिन गजटेड पोस्ट्स कमीशन को जाते हैं और ९० फीसदी हमारे एप्वाइंटमेन्ट्स कमीशन द्वारा ऐप्रूव किये गये हैं जिससे मतलब है कि फिट कैंडीडेट्स ही एप्वाइंट हुये । इन चन्द शब्दों के साथ में भगवान सहाय जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने कट मोशन को वापस ले लें ।

श्री भगवान सहाय—

आप इस बात के लिये आश्वासन दे दें कि म्यूजियम एफेयर्स में इन्क्वायरी कराने के लिये तैयार हैं मैं कटौती का प्रस्ताव वापस ले लूंगा । (कोई उत्तर न मिलने पर) बहरहाल, मैं इस आशा पर कि आप एन्क्वायरी करायेंगे कटौती का प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६—वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य के अन्तर्गत २३,१०,४०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २८—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां

डाक्टर सीताराम—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सख्या २८—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के अन्तर्गत ३,५०,३८,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, १९६३–६४ के बजट में इस विभाग के लिये ३ करोड़ ४ लाख ८९ हजार का प्राविधान था लेकिन १९६४–६५ में ३ करोड़ ५० लाख ३८ हजार अर्थात् ४५ लाख ४८ हजार १ सौ रुपये का अधिक है, इसमें एजूकेशन स्कीम जो शिड्यूल्ड कास्ट्स, बैकवर्ड क्लासेज और दिनोटिफाइड टाइप्स के लिये ६३–६४ में २ करोड़ ३ लाख जहां था आज २ करोड़ २९ लाख रुपये की इसमें व्यवस्था की गयी है । कहने का तात्पर्य है कि २६ हजार अधिक रुपये की व्यवस्था एजूकेशन पर है । रिक्लेमेशन और वेलफेयर एक्टीविटीज पर गतवर्ष २ लाख ८८ हजार था इस वर्ष भी उसी तरह से व्यवस्था है । इसी तरह से सबसिडी एग्रीकल्चरल डेवलपमेन्ट के लिये अनुसूचित जाति के लिये तथा नान-शिड्यूल्ड और दिनोटिफाइड ट्राइब्स के लिये १९६३–६४ में जो बजट था वही करीब-करीब १९६४-६५ में भी है । इसी तरह से सबसिडी काटेज इंडस्ट्रीज

[डाक्टर सीताराम]

की शिड्यूड तथा नान शिड्यूल्ड और डिनोटीफाइड ट्राइब्स के लिये १९६३–६४ में १६ लाख रुपये का प्राविजन था। अब उसको १७ लाख कर दिया गया है। १ लाख रुपया इस इंडस्ट्रियल ग्रान्ट पर और ज्यादा रखा गया है। ग्रान्ट शिड्यूल्ड कास्ट स्टूडेन्ट्स ट्रेनिंग इन क्राफ्ट्समैनशिप ऐन्ड स्टेनोग्राफी में ३ लाख ८० हजार रुपये का पहले साल प्राविजन था। इस साल भी उसके लिये ३ लाख ८० हजार रुपये का प्राविजन किया गया है। इसी तरह से फारेस्ट की कोआपरेटिव सोसाइटी के लिये शिड्यूल्ड कास्ट, नान शिड्यूल्ड ट्राइब्स और डिनोटीफाइड ट्राइब्स के लिये १९६३–६४ में ८० हजार रुपये की व्यवस्था थी, इस साल उसके लिये १ लाख ३० हजार रुपये की व्यवस्था की गई है। कहने का मतलब यह है कि इसमें ५० हजार रुपये की अधिक व्यवस्था की गई है। इसी तरह से रूरल एरिया में सबसिडी घर बनाने के लिये हरिजनों को, नान शिड्यूल्ड और डिनोटिफाइड ट्राइब्स के लिये १९६३–६४ में ५ लाख ३० हजार रुपये थी। इसको बढ़ाकर ११ लाख ८० हजार कर दिया गया है। इसमें ६ लाख ४२ हजार रुपये की वृद्धि घर बनाने के लिये की गई है। इसी तरह से सबसिडी पीने के पानी के कुएं बनाने के लिये की गई है। इसी तरह से घर बनाने की जमीन खरीदने के लिये १९६३–६४ में जहां २ लाख की व्यवस्था उनके लिये थी अब वह १९६४–६५ में ५ लाख की व्यवस्था हो गई है। इस प्रकार से कुल डिटेल्ड बजट में ४६ लाख रुपये की वृद्धि हुई है। यह मैंने इसका ब्रेक अप आपके सामने रखा। इस तरह से यह ३,५०,३८,००० रुपया इस मद में रखा गया है। इस मद में १९६३–६४ में १,९३,४३,००० रुपया था जिसमें १०४.४३ लाख सेंट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम के लिये था। इसी तरह से इस वक्त नान प्लान्ड साइड में जो बजट की किताब में दिखाया गया है वह है ८९ लाख ९४ हजार रुपये। पहले वह ८९ लाख ३३ हजार का प्राविजन था। इस मद में रुपया बढ़ाया गया है। इसी तरह से सेंट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम के लिये प्लान्ड साइड में जैसा कि बजट के आंकड़ों से मालूम होगा १,३०,२८,००० रुपये का प्राविजन सेंट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम के लिये किया गया है जो कि पहले १३०,१६,००० था। यह बजट के ४६ लाख का ब्रेक अप मैंने बतलाया।

उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों की समस्या को इस सदन के सदस्य भलीभांति जानते हैं। उस पर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। यह समस्या हिन्दुस्तान में मानव इतिहास जिस दिन से लिखा गया, उतनी पुरानी है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि सदस्यों को आलोचना इस प्रकार करनी चाहिये कि जिससे उनकी आलोचनाओं का हल हो सके। यह समस्या केवल इस प्रांत या देश की नहीं हैं। उनके लिये जो प्राविजन शिक्षा के, उद्योग के तथा अन्य क्षेत्रों में किये गये हैं उनका विवरण इस बजट में है और इसके अतिरिक्त दूसरे विभागों में भी जो काम होते हैं उनको उनसे लाभ होता है। इस विभाग का सम्बन्ध सरकार के रेवेन्यू, इंडस्ट्री एजूकेशन, मेडिकल, आदि सभी विभागों से है और सारे सदस्य उन समस्याओं को मुझ से अधिक जानते हैं। मैंने केवल बजट के आइटम्स के बारे में बतलाया कि वह पिछले साल के मुकाबिले में ४६ लाख अधिक हैं ताकि उनकी प्रगति अधिक हो सके। कल यहां एक पुस्तिका बांटी गयी होगी जो आशा है प्रत्येक मेम्बर को मिल गयी होगी। उसमें सारा विवरण दिया हुआ है और उसके बाद अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है।

१९६२–६३ में अनुसूचित जातियों को जो वजीफे दिये जाते थे उनकी संख्या थी ३४,७०० और १९६३–६४ में उनकी संख्या ३८,९०० हो गयी है। मोमिन और अंसार जातियों में १२,३८९ छात्रों को वजीफे मिले पिछले साल जो अब बढ़ कर ११,५८९ हो गये हैं। इसी तरह से बिमुक्त जातियों के लिये करीब १२९६ वजीफे १९६३–६४ के बजट में बांटे गये हैं। विद्यार्थियों की संख्या द्वितीय योजना के शुरू में यानी १९५६-५७ में ५ लाख ६५ हजार थी, जो अब तृतीय योजना के प्रारम्भ में ६ लाख ४३ हजार हो गयी है। जूनियर हाई स्कूल में जहां संख्या ६७ हजार थी अब ७० हजार हो गयी है। हायर सेकेन्डरी स्कूलों में ९ से १२ कक्षा तक विद्यार्थियों की जो द्वितीय पंच–वर्षीय योजना के आरम्भ में संख्या ८७,५९५ थी वह बढ़ कर ९२,२८३ हो गयी। ग्रेजुएट और पोस्ट–ग्रेजुएट विद्यार्थियों की संख्या ४,३५३ से ४,९०१ हो गयी। ला में पहले १७ थे, अब तीसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में १८ हो गये। टेक्निकल एजूकेशन में जो संख्या

१,२६० थी वह बढ़ कर २,०३२ हो गयी। कहने का तात्पर्य यह है कि ८०० के करीब बढ़ गयी। इस तरह से आप देखें कि १९५६–५७ में जो विद्यार्थियों की संख्या ७,३३,३२५ थी वह १९६१–६२ में ८,२०,७४० हो गयी। १ लाख के करीब उसमें वृद्धि हुई। इसी तरह से छात्रावास १९६१–६२ में गवर्नमेन्ट ने बनाने के लिए ३,८०,००० रुपया दिया ४३ छात्रावासों के लिए और १९६२–६३ में ८२ छात्रावास के लिये ८,९८,००० रुपया दिया गया। विमुक्त जातियों के बच्चों के लिए आश्रम की तरह के स्कूल खुले हुए हैं। जैसे रामपुर, गोरखपुर लखनऊ। यहां पर विमुक्त जातियों की लड़कियों को शिक्षा दी जाती है जिनकी संख्या करीब करीब १७५ के होती है और उनके लिए भोजन और हर प्रकार की व्यवस्था रहती है।

जहां तक टेक्निकल एजूकेशन का प्रश्न है लखनऊ, नैनीताल और गोरखपुर में इंस्ट्टीट्यूट्स हैं जिनमें २ साल का कोर्स हर जगह है। इसमें ७० फीसदी छात्र हरिजन, १५ हाई कास्ट और १५ बैकवर्ड क्लास के हैं। इसको रखने का तात्पर्य यह है कि अस्पर्श्यता की भावना जो हमारे समाज में है वह छोटेपन में एक जगह रखने से दूर हो। एक पालिटेक्निक इंस्टीट्यूट खोलने की व्यवस्था लखनऊ में की जा रही है जिसमें मिकैनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग की ट्रेनिंग होगी। ३ साल का कोर्स है। उसमें इंटरमीडियट साईंस से मैथ्स कैमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़े हुये शिड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड और हाई कास्ट के विद्यार्थी अपने प्रोपोर्शन के अनुसार रखे जायेंगे। आर्यनगर में एक कालोनी जो पहले हरिजन सहायक डिपार्टमेन्ट के पास थी, जो जेल डिपार्टमेन्ट के पास चली गयी थी, उसको फिर ले रहे हैं और उसका आखरी फैसला कर लिया है।

तो हाई–लाइट्स मैंने डाल दिया है। मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य कल २ बजे, ३ बजे तक जब तक माननीय अध्यक्ष टाइम देंगे, बोलेंगे और मैं देखता हूं कि सबको काफी दिलचस्पी है, क्योंकि सब लोग इस समस्या को जानते हैं। मुझे कुछ बताना नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो भी सुझाव आयेंगे उस पर अपने नियमों के अन्तर्गत सरकार तो कार्य करती ही है, वह करेगी ही। रिजर्वेशन के बारे में कहा जायेगा कि १८ प्रतिशत का कोटा पूरा नहीं हुआ। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये बता दूं कि हमने चीफ सेक्रेटरी की ब्रान्च में एक डिप्टी सेक्रेटरी श्री के० पी० बहादुर को केवल इस कार्य के लिये रखा है कि वे इस बात का पता लगायें कि हर विभाग में हरिजनों के इस परसेन्टेज को पूरा क्यों नहीं किया जा सका। इन चन्द शब्दों के साथ में यह अपील करूंगा कि सदन ठंडे दिल से इस पर विचार करे और जो भी सुझाव हों वह दे, हम उस पर विचार करेंगे। यह मैं मानता हूं कि कमियां हैं, मगर उनको कैसे दूर किया जाय, उसके लिये आपके जो भी सुझाव होंगे, उन पर विचार किया जायगा।

(व्यवधान)

*श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर कटौती का प्रस्ताव पेश करने का अवसर दिया। मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय आलोचना करना एवं सुझाव देना।

मान्यवर, इस अनुदान को प्रस्तुत करते समय माननीय मंत्री जी ने जो बात सदन के समक्ष कही उसको सुन कर मुझे एक बात याद आ गयी। लार्ड सेलिसबरी ने जब अनधिकृत रूप से सरकार बना ली थी, उस समय लार्ड एस्कवीथ ने कहा था "Eausa finita es Roma Locuta est"

श्रीमन्, यह मामला ऐसा है कि जिसके पीछे बहुत बड़ी भावनायें काम करती हैं। यह देश के लिये एक कलंक की बात है कि जिस देश में देवताओं ने जन्म लिया हो वहां सदियों से ऐसे पिछड़े हुये वर्ग के लोग हों। यह वह देश है जहां देवताओं के जन्म लेने की बात कही जाती है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री खेमचन्द]

यह वह देश है जहां मानवता ने सबसे पहले सभ्यता के दर्शन किये थे। यह वह देश है जिसने उच्च आदर्शों को सबसे पहले जन्म दिया था, और उस देश में आज सदियों से बराबर यह कलंक चला आ रहा हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है।

(इस समय ३ बजकर ५४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय, पीठासीन हुये।)

यह उतना ही पुराना मालूम पड़ता है जितनी कि पुरानी हमारी प्राचीन सभ्यता कही जाती है।]

वह सभ्यता जो आज गर्व करती है, लेकिन साथ ही साथ इस बात को नहीं देखती कि उसने क्या काम किये। उसने इस दीर्घकाल में कम से कम १/५ भाग को अस्पृश्य बनाया, १/१० भाग को जरायम पेशा करने के लिये मजबूर किया, और कम से कम १/४ हिस्से को उस स्थिति में रखा है जो आज से हजारों वर्ष पहले जंगली अवस्था में रहते थे। अगर वह कहे हमारी सभ्यता सबसे ऊंची है तो मैं नहीं समझता कि उसके क्या मानी होंगे। यह दलील दी जाती है कि संसार के सभी देशों में यह समस्या है। लेकिन हर देश में इस समस्या के ऊपर गंभीरता से विचार किया गया, किन्तु इस देश में धर्म के नाम पर उसे हमेशा बर्दाश्त किया गया। निराकरण की बातें उन्होंने की जो स्वयं संतप्त थे। भगवान बुद्ध ने इसका निराकरण करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि जैसे नदियां समुद्र में मिलकर एक हो जाती हैं, ठीक वैसे ही मेरे धर्म में सम्मिलित होने के बाद सब एक हो जाते हैं और उनका एक धर्म होता है जो शुद्ध मानवता पर टिकता है। किन्तु यह प्रयास असफल हुआ षड़यन्त्रों के कारण। सन्त रविदास ने परिस्थिति के अनुकूल कोशिश की, और स्वामी अछूतानन्द ने तथा अन्य सबने, इस बर्बरता को चुनौती दी जो असभ्यता के ढांचे में ढली थी। उस पर सबसे बड़ी छाप लगाई बाबा साहेब अम्बेडकर ने सन् १९३१ में जो राउन्ड टेबिल कांफ्रेंस हुई उसमें उन्होंने घोषणा की और कहा कि "These are some of the questions raised by the depressed classes and the answers which in their view these question seem to carry. This is, therefore, the inevitable conclusion which the depressed classes have come to: namely, that the bureaucratic Government of India, with the best of motives, will remain power-less to effect any change so far as our particular grievances are concerned. We feel that nobody can remove our grievances as well as we can, and we cannot remove them unless we get political power in our own hands. No share of this political power can evidently come to us so long as the British Government remains as it is. It is only in a Swaraj constitution that we stand any chance of getting the political power into own hands, without which we cannot bring salvation to our people." यह भावना उन्होंने व्यक्त की उन शासकों के समक्ष जब हमारे देश के स्वराज्य अधिकारी डोमीनियन स्टेट्स की मांग कर रहे थे। उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की बात इसलिये कही थी कि हम संविधान के अन्तर्गत अपने पूर्ण अधिकारों को पावेंगे। हमारे संविधान के रचयिता वही मनुष्य थे जिन्होंने इस स्वराज्य को मांगने की कोशिश की। संविधान में भी बराबरी होते हुये उनके प्रति जो उपेक्षायें की जाती हैं वे खेदपूर्ण हैं। सन् १९५९-६० की शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में है जो उन्होंने वहां हाउस में पेश की थी। उन्होंने सर्वेक्षण कराया ४१ गांवों का। रिपोर्ट में उन गांवों के नाम नहीं हैं। उसमें ३९ गांवों में मंदिर प्रवेश के बारे में जिक्र था। उनमें से १२ गांवों के मंदिरों में बिलकुल निषेध था। सन् ३१ से प्रयत्न हो रहा है और हजारों वर्षों से प्रयत्न हो रहा है। सन् ४८ में इस प्रदेश की गवर्नमेंट ने टैम्पिल डिसेबीलीटीज ऐक्ट पास किया मगर उसे ताक में रखे हुये हैं। क्या वह लाइब्रेरीज और वकीलों की अलमारियां सजाने के लिये ही बनाया गया था? उस पर कितना अमल हुआ? उन्होंने आगे बताया कि ३ गांवों में मंदिर में अपने देवताओं के लिये प्रवेश हो सकता है। १५ गांवों में सहृदयतापूर्ण बर्ताव होता है। इस धरती पर पैदा होकर मनुष्य फाटक के बाहर खड़ा होकर देवताओं की उपासना

कर सकता है। यह भावना व्यक्त करती है कि हम अपने कर्तव्य के प्रति जितने आचारणशील हैं। २ गांवों में कुछ मंदरों में आनेजाने की व्वयस्था है जहां किसी तरह से मंदिर की देहली तक जाकर अन्दर खड़े होकर, मंदिर की कोली में खड़े होकर, पूजा की जा सकती है। देहली के बिरला मंदिर को मैंने देखा। वहां विदेशी जा सकता है। उनके जूते नहीं उतारे जाते हैं, उनको कपड़े के जूते पहना कर मंदिर में प्रवेश कराया जाता है। फर्क इतना कर दिया है कि सिवाय पुजारी के और कोई वहां जा नहीं सकता है। इसमें एक व्यक्ति का हाथ है। लेकिन सरकार की तरफ से जो प्रयत्न होने चाहिये थे वे नहीं हुये। ४१ गांवों में से १ गांव में अनुसूचित जाति का वह आदमी जो पोलीटिकल कांशेसनेस में कुछ आगे है वही पानी पी सकता है। बाल्मीकी और दूसरे लोग नहीं पी सकते हैं। १६ गांवों में अलग से कुंवें बनवा दिये गये हैं। १५ गांवों में टोटियां लगी हैं जिनसे इंसानों को पानी पिलाया जाता है। खून खौलता है जब इस तरह की बातें हम अपने प्रदेश में देखते हैं जो 'आर्यवर्त' कहलाता है, जहां कृष्ण और बुद्ध जैसे महामानवों ने जन्म लिया। क्रामवैल के फ्रेज में, यहां हमेशा कोशिश यही की गई कि "Let these dogs bark and the work will go on smoothly." यहां यह बात सिद्ध होती है। मैं मानता हूं कि जो आदमी हमारे सामने नहीं है इसके लिये हमें कुछ नहीं कहना चाहिये। लेकिन चूंकि गांधीवाद की दुहाई देने वाले यहां बहुत हैं, इसलिये मैं इस बात को कहता हूं। महात्मा गांधी ने कहा कि इस समस्या पर इस तरह से मरहम लगाओ कि यह समस्या बनी रहे और हम सुखरूई भी दिख सकें कि हम इसके लिये कुछ कर रहे हैं।

आज हालत यह है कि अपने बल पर अगर कोई अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है तो कर लेता है। अथवा आप सवर्णों के एरिया में जाकर देखें या किसी भी गांव में जाकर देखें तो पता चलेगा कि इन लोगों के साथ नाना प्रकार का दुर्व्यहार होता है। सरकार की ओर से कौन सी कोशिश की गयी है जिससे वे इन अत्याचारों से छूट कर सुख की सांस लें सकें? कहा जाता है कि यह गवर्नमेंट आफ दि पीपुल है, बाई दि पीपुल है, फार दि पीपुल है, लेकिन बाबा साहब ने ठीक ही कहा था कि यह गवर्नमेंट आफ दि क्यू है, बाई दि क्यू है, और फार दि क्यू है। इस शासन में कैपेलिस्टों के एजेन्ट बैठे हुये हैं और उसके द्वारा वे मनमानी करा रहे हैं और कहा जाता है कि जनतंत्र के लिये कार्य कर रहे हैं। जिनके ऊपर अंकुश लगा हुआ है, भला वे किस प्रकार से भावनाओं के परिवर्तन की बात कर सकते हैं? बहुत से माननीय सदस्य मेरी बातों से क्षुब्ध हो रहे होंगे, लेकिन सत्य कटु होता है लेकिन उस गरल को पीकर ही कोई शिवत्व को प्राप्त कर सकता है और तभी सत्यं शिव सुन्दरम् की भावना की ओर हम अग्रसर हो सकते हैं।

माननीय मंत्रीजी ने विभाग के बारे में कुछ प्रकाश डाला और सदन को आश्वासन दिलाया कि इस वर्ष ४८ लाख रुपये की वृद्धि वे करने जा रहे हैं। मैंने इस बात को देखने की कोशिश की कि कहां और किन कार्यों के लिये इसको खर्च किया जायगा। मैंने यह देखने की कोशिश की कि जिन कार्यों को लेकर सरकार जनता के सामने दावा करती है, क्या उसके द्वारा इस समस्या का निराकारण किया जा सकता है या नहीं। मैंने देखा कि उसका तिहाई भाग अधीक्षण पर खर्च किया जा रहा है। इसके अलावा मैंने नई मांगों को भी देखने की कोशिश की। उसमें भी १,०६,००० रुपया बढ़ाने की बात कही गयी है। इसमें भी रुपया बढ़ाया गया है बख्शी के तालाब पर प्रशिक्षण के लिये राजकीय प्राविधिक केन्द्र, गोरखपुर और नैनीताल के लिये। फिर मैंने इस बात को भी देखने की कोशिश की कि इन प्रशिक्षण केन्द्रों में किन किन बातों पर यह रुपया खर्च किया जायगा। इसमें स्वयं ही कह दिया गया है कि कुछ अधिकारियों के स्थायीकरण के कारण और उनकी वृद्धि के लिये। इसमें ४५ लाख रुपये का जो नया आइटम रखा गया है। इसके अलावा ४ हजार रुपये योजनागत डिमांड है। इन सब मांगों से भी यही मालूम पड़ता है कि उस भावना को बनाने के लिये कोई कार्य नहीं किया गया जिससे इस समस्या का निदान हो सके।

माननीय मंत्रीजी ने एजूकेशन की बहुत अच्छी व्याख्या की। हम भी उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा संतोष व्यक्त कर सकते हैं कि दिन प्रति दिन इसमें धन बढ़ाया जा रहा है।

[श्री खेमचन्द]

लेकिन यह जो तमाम सुविधाओं की बात कही गयी है यह शिड्यूल्ड कास्ट वालों पर कोई एहसान नहीं है। यह उस खून की अदायगी है जो यहां चूसा गया है, यह उस खून का बदला है जो नाना प्रकार से बूंद बूंद खून लेकर, दबाव डाल डाल कर, अपनी परिवरिश में लगाया गया है। उस परिवरिश के बदले में आप शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार का अनुदान देने की कोशिश कर रहे हैं।

जहां तक शिक्षा का प्रश्न है उसके अन्तर्गत यह बात कही गयी कि विद्यार्थी वजीफे पा रहे हैं और कुछ विद्यार्थियों को अनावर्तक अनुदान के सिवा अन्य प्रकार की सहायता दी जाती है। यह बात जो इस सदन में कही गयी उसमें कुछ अंश तक सत्यता है। लेकिन ये वजीफे के रूप में या अनावर्तक अनुदान के रूप में जो अन्य सहायता दी जाती है, उसका उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी देखने की जरूरत है। अनुदान तो आप ग्रांट कर देते हैं अप्रैल में और क्लास शुरू हो जाता है जुलाई से। जुलाई तक तो उनके पास कुछ होता नहीं और दिसम्बर तक उनको पहला इंनस्टालमेन्ट नहीं मिल पाता। आज जब कि परीक्षा शुरू हो गयी है, विद्यार्थियों को स्कालरशिप का इस्टालमेंट आज तक नहीं प्राप्त हुआ है। ऐसी हालत में वे कहां से किताबें खरीदें और किस तरह से पढ़ें और किस तरह से अपने उस कर्त्तव्य का पालन करें जिस का पालन करने की वे कोशिश कर रहे हैं? यह सही है कि आप उन शिक्षा संस्थाओं को जहां वे शिक्षा प्राप्त करते हैं आप एडवांस भेज देते हैं, लेकिन वे शिक्षा संस्थायें नाना प्रकार के प्रतिबन्ध लगा कर उन विद्यार्थियों को ठीक समय से सहायता नहीं प्रदान कर पाती हैं। इसके फलस्वरूप विद्यार्थी भटकते हैं। जनरल डिबेट के समय भी मैंने यह विचार व्यक्त किया था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के ला के विद्यार्थियों को आज तक वजीफे की रकम नहीं दी गयी है जब कि उनकी परीक्षा शुरू होने वाली है। इसकी वजह से वे तड़प रहे हैं आप सोचें कि इसका क्या प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा।

दूसरी बात यह है कि माननीय मंत्री जी ने वजीफे की जो रकम रखी है वह एक तो १६, १७, २००रु० की है और मैं देखता हूं कि इस सिलसिले में कुछ ४५,३८,२००रुपये रखी गयी है। अब आप जरा सोचें कि इस प्रान्त में करीब पौने २ करोड़ की आबादी शिड्यूल्ड क्लास की है और उससे कम से कम तिगुनी आबादी बैकवर्ड क्लास वालों की है और करीब आधा करोड़ आबादी विमुक्त जातियों की है जिनके लिये ४५,३८,२०० रुपये की रकम रखी गयी है। यदि उस अनुदान को पर कैपिटा के हिसाब से सारी आबादी पर फैलावें तो एक या डेढ़ नये पैसे आता है। क्या इसी रकम से उस जाति की उन्नति शिक्षा के क्षेत्र में हो सकती है जो कि हजारों वर्ष से पददलित है और खून के आंसू पीकर जिन्दा रह रहा है? क्या इतना नगण्य धन लगा कर ही उनकी उन्नति हो जायगी और वे उन्नति के शिखर पर पहुंच जायेंगे? मेरे खयाल से यह कभी भी संभव नहीं है और इसके लिये आपको कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा।

जहां तक प्रशिक्षण केन्द्रों के प्राविधान की बात है, बख्शी के तालाब पर एक शिक्षण केन्द्र चल रहा है। एक मीटिंग के सिलसिले में जाते हुये मैं बख्शी के तालाब के प्रशिक्षण केन्द्र पर रुका तो वहां के प्रशिक्षणार्थियों से मेरी बातचीत हुई, तो मालूम हुआ कि शिड्यूल्ड क्लास वाले बड़े ही दब कर रहते हैं और उनको दब तक रहने के लिये बाध्य किया जाता है। इंस्ट्रक्टर्स आदि उनको नाना प्रकार के भय दिखलाते हैं ताकि वे उनकी किसी प्रकार की शिकायत न कर सकें। उनको हर प्रकार से दबाने की कोशिश की जाती है। मेरा कहना है कि जहां इस प्रकार की धारणा हो कि ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र जो सरकार द्वारा चलाये जाते हैं और जिनको चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, वहां की जब यह हालत है तो फिर उन देहातों का कहना ही क्या है जहां कोई पूछने वाला ही नहीं है। वहां के बारे में जितना न कहा जाय उतना ही अच्छा रहेगा।

इसके साथ ही साथ कुछ अन्य बातों का भी जिक्र हुआ। यह कहा गया कि उनके सामाजिक स्तर को बढ़ाने के लिये सरकार कोशिश कर रही है और उनको सुविधायें देने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज के जमाने में जिस प्रकार के समाचार आ रहे हैं और जिनको मुझे

धारणा है मंत्री जी के पास शिकायत आयी होगी, उसमें से एक शिकायत यह है कि जौनपुर जिले के मछलीशहर के तिलौरा गांव में एक आदमी को बेगार न करने पर मारा गया और जब वह रिपोर्ट लिखाने गया तो दफा ३२३,१०७,११७ में रिपोर्ट लिखी गई । उसको पार्टी बनाया गया और दूसरों को बनाया गया । दूसरी पार्टी वाले तो जमानत करा लेते हैं पर जिसको कोई मदद करने वाला नहीं उसको हवालात में बन्द होना पड़ता है ।

दूसरा केस इसी प्रकार का हैंदरगंज जिला फ़ैजाबाद का है, जुदई मीनू चमार नाम हैं, उसके पास ६ बीघा खेत था उसमें से एक आदमी ने दूसरे के नाम बय कर दिया और चूंकि जोतता रहा है तो उस पर अत्याचार होता है, जबरदस्ती उसकी ३ बीघा जमीन पर कब्जा किये हुए हैं । मंत्री जी के पास यह शिकायत है इसको मंत्री जी दूर करांए वरना "हद से बढ़ जाती है इनसान की मजबूरी जब, अमन पसन्द भी बगावत की बात करते हैं ।" जिस दिन मानवता बलबला उठती है उस दिन निहत्थे हाथ बज्र बन जाते हैं । इसी तरह से नैनीताल जिले का एक केस है, हल्दवानी का है । उसने नगरपालिका में सफ़ाई कर्मचारियों का दरोगा बनने के लिये एप्लाई किया, गांधीनगर की बात है जिस महात्मा की तस्वीर आपके ऊपर टंगी है, उस नगर में ऐसा होता है वह आदमी ९ वीं कक्षा पास है लेकिन उसको न लेकर ६ठीं कक्षा पास को ले लिया गया क्योंकि उसने हेल्थ अफ़सर को नाजायज तरीके से खुश कर लिया । इसी तरह से आगरा, फिरोजाबाद के बहुत से केसेज हैं जहां पर अत्याचार हो रहा है । विद्यार्थियों पर अत्याचार हो रहें हैं शिक्षा संस्थाओं में । १९३७ का किस्सा है क्रान्य-कुब्ज कालेज में एक विद्यार्थी को दाखिल नहीं किया गया । लेकिन जब उसकी ग्रान्ट बन्द हो गई तो उसी विद्यार्थी को हाथ जोड़ कर लिया गया था । ऐसे डेटरेंट स्टेप्स आपने कोई लिये ? मैं निवेदन करूंगा कि आज आपके पास डिपार्टमेंट आया है तो इसमें आप सुधार करें । आपको यह कहना कि हमने अछूतों की समस्या को अछूत के हाथ में देदी है इससे काम चलने वाला नहीं है । आपने यह भार जो मेरे ऊपर डाला है तो अगर आप उसकी जिम्मेदारी को नहीं निभायेंगे तो मेरे लिये बड़ा मुश्किल हो जायगा । जिस आधार पर यह समस्या आपके हाथ में दी गयी है उसको पूरी तरह से करने की अगर आप कोशिश करेंगे तभी कोई काम चल सकता है। आपके जो हरिजन सहायक आफ़िसर हैं उनके पास एक विद्यार्थी अपना केस लेकर गया कि उसे एन० सी० सी० में पीटा गया और वह शायद एक साथ खाने की धृष्ठता पर । जब उस विद्यार्थी पर कुल्लहड़ बरसाये गये तो वह उन अधिकारी के पास गया फिर भी कुछ नहीं हुआ । सहभोज के अन्दर भी यह हो रहा है ।

सीटों के रिजर्वेशन के बारे में कहा गया कि १८ पसेन्ट पूरा नहीं हो रहा है और शायद वह हो नहीं सकता है । कहा जाता है कि सुटेबिल आदमी नहीं मिलते । अंग्रेजों के जमाने में यहां पर मिडिल पास जज बनाये गये हैं । और आप उनके सक्सेसर्स हैं, उन विदेशियों से शिक्षा लीजिये । हम अपने घर में भी अपने भाइयों को सही हक नहीं दे पाते हैं । रिजर्वेशन तभी कम्पलीट हो सकता है जो प्रत्येक विभाग सही रूप से रिपोर्ट दें कि इतने पूरे कर दिये हैं और इस प्रकार से आगे बढ़ रहें हैं । कहा जाता है कि क्वालिफिकेशन में उनको रियायतें दे रहें और उनकी योग्यता में समानता लानें की कोशिश करते हैं । मुझे खुद का किस्सा याद आ गया । जब मैं खुद साक्षात्कार के लिये गया । वहां पर एक भले आदमी बैठे हुये थे । मुझ को वहां पर सेलेक्ट किया । लेकिन आज का विद्यार्थी वहां पर कोशिश के बाद जाता है । वह घर में इन्तजार कर रहा था । उसके पास काल लेटर की सूचना ही नहीं मिलती । मान्यवर अभी यहां पर कुछ तहसीलदार लिये जा रहें हैं । पब्लिक सर्विस कमीश ने एक व्यक्ति को एप्रूव कर दिया । बाद में रिट्रेन्चमेन्ट होने लगा तो उस में उसी व्यक्ति को जो पी० एस० सी० से एप्रूव था उसको ही रिट्रेन्च कर दिया, लेकिन जो अनएयूव्ड लोग थे उनमें से किसी को नहीं किया गया । इसके साथ साथ एक जेलर साहब हैं नत्थूसिंह जी उनको भी इसी तरह से रिट्रेंचमेंट में लाया गया ।

श्री अधिष्ठाता—

३० मिनट से भी अधिक आप बोल चुके, ३२ मिनट हो गये हैं ।

श्री खेमचन्द---

मुझे दस मिनट और दे दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता---

जितने कटौती के प्रस्ताव अब तक मूव हुये हैं उनके मूवर आधे घंटे बोले हैं । आप ३२ मिनट बोल चुके ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है । लाल बत्ती न होने से माननीय सदस्यों को अपना समय जानने में कठिनाई होती है । आप एक लाल झंडी रख लें तो आसानी होगी ।

श्री अधिष्ठाता---

मैंने पांच मिनट पहले उनको बता दिया था । माननीय खेमचन्द, आप तीन मिनट में समाप्त कर दें ।

मैं आभारी हूं आपका.... (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

आप लोग शान्त रहें और आप जरा माइक्रोफोन पर बोलिये ।

श्री खेमचन्द---

उनके साथ ही एक उनके साथी रघुवीर सहाय सक्सेना भी रिट्रेंचमेंट में आये थे । वह भी रीइंस्टेट हो गये और वह बेचारे अभी तक भटकते फिर रहे हैं। अपनी तमाम फरियाद लेकर सरकार के पास जाते हैं, उन आदमियों के पास जाते हैं जिन्होंने उनके संरक्षण, उनके उद्धार, उनकी उन्नति का भार अपने ऊपर ले रखा है । लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही है । इस प्रकार की स्थिति सर्विसेज में चल रही हैं ।

मान्यवर, अन्त में मैं यही कहूंगा इस समस्या को जितनी जल्दी हल किया जाय उतना ही श्रेयस्कर है । मैंने सरकार के उन आंकड़ों को छोड़ दिया है क्योंकि मैंने देखा कि इन्हीं आंकड़ों को दिखाकर यह कोशिश की जाती है कि किस प्रकार हम बढ़ोत्तरी का दावा करके उन रकमों को काट लें जो उनके लिये दी जाती हैं । आज कितना बड़ा भाग उस अनुदान का अनुदान के रूप में देकर उसके इस्टैब्लिशमेंट पर हम खर्च कर रहे हैं, किस प्रकार से एक अहम् समस्या को टालमटोल करने की कोशिश की जा रही है, किस प्रकार अपने ही पास किये हुये कानूनों की उपेक्षा की जा रही है, इन तमाम बातों को देखते हुये मैं माननीय मंत्री जी से पुनः निवेदन करूंगा कि वह इन तमाम समस्याओं को भली प्रकार देखें और समझें और उनके हल के लिये कोशिश करते हुये आगे बढ़ें ? उनके निराकरण, उनके सही हल को ढूंढ़ने का प्रयत्न करें ताकि यह कलंक जो कि हमारी सभ्यता पर, हमारी श्रेष्ठ सभ्यता पर सहस्त्राब्दियों से लगा चला आ रहा है, उसको दूर किया जाय । इन भावनाओं के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं ।

श्रीमती रामरती (जिला फैजाबाद)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये मैं खड़ी हुई हूं । यह विभाग एक ऐसे वर्ग के लोगों से संबंधित है जिसका समाज में सदियों से शोषण होता चला आ रहा है । किसी भी आदर्शवादी और न्यायप्रिय सरकार के लिये उचित होता है कि वह अपने राष्ट्र के नागरिकों को समाज में राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से बराबरी का दर्जा दे । हमारार देश स्वतंत्र हुआ, स्वराज्य स्थापित हुआ । उसके बाद एक बड़े समुदाय को कानूनों से कुछ राहत मिली । किन्तु आज भी समाज में इस बड़े समुदाय की आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से ऐसी स्थिति नहीं है कि इन्हें उन कानूनों का पूरा संरक्षण प्राप्त हो सके । मौजूदा

की बात तो यह है कि वह विभाग आज हमारे ऐसे मंत्री के कंधों पर सौंपा गया है जिसकी मांग हम बहुत दिनों से करते आ रहे थे। मंत्री जी की आत्मा का संबंध उसी वर्ग से है। जिन माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव किया है उन्होंने जोश भरे शब्दों में यह कहा कि डाक्टर साहब के कन्धों से यह भार हटाकर अन्य मंत्री के हाथ में दिया जाय। मेरा विचार है कि वे माननीय सदस्य भ्रम में है। जब वे अपने लोगों से इस प्रकार की आशा न रखेंगे तो और लोगों से वह क्या आशा रखेंगे? मैं तो उनकी बात को बालू पर भित्त उठाने जैसी बात समझती हूं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि वे हमारे समाज के इस बड़े समुदाय का अवश्य कल्याण करेंगे।

अब मैं मंत्री जी के सामने अपने सुझाव प्रस्तुत करती हूं। हरिजनों में दो वर्ग सम्मिलित हैं एक तो पुरुष और दूसरे स्त्री वर्ग। हमारी ८५ फीसदी महिलायें ऐसी हैं जो यह नहीं समझ पा रहीं हैं कि यह विभाग उनके कल्याण के लिये भी है। मंत्रीजी से विनम्र प्रार्थना है कि अगर वे उनके प्रति विश्वास का भाव पैदा करना चाहते हैं तो कोई ठोस कदम उठावें। इसके लिये मेरे कुछ सुझाव इस तरह पर हैं। पहला सुझाव तो यह है कि जो हरिजन विधवायें, असहाय और अंग-विहीन हैं और निर्बल हैं ऐसी स्त्रियों को मासिक पेंशन के रूप में सहायता अवश्य प्रदान करें।

दूसरे हरिजन छात्राओं को यों तो छात्रवृत्ति दी ही जाती है किन्तु मेरा निवेदन है कि ऐसी बालिकाओं के लिये है जो किसी भी कक्षा में प्रथम नम्बर प्राप्त करें उनके लिये विशेष छात्रवृत्ति की व्यवस्था करें। इसका परिणाम यह होगा कि वह बालिका जो अपनी कुशाग्र बुद्धि होने के कारण अपने जीवन का विकास करना चाहती है किन्तु आर्थिक कठिनाइयों के कारण आगे अपने को नहीं ले जा पातीं और छात्रवृत्ति सीमित होने के कारण अपना पूरा खर्च नहीं कर पातीं ऐसी छात्राओं का इन वजीफों के द्वारा मानसिक विकास हो जायगा।

तीसरा सुझाव मेरे अपने जिले के बारे में है। बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से मेरा जिला फैजाबाद पिछड़े हुये पूर्वी जिलों में से है और कमिश्नरी भी है। यहां का हरिजन समुदाय ७५ या ८५ फीसदी से ऊपर कृषक मजदूर के रूप में है और खेती का काम करता है। इधर के दो तीन महीने बुवाई और एकाध महीने कटाई के खत्म होने के बाद साल का बाकी समय उसका बरबाद हो जाता है और उनका वह समय बिलकुल बेकार जाता है। यह समुदाय मजबूर हो कर अपनी बेकारी की समस्या को हल करने के लिये निराश होकर कलकत्ता बम्बई जैसे नगरों की शरण लेता है। मान्यवर, इसके लिये मैं बड़ी विनम्रता के साथ प्रार्थना करूंगी कि ऐसे दयनीय लोगों की दशा सुधारने के लिये मेरे जिले में आप अवश्य ही उद्योगधंधा कायम करें।

चौथा सुझाव हरिजनों के प्रति आपके सामने यह है कि आपके विभाग द्वारा विकास खंडों को जो अनुदान हरिजन वर्ग के लिये वितरित किया जाता है वह अनुदान उचित ढंग से उनके लिये वितरित नहीं किया जाता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि वह अनुदान अन्त में जब बच जाता है तो वह लौट आता है। मान्यवर, इस रकम को उचित रूप से यदि खर्च करना है और हरिजन समुदाय का आर्थिक दृष्टि से सचमुच में विकास करना चाहते हैं तो आप कृपाकर इस अनुदान को जिलेके स्तर पर जैसाकि पहले एक हरिजन उपसमिति बनाई गई थी, उसके द्वारा ही व्यवस्था कराने का कष्ट करें। इस तरह से उनको उचित रूप से पैसा मिल जायगा और उनकी आर्थिक दृष्टि से उन्नति भी हो सकेगी। मान्यवर, एक मेरा सुझाव यह है कि आपके यहां हरिजन कल्याण विभाग और समाज कल्याण विभाग है। यह पुराना विभाग है। जहां तक मेरी जानकारी है शासन के द्वारा इन विभागों को एकीकरण या विलीनीकरण करने का कोई आदेश नहीं है, किन्तु इधर सन् ६२ से दोनों विभाग एक में कर दिये गये हैं। जैसा कि यह अनुदान प्रस्तुत किया गया है इसमें ३ करोड से ऊपर हरिजन कल्याण का बजट है और २३ लाख से ऊपर समाज कल्याण का बजट प्रस्तुत किया गया है। हरिजन कल्याण विभाग में लिपिक वर्ग ४० के करीब है। निर्देशक महोदय द्वारा दोनों विभागों का एकीकरण कर देने से अपने ढंग से ही समाज कल्याण का निदेशालय का संगठन बना दिया गया है। इस समाज कल्याण का निदेशालय स्वतंत्र बना देने से जिस तरह से कार्य हो रहा है उसमें हरिजन कल्याण विभाग का नम्बर बाद में आता है और इसका परिणाम यह हो रहा है कि हरिजन कल्याण विभाग के लोगों को कम पैसा दिया जाता है और समाज कल्याण विभाग के लोगों को अधिक पैसा मिलता है। साथ ही हरिजन कल्याण

[श्रीमती रामरती]—

विभाग के कर्मचारियों का कार्य समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों के मुकाबिले में उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। इसका परिणाम में यह समझती हूं कि उनमें असंतोष की भावना व्याप्त है। अतः मंत्री जी से निवेदन है कि इस असंतोष की भावना को देखते हुये इसको समाप्त करने की कोशिश करें। इस भावना के समाप्त होने पर हरिजन कल्याण का कार्यप्रगति की ओर बढ़ेगा। अब मैं अधिक न कहते हुये अपनी बात समाप्त करते हुये मंत्री जी से पुनः इस बात के लिये निवेदन करती हूं कि वह मेरे जिले में उद्योग के लिये अवश्य कदम उठायें।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आज हरिजन कल्याण के विषय में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैं सोच रहा हूं कि उन बातों से हमारे डाक्टर साहब अवश्य परिचित होंगे और उनको अनुभव करते होंगे, लेकिन फिर भी मैं मोटी-मोटी बातें कहूंगा। यह कलंक केवल हमारे देश में ही नहीं, दुनिया के और देशों में भी है। रूस में चुआमो नाम की एक जाति थी, अमरीका में नीग्रो नाम की जाति थी, जिसको नीची दृष्टि से देखा जाता था। यह एक आर्थिक पहलू है। इसमें बड़ी गहरी बात है। मेरे जिले में ठाकुरों और चौहानों के स्टेट थे। जब आजादी नहीं आयी थी, वे अपनी बिरादरी के लोगों को भी कुर्सी या मोढ़ा नहीं देते थे, इसलिये कि वे मुंह लगाने से सामना करने लगेंगे और उनकी रोजी के साधन छीन जावेगा। अस्पृश्यता के बारे में भी कुछ रोशनी डालना चाहता हूं। छुतछात हमारे देश में हर जगह है। एक आदमी दूसरे से नफरत करता है। एक बिरादरी में कई-कई बिरादरियां हैं और उनमें रोटी बेटी का सम्बन्ध नहीं है। मैं प्रचारक रहा हूं और मैंने इस सम्बन्ध में काफी काम किया है। खास कर सन् २६ के बाद मैंने काफी काम किया है और मुझे इसमें काफी अनुभव है। पहले जब मैं डिप्रेस्ड लीग में प्रचार करता था तो उस समय लोग बाल्मीकि भंगी लोगों को पानी नहीं देते थे जिससे वह न नहा सकते या न अपने वस्त्र धो सकते थे मैंने सब से पहले उस काम को लिया ताकि उनको पानी मिल सके। लेकिन उसमें मैं असफल हुआ, इसलिये कि बाल्मीकि का घर गांव में एक ही होता था और जब मैं उनके घड़े गांव के कुवें पर रख आता था तो भंगी लोगों का कहना था कि साहब जब आप चले जायेंगे तो फिर हमें ये लोग पानी नहीं भरने देंगे। मैं बहुतेरी कोशिश करता था कि हरिजनों के कुवें अलग नहीं बनने चाहिये, लेकिन इस तरह की बातें देख कर मेरा विचार बदला और मैं इस निश्चय पर पहुंचा कि हरिजनों के कुवें अलग भी बनने चाहियें। मैं समझ गया कि यह चीज देश में बहुत देर में दूर होगी। गांव में जिन लोगों को सरकार से कुंवा बनाने के लिये रुपया मिला था उन पर मैंने प्रयत्न किया कि भंगी हरिजन पानी भर सकें। सब सवर्णों के कुओं पर पानी भरना संभव हुआ, किन्तु जब मैं एक बाल्मीकि को ऐड मिलने कुवें पर ही पानी भरवाने गया और सवर्णों की तरफ से पानी भरा गया तो एक हरिजन स्त्री बड़े जोर से चिल्लायी कि श्रीराम का लौंडा मर जाय इसलिये कि उसने तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। पहले हम यह काम सामाजिक संस्थाओं द्वारा करते थे, लेकिन जब से यह काम सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, हमने इस काम में शिथिलता बरतनी शुरू कर दी। मैं अपने विधायकों से प्रार्थना करूंगा कि हमारा कर्त्तव्य है कि हम उन सामाजिक संस्थाओं में जाकर हरिजनों के उद्धार के लिये काम करें।

हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि डाक्टर साहब के पास यह विभाग है और यह भी कि इस वर्ष हमको रुपया ज्यादा मिला है। लेकन फिर भी इसमें कुछ त्रुटियां हैं। मैं देख रहा हूं कि जब हमारे जिले में एक ही प्लानिंग अफसर था और ब्लाकों की स्थापना नहीं हुई थी उस समय काम बहुत बढ़िया होता था। पूरे प्रान्त के जिलों में रुपया बराबर बटता रहता था। बहुत ज्यादा कुयें बनाये जाते थे हरिजन फंड से और ८०—९० हजार रुपये प्लानिंग से कुयें प्रत्येक जिले में बनते थे। लेकिन जब आज शक्ति का बटवारा हुआ तब यह शक्ति बिखर कर ही रह गयी। आज ग्राम सेवक गांव में हरिजनों की ऐड के वक्त रिश्वत का रुपया तय करता है और प्रधान और सेक्रेटरी भी रिश्वत तय करते हैं। जो रुपया ब्लाकों में जाता है उसका

उपयोग नहीं होता है वह पड़ा रह जाता है। कोई एम०एल० ए० कहता है कि कुआं बनना चाहिये, सीमेंट और रुपया देना चाहिए तो ग्राम सेवक कहता है कि एम० एल० ए० साहब से ही सब चीजें ले लो—यह ब्लाकों की दशा है। पिछले वर्ष छात्रावासों के लिए रुपया बांटना शुरू हुआ था। सरकार का सुझाव यह था कि गांव में ही छात्रावास बनें, लेकिन मैं समझता हूं कि टाउन एरिया को भी गांव में सम्मिलित कर लिया जाय तब हरिजन छात्रों का काफी भला हो सकता है, गांवों में इतने छात्र मिलते नहीं हैं। उन छात्रावासों में दूसरे विद्यार्थी भी रह सकेंगे। मुरादाबाद में एक टाइप स्कूल हरिजनों के लिये खुला था जिसमें टाइप सिखाया जाता था। पिछले वर्ष से उसको भी बन्द कर दिया गया है। प्रत्येक जिले में हरिजन लड़कों के लिये ऐसे स्कूल होने चाहिये, क्योंकि हाई स्कूल पास होकर वह लड़के नौकरी नहीं पा सकते हैं, क्लेरिकल लाइन में नौकरी बिना टाइप सीखे नहीं मिल पाती है।

एक बात हमको यह समझ लेना है कि अगर वोट की हुकूमत रहनी है तो छुआछूत ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकती। चाहे राजा कृष्णपाल सिंह हों, या कुंवर श्रीपाल सिंह हों, वह चुनाव में खड़े होंगे तो वोट लेने के लिए भंगी के घर जाकर सिर झुकाना पड़ेगा। आज गरम भाषण देने से हरिजनों का उत्थान नहीं होगा, वह प्रेम और मुहब्बत से ही हो सकता है। चाहे सामाजिक सभा हो या हाउस हो, हरिजन तभी आगे बढ़ सकते हैं।

अन्त में मुझे आशा है कि डाक्टर साहब जो वजीफे की खामियां हैं और कालिजों में रुपया मास्टर लोग रख लेते हैं उसकी ओर ध्यान देंगे और कुओं और कृषि इत्यादि की तरफ भी अवश्य ध्यान देंगे।

श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो समाज कल्याण विभाग मंत्री जी ने हरिजन विभाग का बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। जब उधर से भाषण हो रहा था और कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया था, मैंने उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुना कि किन तरीकों से इस देश से छुआछूत मिटायी जा सकती है। लेकिन मैं नहीं समझ सका कि क्या गर्म वातावरण पैदा करके और इस प्रकार की नीतियों को अपनाकर इस मुल्क में सुधार करना चाहते हैं? बहुत समझने की कोशिश की, लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ा। ठीक है, अपने-अपने तरीके होते हैं।

जहां तक हरिजन विभाग का सम्बन्ध है उसका एक लम्बा इतिहास है। मैं महसूस करता हूं कि दो अक्तूबर को जो नयी सरकार बनी और जो विभाग माननीय डाक्टर सीताराम को मिला, और उसके पुराने इतिहास को देखें तो बुरी हालत में मिला है और यह सदन विश्वास करता है कि उनके पास जब से यह विभाग आया है तो छुआछूत के हटाने के काम में प्रगति होगी, बड़ी-बड़ी आशायें थीं, मगर मान्यवर वह पूरी नहीं हुई नीतियों से सम्बन्धित जो मामले थे किस प्रकार ग्रान्ट का वितरण होना चाहिये आदि बातों का जहां तक संबंध था उन बातों तक पर विचार नहीं हुआ है। जनतंत्र हमने कायम किया, आज १६ वर्ष आजाद हुये हो गये, मगर अभी तक हरिजनों को कोई खास राहत नहीं पहुंचा पाये हैं। सैकड़ों मिसालें मेरे सामने मौजूद हैं। उनके लिये आज न रहने की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है, न पानी पीने की ही व्यवस्था है। अगर कोई हरिजन अपना घड़ा लेकर गांव में पानी भरने के लिये किसी उच्च जाति के कुवें पर जाता है, उसको २–३ घंटे उसके लिये खड़ा रहना पड़ता है मैं इस सरकार से मान्यवर आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि क्या उनके लिये पीने का पानी का प्रबंध आज तक हो पाया है? क्या इस सरकार ने उनके बारे में बुन्देलखंड डिवीजन में या पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई सर्वे आदि कराया है? मान्यवर जमींदारी को हमने समाप्त किया वह अच्छा काम था, उसमें दो राय नहीं हैं। उससे बेगार घटी है। लेकिन जमींदारी उन्मूलन के बाद अगर हमने इस तरफ भी ध्यान दिया होता तो काफी सुधार हुआ होता। आज मान्यवर उनके पास एक कोठा होता है, उसी में वह खाना बनाता है, उसी में वह सोता है, उसका लड़का सोता, है लड़के की बहू सोती है, उसकी मां सोती है, उसकी लड़की सोती है उसमें कोई आंगन

[श्री धर्मसिंह]

तक नहीं होता। मगर आपके लिये तो मान्यवर, हर प्रकार की सुविधा होती है। हर काम के लिये अलग अलग कमरा होता है। आपको मालूम होगा मान्यवर, पूर्वी जिलों में इन लोगों की यह हालत है कि गोबर से अनाज निकाल कर वे लोग खाते हैं। मजदूरों को तबाह किया जा रहा है। उनके लिये पीने के पानी तक का प्रबंध नहीं है।

श्रीमन्, बड़ी दुहाई दी जाती है कि हमने इतनी ग्रान्ट दे रखी है। मैं पूछता हूं कि उस रुपये का वास्तव में क्या सही उपयोग हो पाता है? क्या वह पैसा हरिजनों तक पहुंच पाता है? जिस तरह से बादल से निकली हुई बूंद यहां आकर छोटी हो जाती है, उसी तरह से सरकार का उनके लिये चला हुआ पैसा, लखनऊ से चलकर उन तक पहुंचते-पहुंचते गायब हो जाता है, उनको मिलता ही नहीं। अब तक का तजुर्बा यह बताता है कि वह अनुदान उन तक पहुंच ही नहीं पाता। ३१ मार्च का समय जब आता है तब वह पैसा लैप्स हो जाता है।

श्रीमन्, जहां तक हरिजनों के उत्थान का सम्बन्ध है आप पंजाब को लें, और इस तरीके से आप हिन्दुस्तान के दूसरे सूबों को लीजिये और वहां आबादी और रुपये से तुलना कीजिये तो मालूम होगा कि इस सूबे में जो रुपया हरिजनों के उत्थान पर खर्च किया जाता है वह सबसे कम है।

अब मैं थोड़ा सर्विसेज के मामले में भी कह देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में १८ फीसदी रिजर्वेशन दिया गया है। लेकिन अगर सरकार का कोई कानून कार्यान्वित नहीं होता है तो यह किसकी जिम्मेदारी है। क्या आपने इस समस्या को हल करने के लिये कभी कोई कदम उठाया। एक राधाकृष्णन कमेटी बैठी, उसकी रिपोर्ट आयी लेकिन उस पर आज तक विचार नहीं हो सका। लेकिन आप कहते हैं कि जरूरी कामों की वजह से उसके लिये समय ही नहीं है। सर्विसेज में होता क्या है। अगर हरिजनों के २० लड़के किसी पोस्ट के लिये नियुक्त किये जाते हैं तो उनमें से कम से कम दस को इसलिये निकाल दिया जाता है कि वे निकम्मे हैं। १० चार्जेज लगाकर उनको निकाल दिया जाता है। क्या माननीय मंत्री जी इसकी छानबीन करायेंगे? जब कि दूसरे जाति के लोगों को, चाहे वे निकम्मे या रिश्वती ही क्यों न हों, उनको टास्टरेट किया जाता है। यह आपका योग्यता नापने का पैमाना है। भला जिन लोगों के घरों में सदियों से कोई शिक्षा न रही हो उनसे किस प्रकार आप पूर्णता एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यही कारण है कि आपके किसी विभाग में भी रिजर्वेशन पूरा नहीं हो पाता है।

आपके जनतंत्र में मेहतरों की क्या हालत है। आप जब पाखाना जाते हैं। तो नाक बन्द करके जाते हैं लेकिन सुबह चार बजे मेहतरानी उठ कर उसी पाखाने को सिर पर रख कर ले जाती है और उसको उठाती है, रात-दिन काम करती है। क्या उसके लिये आपके सब प्लान फेल हो गए? क्या उनकी नाक पीछे लगी है? १६-१७ साल में आप इस तरह की चीजों में सुधार नहीं कर पाये?

यह ठीक है कि मेहतरों के लिये कहीं-कहीं क्वार्टर बनवाये हैं, लेकिन क्या उनकी इन समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता था?

श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—

श्रीमन् अब पांच बजने वाले हैं। मेरा विचार है कि १५ मिनट का समय बढ़ा दिया जाय।

एक सदस्य—

आज इस समय असेम्बली की बैठक बन्द कर दी जाय।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय ३ घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय।

एक सदस्य——

जब लाइट नहीं है तो प्रोसीडिंग कैसे लिखी जायगी ? अब कल के लिये इस पर बहस रखें।

श्री अधिष्ठाता——

श्री हरिसिंह जी आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री हरीसिंह——

अधिष्ठाता महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री धर्मसिंह——

श्रीमन्, मैं ५ मिनट समय और लेना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता——

ठीक है, मैं सदन का समय ५ मिनट के लिये और बढ़ाता हूं।

श्री धर्मसिंह——

जहां तक शिड्यूल्ड क्लास व मेहतरों आदि का सम्बन्ध है उसके लिये अभी थोड़े दिन हुये सरकार की तरफ से एक कमेटी आयी हुई थी और उसने कुछ आंकड़े भी दिये थे और उस पर भारत सरकार की तरफ से कुछ निर्णय भी लिये गये लेकिन श्रीमन् आज तक उनको भी लागू नहीं किया गया।

जहां तक हरिजनों का सम्बन्ध है, वास्तव में उस कमेटी में बहुत-सी बातों पर विचार हुआ और मैं निवेदन कर दूं कि बहुत से लोग कहते हैं कि जहां तक छुआछूत का सम्बन्ध है मैं तो उसको एक आर्थिक पहलू भी समझता हूं। यदि समाज में इस तरह की मनोवृत्ति है तो यह सही है कि समाज की मनोवृत्ति बहुत जल्दी नहीं बदल सकती, उसके लिये समय लगेगा लेकिन और लोगों ने अपनी मनोवृत्ति नहीं बदली, अपनी विचारधारा नहीं बदली तो यह काम नहीं होने का। जहां तक इस छुआछूत का सम्बन्ध है, अगर हमारी विचारधारा इस तरह से नहीं बदलेगी कि जो नीचे के लोग हैं उनको ऊपर उठावें और जो ऊपर के लोग हैं उनको थोड़ा नीचे लाने की कोशिश करें, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा। कुछ रुपया-पैसा दे देने से या यहां भाषण दे देने से या कुछ नुक्ताचीनी कर देने से उन तमाम चीजों का निवारण नहीं होने वाला है जिन बहुत-सी बातों का मैंने अभी जिक्र किया।

जहां तक पब्लिक सर्विस कमीशन की बात है, चाहे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों सभी जानते हैं कि इस सदन में हमेशा यह मांग रही है कि हरिजनों का एक प्रतिनिधि पब्लिक सर्विस कमीशन में भेजा जाय।

क्योंकि उसकी वहां आवश्यकता है। सरकार की तरफ से हमेशा समय-समय पर इस सिलसिले में आश्वासन भी दिये गये। समय-समय जो चुनाव होते हैं या छोटी-छोटी नौकरियों के मसले होते हैं, उसमें ज्यादा लोगों के इंटरेस्ट किल हो जाते हैं और उससे लोगों को लाभ नहीं होने पाता। तो जहां तक इस मांग का सम्बन्ध है, मैं पुनः दोहराता हूं कि सरकार इस पर पूरी तरह से विचार करे।

आज कहा जाता है कि सरकार बहुत बड़ी तादाद में हरिजनों की दशा को सुधारना चाहती है, इस प्रकार से दो-दो सौ और ढाई ढाई सौ रुपये ग्रान्ट देकर। कायदे-कानून के मुताबिक छोटे-छोटे उद्योगों के नाम लिये जाते हैं और कहा जाता है कि इस तरह से उनकी समस्या सुलझ जायगी। मैं मानता हूं कि इसमें थोड़ा बहुत आर्थिक पहलू भी है लेकिन क्या वास्तव में केवल दो सौ या ढाई सौ रुपये की ग्रांट दे देने से ही उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जायेगी।....

(श्री अधिष्ठाता एक पत्रकार के मंत्री जी से बात करने पर) देखिये, इस तरह से खड़े होकर बात न करें, यदि बात करना ही हो तो पीछे से आकर बात करें।

श्री धर्मसिंह—

क्या दो या ढाई सौ रुपये के अनुदान से कोई मकान बनाया जा सकता है ? इस तरह से उनकी बहुत-सी समस्यायें हैं। मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी तादाद में अगर पैसा दिया भी जाता है तो उससे समस्या हल नहीं होती। मैं छात्रवृत्ति की ओर ध्यान दिलाऊंगा और यह ठीक है कि उसमें पैसा बढ़ाया गया है लेकिन जिस अनुपात से विद्यार्थियों की तादाद बढ़ी है छोटे क्लासेज से बड़े क्लासेज तक उस के अनुसार छात्रवृत्ति बहुत कम दी जाती है और वह भी वक्त पर नहीं दी जाती और उस पैसे का ठीक से इस्तेमाल नहीं हो पाता। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह जो दो-चार बातें मैंने कही हैं उन पर विचार करें और जो गांधी जी का सपना मुल्क से छुआछूत को खत्म करने का था उस को किसी तरह से पूरा करने का प्रयत्न करें। यहां के ४३१ सदस्य हैं। केवल भाषणों से काम नहीं होगा बल्कि अपने-अपने क्षेत्र में जाकर गांधी जी के स्वप्न को पूरा करने में लगें और इस तरह का समाज बनायें कि जिस में विषमता न रहे और सब को सामाजिक न्याय मिले। अगर यह न हुआ तो सारे प्लान और आर्थिक पहलू ठीक करने की बात समाप्त हो जायगी। इन शब्दों के साथ जो बजट मंत्री जी ने पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ९ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
२० मार्च, १९६४।

देवकीनन्दन मिश्रधारा,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत, तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ८ पर]

वितरण तिथि	धन जो दिया गया		विवरण
११-५-६२	११०३.८७	नये पैसे	जुलाई ५९ से दिसम्बर ५९ तक का बकाया तथा फरवरी ६२ का वेतन।
११-९-६२	३६०.००	,,	मार्च व अप्रैल ६२ का वेतन।
६-११-६२	५४८.०६	,,	मई, जून, जुलाई ६२ का वेतन।
२३-४-६३	३८०.००	,,	अगस्त, सितम्बर, ६२ का वेतन।
१-७-६३	२८१.७१	,,	फिक्सेशन आफ पे, जुलाई ५९ से सितम्बर ६२ तक का।
२७-७-६३	६१५.००	,,	अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर, ६२ का वेतन।
२६-९-६३	२०५.००	,,	जनवरी, ६३ का वेतन।
२-११-६३	२०५.००	,,	फरवरी, ६३ का वेतन।
१३-११-६३	१००.००	,,	सितम्बर ६२ से फरवरी, ६३ तक का महंगाई भत्ता।
१९-२-६४	२२५.००	,,	मार्च ६३ का वेतन।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८ पर]

तालिका "क"

जिला मुरादाबाद के बालक एवं बालिका विद्यालयों की सूची विशेष विवरण सहित जिनके पास क्रीड़ा-स्थल उपलब्ध नहीं हैं

क्रमसंख्या	बालकों के विद्यालय	विवरण
१	अग्रवाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	किराये की भूमि क्रीड़ा-स्थल के उपयोग में आ रही है ।
२	एन० सी० ए० उ० मा० वि०	विद्यालय के कम्पाउन्ड का ही उपयोग क्रीड़ा-स्थल हेतु किया जा रहा है ।
३	शंकर जनता उ०मा० वि०, संभल	,, ,, ,,
४	आई०एम०उ० वि०, अमरोहा	,, ,, ,,
५	पी०एल० रस्तोगी उ०मा०वि०	पास की स्थानीय पार्क का उपयोग क्रीड़ा-स्थल हेतु किया जा रहा है ।
६	टी०जी०सी०एन्ड जे०एस० हिन्दू उ०मा० वि०, अमरोहा	विद्यालय के कम्पाउन्ड का ही उपयोग क्रीड़ा-स्थल हेतु किया जा रहा है ।
७	के०पी० उ०मा०वि०	पास की स्थानीय पार्क का उपयोग क्रीड़ा-स्थल हेतु किया जा रहा है ।
८	ब्राह्मण उ०मा०वि०	विद्यालय के कम्पाउन्ड का ही उपयोग क्रीड़ा-स्थल हेतु किया जा रहा है ।
९	वैश्य उ०मा० वि०	क्रीड़ा-स्थल उपलब्ध नहीं है ।
१०	एस०डी०उ०मा० वि०, ठाकुर द्वारा	,, ,, ,,
११	शिव उ०मा० वि०, गजरौला	,, ,, ,,
१२	एच०एस०वी० उ०मा० वि०	विद्यालय के कम्पाउन्ड का ही उपयोग क्रीड़ा-स्थल हेतु किया जा रहा है ।
१३	आर०एन० उ०मा०वि०	क्रीड़ा-स्थल उपलब्ध नहीं है ।
१४	उ०मा०वि०, बहजोई	विद्यालय का कम्पाउन्ड का ही उपयोग क्रीड़ा-स्थल हेतु किया जा रहा है ।
	बालिकाओं के विद्यालय	
१	अब्दुल सलाम मुस्लिम बा०उ०मा० वि०	विद्यालय के कम्पाउन्ड का ही उपयोग क्रीड़ा-स्थल हेतु किया जा रहा है ।
२	राम प्यारी बा०उ०मा०वि०, चन्दौसी	क्रीड़ा-स्थल उपलब्ध नहीं है ।
३	बी०आर०एस०ए०बी०उ०मा०वि०, सम्भल	,, ,,

क्रम-संख्या	बालिकाओं के विद्यालय	विवरण
४	एल० एन० जगदीश सरन बा० उ० मा०वि०	,, ,, ,,
५	जे०आर०अग्रवाल बा०उ०मा०वि०	क्रीड़ा-स्थल उपलब्ध नहीं है।
६	प्रतापसिंह बा०उ०मा०वि०	विद्यालय के कम्पाउन्ड का ही उपयोग क्रीड़ा-स्थल हेतु किया जा रहा है।
७	बी० एन० बा० उ० मा० वि०, चन्दौसी	,, ,, ,,
८	बी० एस० बा० उ० मा० वि०, चन्दौसी	,, ,, ,,
९	फूलवती बा० उ० मा० वि०	,, ,, ,,
१०	आर्य समाज बालिका उ०मा०वि०	,, ,, ,,
११	बलदेव बा०उ०मा०वि०	,, ,, ,,
१२	प्रभा देवी, बा० उ०मा० वि०	,, ,, ,,
१३	कौशिल्या बा०उ० मा० वि०	,, ,, ,,

विधान सभा पुस्तकालय

तालिका "ख"

जिसका उल्लेख तारांकित प्रश्न संख्या १२ में किया गया है

जिला बलिया के बालक एवं बालिकाओं के विद्यालयों की सूची जिनके पास क्रीड़ा-स्थल उपलब्ध नहीं हैं ।

क्रम संख्या	बालकों के विद्यालय	विवरण	
१	पी० एन० उ० मा० वि० दुबेछपरा	क्रीड़ा-स्थल उपलब्ध नहीं है ।	
२	मनियर उ० मा० वि०, मनियर	,,	,,
३	मर्चेंट उ० मा० वि० चितबड़ागांव	,,	,,
४	राष्ट्रीय उ० मा० वि०, करम्बर	,,	,,
५	आर० के० उ०मा० वि० भीमपुरा	,,	,,
६	जी० एम० ए० एम० उ० मा० वि०, विलथरारोड	,,	,,
७	पी० डी० उ० मा० वि०, गायघाट	,,	,,
८	एस० एस० उ० मा० वि०, सोहान	,,	,,
९	नरहरिबाबा उ० मा० वि०, करनछपरा	,,	,,
१०	नेहरू उ० मा० वि०, रतनपुरा	,,	,,
११	के० एस० बी० उ० मा० वि०	,,	,,
१२	सुदृष्टि बाबा उ०मा०वि०, सुदिष्टपुरी	,,	,,
१३	उ०मा०वि०, मुरारपट्टी	,,	,,
१४	सी०बी०उ०मा०वि०, साहतवार	,,	,,
१५	उ०मा०वि०, छितौनी	,,	,,
१६	उ०मा०वि०, कोटावारी	,,	,,
१७	उ०मा०वि०, सुखपुरा	,,	,,
१८	एल०डी०उ०मा० वि०	,,	,,
	बालिकाओं के विद्यालय		
१	गुलाब देवी बा०उ० मा०वि०	,,	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ग"

(देखिये तारांकित प्रश्न ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८ पर)

जिसका उल्लेख तारांकित प्रश्न संख्या ४८ में किया गया है ।

क्रम-संख्या	विद्यालयों के नाम	विवरण
१	किसान हायर सेकेंड्री स्कूल, गगहा, गोरखपुर।	इस विद्यालय ने केवल हाई स्कूल के विज्ञान सामग्री के क्रय हेतु दिये जाने वाले अनावर्तक अनुदान के लिये उचित मार्ग द्वारा आवेदन-पत्र दिया है। जिस पर २,००० रु० का अनुदान स्वीकृत किया जा रहा है।
२	गांधी हायर सेकेंड्री स्कूल, महुआपार, गोरखपुर।	इस विद्यालय से किसी भी अनुदान के लिये आवेदन-पत्र उचित मार्ग द्वारा नहीं प्राप्त हुआ अतः अनुदान देने का कोई प्रश्न नहीं उठता।
३	वी०एस०ए० विद्यामंदिर इंटर कालेज, गोला, गोरखपुर।	इस विद्यालय ने विज्ञान प्रयोगशाला तथा विज्ञान सामग्री क्रय हेतु अनावर्तक अनुदान के लिये आवेदन पत्र दिये हैं। प्रयोगशाला के अनुदान के लिये संस्था अपने अंश के रूप में केवल ७,८०० रु० देने को तैयार हैं जबकि उसका अंश १५,००० रु० होना चाहिये। इसके अतिरिक्त इस विद्यालय में १९६२ को हाई स्कूल परीक्षा में सार्वजनिक नकल हुई थी। इस कारण इसे कोई अनुदान नहीं दिया गया।
४	नेशनल इंटर कालेज, बरहलगंज, गोरखपुर।	इस संस्था ने केवल इंटर कक्षाओं की वैज्ञानिक सामग्री क्रय हेतु अनुदान के लिये आवेदन पत्र दिया है और उस पर इसे दस हजार रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है।
५	आनन्द विद्यापीठ, ककरही, गोरखपुर	इस विद्यालय ने केवल दस हजार रुपये के भवन अनुदान हेतु उचित मार्ग द्वारा आवेदन पत्र दिया है। परन्तु चूंकि इस विद्यालय को ५,००० रु० का भवन अनुदान सन् १९६२-६३ में दिया जा चुका है। अतः इस वर्ष उसे पुनः उक्त अनुदान नहीं दिया गया।
६	सर्वोदय किसान महाविद्यालय, कौड़ीराम, गोरखपुर।	इस विद्यालय ने केवल हाई स्कूल की विज्ञान सामग्री के क्रय हेतु तथा साज सज्जा के लिये आवेदन पत्र दिया है चूंकि इसे १९६१-६२ में इन दोनों मदों के लिये क्रमशः २,००० रु० तथा ४०० रु० के अनुदान दिये जा चुके हैं अतः यह अनुदान उन्हें नहीं दिया जा सकता है।
७	किसान हायर सेकेंडरी स्कूल, डेरवा, गोरखपुर।	इस संस्था को १९६४ की हाई स्कूल की परीक्षा के लिए मान्यता प्राप्त हुई है। यह संस्था अभी असाहायिक है अतः इसे कोई अनुदान देने का प्रश्न नहीं उठता।

नत्थी "घ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१ पर)

राजकीय आदर्श विद्यालय रुद्रपुर (नैनीताल) में कुल अध्यापकों की संख्या ५ है।

क्रम सं०	नाम तथा पद	जिला जहां के निवासी	शैक्षिक योग्यता
१	श्री मोहन लाल गैरोला, प्रधानाध्यापक	टेहरी गढ़वाल	वर्नाक्यूलर हिन्दी मिडिल, एच०टी०सी० ।
२	श्री सत्यप्रसाद उनियला, सहायक अध्यापक	टेहरी गढ़वाल	वर्नाक्यूलर हिन्दी मिडिल, एच०टी०सी० ।
३	श्री इन्द्र मोहन चमोली, सहायक अध्यापक	टेहरी गढ़वाल	वर्नाक्यूलर हिन्दी मिडिल, एच०टी०सी० ।
४	श्री ब्रह्मानन्द चतुर्वेदी, सहायक अध्यापक	नैनीताल	हाई स्कूल, जे०टी०सी० ।
५	श्री बहादुर सिंह मेहता, सहायक अध्यापक	नैनीताल	हाई स्कूल, जे०टी०सी० ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ११ एल० ए०—१९६४—८८५ ।